खण्ड-162, अंक-1
सोमवार, 21 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(12 दिसम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 162 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफ़ा हुसेन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभान गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुतूलाल, श्री
पुन्नूराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री

बैचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मानधाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री

रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५ ई०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करने का विचार

**१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि वह गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करने पर विचार कर रही है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी हां।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार इसका कारण बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--बोर्ड पर ६ चार्ज लगाये गये थे और रिपोर्ट जो जिले से आई है उससे मालूम होता है कि उनके ऊपर कुछ और चार्ज साबित हो गये हैं। खुद बोर्ड ने अगस्त, १९५५ में एक रिजोल्यूशन पास किया था कि उसको सुपरसीड कर दिया जाय और इसलिये यह गवर्नमेंट के विचाराधीन है कि इस बोर्ड को सुपरसीड कर देना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार उन ६ चार्जेज को मुख्तसर में बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे ख्याल में ये चार्जेज जेरेगौर ह क्योंकि उनका ऐलान करना शायद मुनासिब न हो।

तारांकित प्रश्न

खसरा और खतौनी की नकल लेने के लिये आदेश

*१--**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लेखपालों द्वारा खसरे और खतौनी की नक़ल दिलवाने के लिये उसने गांव के सभापतियों को किस प्रकार का अधिकार दिया है ?

माल-उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--यदि लेखपाल अपेक्षित उद्धरण देने से इनकार करता है या उस सम्बन्ध में लापरवाही करता है, तो सम्बन्धित व्यक्ति भूमि प्रबन्धक समिति के सभापति के पास प्रार्थना-पत्र भेज सकेगा और तब उक्त सभापति प्रार्थी द्वारा सम्बद्ध उद्धरण प्राप्त किये जाने तथा लेखपाल को निर्धारित शुल्क दिये जाने के लिये एक तारीख निश्चित करेगा जो साधारणतया प्रार्थना-पत्र की तारीख से १५ दिन से अधिक समय की न होगी और वह लेखपाल को भी शीघ्रातिशीघ्र इसकी सूचना देगा, यदि लेखपाल निश्चित तारीख को उद्धरण देने में असफल रहे और इस असफलता के लिये समुचित कारण रहे, तो सभापति उक्त निश्चित तारीख को बढ़ा सकता है। यदि मनमानी तौर पर एवं लापरवाही से लेखपाल निश्चित तारीख या बढ़ाई गई तारीख तक उद्धरण प्रस्तुत न करे, तो सभापति तहसीलदार को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट करेगा और तहसीलदार शीघ्रातिशीघ्र उद्धरण जारी किये जाने की व्यवस्था करेगा और साथ ही साथ सभापति परगने के अधिकारी असिस्टेन्ट

नोट --अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

कलेक्टर के पास संबंधित लेखपाल के विरुद्ध अनुशासन की समुचित कार्यवाही करने के लिये रिपोर्ट भी भेजेगा ।

*२--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या इस नियम की सूचना प्रत्येक गांव सभापति तथा लेखपाल को दे दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अधिकतर जिलाधीशों ने प्रत्येक लेखपाल तथा सभापतियों को इस नियम की सूचना दे दी है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार को पता है कि लेखपाल आम तरीके पर भूमि प्रबन्धक समिति के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और न सभापति से सहयोग ही करते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी बात नहीं है । लेखपाल लोग बराबर इसमें काम करते हैं और दिलचस्पी लेते हैं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जनता को इस व्यवस्था की पूरी जानकारी हो जाय और वह इससे लाभ उठाये इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--कलेक्टरों ने भूमि प्रबन्धक कमेटी के प्रधानों को यह इत्तला दे दी कि यह उनको अधिकार है । इसके अलावा पंचायत राज्य पत्रिका में लेखपालों की जिम्मेदारियों और कर्त्तव्यों के सिलसिले में और किस तरह से उनको एक्सट्रेक्ट आदि देना है एक लेख निकाला गया । इसके अतिरिक्त जो जनता के प्रतिनिधि यहां हैं उनको भी यह बतलाया जा चुका है कि पहले पटवारी के अधिकार क्या थे और अब लेखपाल के क्या हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--यह सूचना जो सरकार ने नम्बर २ में बताई है यह कब दी गयी ?

श्री चरण सिंह--८ अप्रैल, १९५४ को ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या मंत्री महोदय काश्तकारों को सुविधा के साथ खतौनी और खसरा के इन्तखाब मिल सकें इस दृष्टि से गांव समाज के सभापतियों के पास उसकी प्रतिलिपियां रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चरण सिंह--कुछ दिनों के बाद ऐसा करने का सरकार का विचार है, गालिबन १३६४ फ़सली में ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--प्रश्न नम्बर २ के उत्तर में है "अधिकतर जिलाधीशों ने" तो कितने जिलाधीशों ने ऐसी सूचना दे दी है और कितनों ने नहीं दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--करीब-करीब सब ने दे दी है । दो जिलों से उत्तर नहीं आया था इसलिये अधिकतर कहा गया है । अब शायद वहां से भी आ गया हो ।

जौनपुर जिलान्तर्गत मड़ियाहूं तहसील में सई की बाढ़ से हानि

*३--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर के मड़ियाहूं तहसील में सई की बाढ़ से मौजा रुकुनपुर, फत्तूपुर, ऊगापुर, महमदपुर, ताजुद्दीनपुर, कैलावर, उनचली कलां व खुर्द, रामपुर नद्दी, कटेसर व केड़वारी आदि ग्रामों में कितनी फसल नष्ट हुई तथा कितने मकान क्षतिग्रस्त हुये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६८ पर)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——सूची में सीरियल नम्बर १ पर दिया गया है कि ११३ मकान गिरे, २ नम्बर पर ८० मकान गिरे, ४ नम्बर पर १२१ मकान, ५ वें पर ९८ मकान और ९ वें पर ८३ मकान गिरे बताये गये हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जिन गांवों में मकान गिरे हैं उनको अलग बसाने या ऊंचा करने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की या कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——अलग बसाने की तो बात नहीं है। वैसे उनको तकावी वगैरह देन की व्यवस्था है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्दशा न हो, इसके लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह——जिले भर में कुछ गांव निर्धारित किये गये थे जिनको ऊंचा किया जायगा। आया यह गांव उनमें शामिल हैं या नहीं, इस समय यह नहीं कहा जा सकता है। इस समय इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। वैसे हमें उम्मीद है कि यह मुसीबत जौनपुर में ८५ वर्ष तक नहीं आयेगी, क्योंकि यह मुसीबत ८५ वर्ष बाद आई है।

*४-६——**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)——[२७ दिसम्बर, १९५५ के लिए प्रश्न ६२-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७-८——**श्री बसंत लाल** (जिला जालौन)——[२६ दिसम्बर, १९५५ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली जिले के अमीन का सरकारी रुपया लेकर पाकिस्तान भाग जाना

*९——**श्री नत्थू सिंह** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली के कुछ अमीन सरकारी रुपया लेकर पाकिस्तान चले गये ? यदि हां, तो उनके जिम्मे सरकारी रुपया कितना-कितना है और वे किस तहसील में काम करते थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——जिला बरेली का केवल एक अमीन सरकारी रुपया लेकर पाकिस्तान चला गया है। उसके जिम्मे ३,४८० रु० ८ आना ६ पाई है। वह नवाबगंज तहसील में काम करता था।

श्री रामचरन लाल गंगवार (जिला बरेली)——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वे सज्जन कौन थ और नियुक्ति के समय उनकी कोई जमानत ली गई थी या नहीं ?

श्री चरण सिंह——जमानत ली गई थी। नाम मालूम तो है, लेकिन उसके मालूम करन से कोई फायदा होता हो तो बतला सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि गैर जरूरी है। तीन हजार की जमानत उससे वसूल की जायगी, क्योंकि कुछ तनख्वाह शेष है और कुछ रुपया सेविंग्स बैंक में जमा है। करीब-करीब सारा नुकसान पूरा हो जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——क्या सरकार बतलायेगी कि जमानत नकद थी या किसी विशेष व्यक्ति ने जमानत की है, जिससे यह जमानत वसूल की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——जमानत तो अक्सर प्रापर्टी की होती है। इसमें ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता है कि कैसी जमानत थी। जमानत थी जरूर।

श्री रामचन्द्र विकल——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस व्यक्ति की सूचना उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दी है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

*१०-११---श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)---(१५ दिसम्बर, १९५५ के लिय प्रश्न ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किय गये ।)

गाजीपुर जिले की गैरमजरुआ जमीन

*१२---श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)---क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में कुल कितनी ऐसी जमीन है जिस पर खेती नहीं होती सिर्फ रेह होती है और कितने ऐसे चक हैं जो ५० बीघा या उससे अधिक के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी गैर मजरुआ (uncultivated) जमीन की जिसमें रेह ही होती हो सूचना प्राप्त नहीं है । इस बारे मे सूचना प्राप्त करने में बहुत धन और समय लगेगा ।

श्री भोला सिंह यादव---क्या यह सत्य है कि जहीराबाद और पचतौर में कुछ जमीन परती पड़ी हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कुछ जमीन परती पड़ी होगी ।

बदायूँ जिले में हाट-बाजारों का मुआविजा

*१३---श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बदायूं में कितने हाट-बाजार ऐसे हैं जिनका मुआवजा भूतपूर्व जमींदारान को देना स्वीकार हुआ है ?

श्री चरण सिंह---जिला बदायूं में १३१ हाट-बाजार ऐसे हैं जिनका मुआवजा जमींदारों को दिया जा रहा है ।

* १४---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---[९ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५---१६---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---[१७ जनवरी, १९५६ के लिये प्रश्न ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

* १७---श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[२६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१८---श्री यमुना सिंह ---[९ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

सदर तहसील, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी के कार्य में कर्मचारियों की कमी

*१९---श्री ब्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील सदर, जिला आजमगढ़ में होने वाली चकबन्दी में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--- आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत ६२९ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

*२०---श्री ब्रज बिहारी मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला चकबन्दी अधिकारी ने सरकार से प्रार्थना की है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दिय जाने की आज्ञा दी जाय, क्योंकि इतने लोगों से काम सुचारुरूप से नहीं हो सकेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां ।

*२१--श्री व्रज बिहारी मिश्र--यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री व्रज बिहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कम कर्मचारी होने के कारण कार्य में कठिनाई पड़ रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कठिनाई तो होती ही है जब आदमी कम होते हैं। लेकिन यहां कमी पूरी कर दी गई है और इधर-उधर से लोग भेज दिये गय ह और काम हो रहा है।

श्री व्रज बिहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका अंतिम निर्णय कब तक सरकार करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--निर्णय जल्दी ही हो जायगा और कुछ प्रबंध तो वहां हो गया है।

श्री व्रज बिहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि चकबंदी का क्षेत्र और बढ़ा दिया गया है, इससे कार्य और विस्तृत हो गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--विस्तृत हुआ था, इसीलिये आदमियों की कमी पड़ गई, क्योंकि ठीक अंदाजा नहीं हो सका कि कितने आदमी रखे जायं।

ग्राम कटरा दीवान खेरा, जिला उन्नाव में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*२२--श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि गत २९ मई को ग्राम कटरा दीवान खेरा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में भीषण आग लगने से ३३ घर सम्पूर्ण भस्मीभूत हो गये और इन घरों का अनाज, भूसा, कपड़े सब जल कर भस्म हो गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ग्राम कटरा दीवान खेरा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में २९ मई, १९५५ को नहीं, अपितु ३० मई, १९५५ को भीषण आग लग गई। भस्मीभूत मकानों की संख्या ३३ नहीं वरन् ३१ है। यह सही है कि इन घरों का अनाज, भूसा, कपड़े सब जलकर भस्म हो गये।

*२३--श्री देवदत्त मिश्र--यदि यह सही है तो सरकार ने इन परिवारों को क्या सहायता दी ह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सरकार ने आग से क्षतिग्रस्त ११ व्यक्तियों को २२० रु० अहेतुक सहायता (अनुदान) के रूप में बांटा। ३,४०० रु० तकावी के रूप में दिये गये।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन भस्मीभूत ३१ घरों के मालिकों का कितना नुक़सान हुआ ह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--५२,६७९ या ५२,६८० रुपये के क़रीब हुआ है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ११ व्यक्तियों को २२० रु० की अहेतुक सहायता दी गई है उनका कितना नुक़सान हुआ ह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा --इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या मंत्री जी इन ११ व्यक्तियों के पास कुछ नहीं बचा तो २० रुपय की अहेतुक सहायता को पर्याप्त समझते हैं ?

श्री चरण सिंह—कुछ नहीं बचा तभी तो ग्रेचुएटी रिलीफ दी गई है। कितना नुक़सान हुआ है उसमें अहेतुक सहायता का मुक़ाबला नहीं किया जा सकता।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि अहेतुक सहायता इतनी दी जाय कि वह अपनी व्यवस्था तो कर सकें ?

श्री चरण सिंह—यह सवाल तो हमेशा राय का रहता है कि कितनी सहायता काफी है और कितनी नहीं। लेकिन वहां ग्रामसभा ने भी उनको कुछ इमदाद दी, कुछ व्यक्तियों ने भी उनको मदद दी, यह इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से हुई। तो गवर्नमेंट तो यह चाहती है कि जितना नुक़सान हुआ है वह सब पूरा कर दिया जाय, लेकिन सवाल यह है कि कितना रुपया हमारे पास है।

मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील—इमारत की खराब हालत

*२४—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या माल मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील राबर्ट्सगंज की इमारत की छत इतनी पुरानी हो गई है कि बरसात में अक्सर काम बन्द कर देना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील राबर्ट्सगंज की इमारत बहुत पुरानी है। इस की छत कहीं कहीं टपक रही थी, परन्तु अब उसकी मरम्मत हो जाने के कारण नहीं टपकती। काम बंद कर देने की नौबत नहीं आई।

*२५—श्री रामस्वरूप—क्या माल मन्त्री को पता है कि तहसीलदार के क्वार्टर का आधा भाग बिना मरम्मत गिरने की हालत को पहुंच रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसीलदार के क्वार्टर का एक भाग खराब हालत में था पर अब उस भाग की मरम्मत हो रही है और उसकी हालत ठीक है।

*२६—श्री रामस्वरूप—क्या माल मन्त्री जी को मालूम है कि नये सब-ट्रेजरी अफ़सर को उपर्युक्त राबर्ट्सगंज तहसील में बैठने की ठीक व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिये नया कमरा बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह ठीक है कि सब-ट्रेजरी अफसर के लिये उक्त तहसील में अलग कोई कमरा बैठने के लिये नहीं है। सब-ट्रेजरी में काम बढ़ जाने के कारण एक नये सब-ट्रेजरी अफसर की नियुक्ति ३१ मार्च सन् १९५६ तक के लिये की गई है। इसी-लिये इस थोड़े से समय के लिये अलग कमरा बनवाने का विचार नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि राबर्ट्सगंज की जो इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है क्या वह उसका नवनिर्माण कराने का विचार कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह कहा गया है कि मरम्मत की जा रही है वह कब से की जा रही है और अभी पूरी हुई है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मरम्मत तो अब शायद जरूर पूरी हो गई होगी।

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में गैर सरकारी मोटरों की मरम्मत

*२७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में सरकारी मोटरों के अतिरिक्त दूसरी मोटरों की भी मरम्मत की जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——जी हां। सरकारी कार्य की अवहेलना के बिना यदि सम्भव होता है तो रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप में गैर सरकारी मरम्मत का कार्य भी स्वीकार किया जाता है।

*२८——**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**——क्या यह सही है कि बाहरी मोटरों की मरम्मत के लिये वर्कशाप में अलग से स्टाफ रक्खा जाता है ? यदि हां, तो उस पर वार्षिक कितना व्यय होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——जी नहीं। गैर-सरकारी मरम्मत के लिये अलग से कोई स्टाफ नहीं रखा जाता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के गैर-सरकारी कामों से वर्कशाप को कुछ लाभ होता है ? यदि हां, तो १९५१-५२ में कितना लाभ हुआ ?

श्री अध्यक्ष——यह ४, ५ साल पहले का सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके सिलसिले में सूचना दी थी, लेकिन वह अस्वीकार हो गई और अब आप सप्लीमेंट्री पूछने की इजाजत नहीं देते।

श्री अध्यक्ष——आप प्रश्न को दो भागों में पूछिये। पहले वह कमिट तो करें तब आप पूछ सकते हैं आगे की बात।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी——क्या वर्कशाप को इस गैर-सरकारी काम से कुछ लाभ हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——जरूर कुछ लाभ होता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी——क्या सरकार बतायेगी कि १९५१-५२ में कितना लाभ हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

*२९——**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)——[१३ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जमींदारों के लिए रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट

*३०——**श्री मुश्ताक अली खां** (जिला बदायूं)——क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जमींदारों को Rehabilitation grant कब से दी जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——सरकार को आशा है कि जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट के निर्धारण तथा भुगतान का कार्य जनवरी/फरवरी, १९५६ से आरम्भ कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में रिहैबिलिटेशन ग्रांट सम्बन्धी नियमों के संशोधन का काम पूरा किया जा रहा है।

श्री मुश्ताक अली खां——क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि इस सिलसिले में जो नियम बन रहे हैं वह कब तक तैयार हो जायंगे ? क्या जनवरी, फरवरी के पहले तैयार हो जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—— जी हां। इस महीने में आशा की जाती है कि पूरे हो जायेंगे और इसीलिये जनवरी से काम शुरू होगा।

श्री मुश्ताक अली खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि कंपैंसेशन किस प्रपोर्शन से अदा हुआ है । यह रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट उसी प्रपोर्शन से दी जायगी या उससे कुछ ज्यादा ?

श्री चरण सिंह--रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट तो जमींदार की हैसियत के मुताबिक होगी । अगर छोटा जमींदार था तो उसको २० गुना तक मिल सकता है । अगर बड़ा जमींदार था तो उसको एक ही गुना मिलेगा । यह तो ऐक्ट में दिया हुआ है, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट नक़द दी जायगी या बान्ड की शकल में दी जायगी ?

श्री चरण सिंह--दोनों में ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट कितने समय तक दी जायगी यानी कब से कब तक ?

श्री चरण सिंह--इसको कोई मियाद नहीं है । जब वह दरख्वास्त देंगे तभी मिल जायगी ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलायेगी कि नक़द रुपया कहां तक कितने रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट पाने वालों को दिया जायगा और बान्ड कितने वालों को दिया जायगा ?

श्री चरण सिंह--डिसाइडिंग लाइन ५० रुपये पर है ।

कृषि विभाग के बीज गोदामों के साथ कथित प्रदर्शन फार्म

*३१--श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कृषि विभाग के बीज गोदामों के साथ जो प्रदर्शन फार्म (Demonstration farms) खोले गये थे उन पर विभाग द्वारा खेती होती है या बन्द कर दी गई है ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--कृषि विभाग के बीज गोदामों के साथ कोई भी प्रदर्शन फार्म (Demonstration farms) नहीं खोले गये थे । अतः खेती करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३२--श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)--कानपुर जिले में किन-किन सरकारी बीज गोदामों से संलग्न ऐसे फार्म खोले गये थे और उस जमीन का अब क्या उपयोग किया जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--कानपुर जिले में सरकारी बीज गोदामों से संलग्न कोई भी ऐसे फार्म नहीं हैं ।

*३३--श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)--[२७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

देवरिया जिले में अधिवासियों की संख्या

*३४--श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की प्रत्येक तहसील में अधिवासियों की क्या संख्या है ?

नोट --तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री रामदुलारे मिश्र ने पूछे ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—देवरिया जिले की प्रत्येक तहसील में अधिवासियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

तहसील		संख्या
देवरिया	...	५०,९३६
सलेमपुर	...	७९,४४५
हाटा	...	२४,५५२
पडरौना	...	४५,९२८
कुल योग	...	२,००,८६१

श्री शिव प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो अधिवासी वहां पर हैं उनमें कुछ ऐसे अधिवासी भी सम्मिलित हैं, जो केवल कागज में अधिवासी दर्ज हैं, और खेत पर असल काश्तकार काबिज हैं ?

श्री चरण सिंह—हो सकता है कुछ ऐसे हों ।

श्री शिव प्रसाद—क्या यह सही है कि देवरिया जिले में बहुत से खेत ऐसे हैं कि जिनका अधिवासी कोई और, काबिज कोई और और खेत किसी और के कब्जे में है, अगर ऐसी बात है तो सरकार इस सम्बन्ध में छानबीन करेगी ?

श्री चरण सिंह—हो सकता है कि कुछ ऐसे खेत हों । अब अधिवासी के सिलसिले में जो पिछले साल हमने कानून पास किया था उसके मातहत अधिवासी का जो क्षेत्रपति है, लैन्ड होल्डर अगर कागज में अधिवासी का नाम दर्ज है तो क्षेत्रपति के पास नोटिस जायगा प्रतिकर का कि तुम्हारा इतना प्रतिकर तय हुआ । वह आकर उज्रदारी कर सकता है कि वह अधिवासी है या नहीं । तो यह सब कागजात दुरुस्ती का काम मेरा ख्याल है कि मार्च, अप्रैल तक हो जायगा ।

श्री शिव प्रसाद—क्या सरकार बतलायेगी कि अधिवासियों में से कितने को भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हुये हैं ?

श्री चरण सिंह—सारे अधिवासियों को सीरदार के अधिकार दिये जा चुके हैं ३० अक्तूबर सन ५४ को । उनमें से १० गुना दाखिल करेंगे तो वह भूमिधर हो सकत ह । इसका हिसाब नहीं रखा गया है ।

हाटा तहसील में दसगुना जमा करने वालों को सनद न मिलना

*३५—**श्री शिव प्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाटा तहसील के दसगुना जमा करने वाले किसानों में कितने को अभी तक उसकी सनद नहीं मिली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हाटा तहसील में एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसने दसगुना की पूरी रकम जमा कर दी हो और उसे सनद न मिली हो ।

श्री शिव प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हाटा तहसील में बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने दो आना गन्ना कटौती में से १० गुना जमा किया है, लेकिन उनको सनद अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हो सकता है कुछ ऐसे किसान हों।

श्री शिव प्रसाद—क्या ऐसे किसानों को जिनको सनद नहीं मिली उनको सरकार तत्काल दिलाने की कृपा करेगी।

श्री चरण सिंह—दो आना गन्ने के सिलसिले में जिन लोगों ने कटाया था तो अभी तक वह वहां से हिसाब किसी जिले में नहीं आया। इसलिये उनको नहीं मिल सकी। बाकी जिन्होंने तहसील में १० गुना जमा कराया था उन सबको मिल चुकी है। इसलिये गन्ने वालों ने कहां-कहां कितना जमा कराया है यह मालूम नहीं हो सका है। वैसे हम सब के लिये कोशिश कर रहे हैं और कोआपरेटिव फेडरेशन से हिसाब आते ही यह सब काम हो जायगा।

लेखपालों को कानूनगो का पद मिलना

*३६—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने कानूनगो पदों की नियुक्तियों में कोई खास प्रतिशत लेखपालों के लिये निश्चित कर रखा है ?

श्री चरण सिंह—जी हां। पटवारियों के पुनस्संगठन के बाद सुपरवाइजर कानूनगो के ५० प्रतिशत पद उन लेखपालों के लिये सुरक्षित हैं जिनकी सेवायें दस वर्ष की हो चुकी हैं।

परगनाधीश, घोसी, जिला आजमगढ़ को सीरदार एवं अधिवासी किसानों के आवेदन-पत्र

*३७—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के अन्तर्गत हृदय पट्टी, बेलगदा पट्टी, नेमडाढ़, कतकौली, मुरारपुर, हंकारीपुर तथा कन्धरापुर गांवों के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा सीरदार एवं अधिवासी किसानों के खतों पर जबरदस्ती कब्जा करने तथा फसल काटने की शिकायत प्रदेशीय सरकार एवं जिलाधिकारियों के पास आई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

*३८—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों के सीरदार एवं अधिवासी किसानों ने स्टैम्प लगाकर लिखित आवेदन-पत्र, १४ अगस्त, सन् १९५५ को परगनाधीश घोसी के यहां दिया था। यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—केवल हृदय पट्टी, कतकौली और हंकारीपुर गांवों के सीरदार एवं अधिवासी किसानों के स्टैम्प लगे हुये सात प्रार्थना-पत्र परगनाधीश, घोसी को १४ अगस्त, १९५५ को मिले गये थे जो केवल जमकी देने के विषय में थे। इन पर पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही हो रही है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार इसकी जानकारी करायेगी कि मुरादपुर गांव के जहांगीर हुसैन ने २९-९-५५, २२-९-५५, २७-९-५५, १७-९-५५ और १८-८-५५ को पुलिस मन्त्री, पुलिस कप्तान और थानदार के पास किस आशय की दरख्वास्तें भेजी थीं ?

श्री चरण सिंह—रेवेन्यू विभाग के आफिसर्स के पास जो दरख्वास्तें आयी थीं उनका जवाब दिया जा चुका है, जो दरख्वास्तें और विभागों में दी गयीं उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामन्दर पान्डे) प्रश्न में आपने प्रदेशीय सरकार के पास शिकायत के बारे में प्रश्न पूछा है अब आप पुलिस मन्त्री भी कह रहे हैं। इसलिये आप फिर से सवाल करें तब उत्तर दिया जायगा।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय——क्या यह सही है कि इस गांव के ७ किसानों न दरख्वास्तें नहीं दीं बल्कि १३ किसानों ने दीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——प्रार्थना-पत्र ७ आये हैं, अब यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रार्थना-पत्र कितने आदमियों के हैं ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय——क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १४-८-५५ को दरख्वास्त देने के बावजूद भी कतकौली के बरसन लुहार की माता को मारा गया और जिसका डाक्टरी मुआयना भी कराया गया तथा अधिकारियों से रिपोर्ट भी की गयी, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया ?

श्री चरण सिंह——यदि यह वाकया पहले बता दिया होता तो तहकीकात करा ली जाती । उन ७ प्रार्थना-पत्रों के मिलने के बाद १०७/११७ की कार्यवाही की गयी उन जमींदारों के खिलाफ, जो मुखालिफ थे ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय——जिन लोगों के खिलाफ दफा १०७ की कार्यवाही की गयी वह घोसी की परगना अदालत में जाने पर उन्होंने उसको वापिस कर दिया और कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री चरण सिंह——जवाब दिया जा चुका है कि दफा १०७ की कार्यवाही इन दरख्वास्तों पर हो रही है ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय——क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो दरख्वास्तें दी गयीं थीं क्या उन गांवों के किसानों ने पुलिस मन्त्री, पुलिस कप्तान और थानेदार के पास इस आशय की दरख्वास्तें दी थीं कि भूतपूर्व जमींदार उनके खेतों पर कब्जा कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह——जो दरख्वास्तें दी गयी थीं उन पर १०७/११७ की कार्यवाही हो रही है । माननीय मित्र मुझसे मिलने की कृपा करें, बातचीत हो जाय कि पुलिस कप्तान के यहां किस बात की दरख्वास्त दी गयी, शायद कुछ गलतफहमी हो, वह दूर हो जायगी ।

खीरी जिले की मुहम्मदी तहसील में भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का वितरण

*३९——**श्री राम भजन** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूदान आन्दोलन के सिलसिले में तहसील मुहम्मदी, जिला खीरी में कितनी भूमि प्राप्त हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——भूदान यज्ञ में तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में ३० सितम्बर, १९५५ तक ४३६·१६ एकड़ भूमि प्राप्त हुई ।

*४०——**श्री राम भजन** (अनुपस्थित)——उपर्युक्त आन्दोलन द्वारा प्राप्त कितनी भूमि अब तक वितरित की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——उपरोक्त प्राप्त भूमि में से ३९०·६७ एकड़ भूमि काश्तकारों को वितरित की जा चुकी है ।

*४१——**श्री राम भजन** (अनुपस्थित)——वितरित की हुई भूमि में भी अब तक उक्त तहसील म कितने दानदाताओं को अब भी लगान अदा करना पड़ता ह ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——उपरोक्त वितरित भूमि के दानदाताओं में से किसी को भी अब लगान नहीं देना पड़ रहा है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३९-४१ श्री व्रजभषण मिश्र ने पूछे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो भूदान में भूमि प्राप्त हुई हैं उसके नम्बरान वन विभाग को दे दिये गये हैं और कुछ ग्राम समाज को भी दये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---यहीं तहसील मुहम्मदी में ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---जी हां ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना नहीं है और इस जिले में तो शायद ऐसा हुआ नहीं है ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि शेष भूमि का वितरण अब तक क्यों नहीं हो सका है ?

श्री चरण सिंह---इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है । यह काम जिले की भूदान समिति का है और वह ४३६ एकड़ में से ३९० एकड़ अब तक तकसीम कर चुकी है । इसलिये कोई विशेष शिकायत की बात भी नहीं है ।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ भूमि ऐसी थी जो कृषि योग्य नहीं थी ?

श्री चरण सिंह---हो सकता है । इसकी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है । जिन्होंने ली है कृषि करने के लिये ली है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो भूमि भूमिदान में मिली है, उसमें जो दरख्त हैं उनका क्या होता है ?

श्री चरण सिंह---पुराना कानून है और कायदा है कि दरख्त जमीन के साथ जाते हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह नम्बरान जो गजट में प्रकाशित कर दिये गये हैं, वही भूमिदान में हैं, तो ऐसा मालूम होने पर आप क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप कानून का सवाल और शर्तिया सवाल पूछ रहे हैं । आप कमरे में जाकर पूछ लें । यह उठता नहीं है ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन भूदानों से सम्बन्धित काम करने के लिये माल विभाग द्वारा जिले या तहसील के हेडक्वार्टर पर कर्मचारी भी रखे गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कोई कर्मचारी नहीं रखे गये ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जमीन खराब भूदान में मिली है उसके अच्छा करने के लिये सरकार क्या कोई विशेष अनुदान देती है ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं । कोई विशेष अनुदान इस तरह का जिनको दान मिलता है उनको नहीं दिया जाता । जो आम किसानों के लिये है वही उनके लिये है । एक रियायत जरूर है । वह यह है कि अगर जमीन खराब है तो ऐसी जमीन की तीन साल के लिये माल-गुजारी नहीं ली जाती ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि जो जमीन भूदान में मिली है उस पर जो पेड़ हैं वह जिसको जमीन मिली है उसको न मिल करके कुछ लोग उन पेड़ों को बेच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--आप तहसील मुहम्मदी के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल--जी हां ।

श्री चरण सिंह--वह तो भूदान समिति दान देने वाली है। दान देने वाला क्या देता है और क्या रोक लेता है अपने पास इसमें न गवर्नमेंट बीच में आती है और न माननीय सदस्य।

*४२-४४--**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)--[९ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले की पडरौना तहसील के अन्तर्गत बाढ़-ग्रस्त ग्रामों को सहायता

*४५--**श्री जगन्नाथ मल्ल**--क्या सरकार देवरिया जिले के पडरौना कानूनगो सर्किल के उन गांवों की सूची जो सन् १९५४ तथा १९५५ में बाढ़-ग्रस्त हुये हैं, मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वांछित सूचियां मेज पर रख दी गयी हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९ पर)

*४६--**श्री जगन्नाथ मल्ल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र के कितने गांव जून सन् १९५५ के पूर्व ऊंचे किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उक्त क्षेत्र के ६ गांवों की पूरी तौर से तथा ११ गांवों के कुछ टोलों की सतह जून, १९५५ के पूर्व ऊंची की गई।

*४७--**श्री जगन्नाथ मल्ल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र के बाढ़-ग्रस्त गांवों को इस वर्ष कितनी सहायता कितने-कितने रुपयों की दी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उक्त क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त तथा जल-बाधित गांवों में इस वर्ष १,५४८ रु० की अहेतुक सहायता (अनुदान) तथा २३,०९० रु० की तकावी बांटी गयी तथा १५० रुपये नावों के किराये पर खर्च हुये । इसके अतिरिक्त गरीबों को वस्त्र भी बांटे गये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या यह सही है कि पिछले साल से इस साल बाढ़ का प्रकोप ज्यादा रहा है और ज्यादा गांव बाढ़ग्रस्त हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो सूची दी गई है उसमें लिखा है कि कितने गांवों में इस साल बाढ़ आई है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या यह सही है कि पडरौना तहसील के तहसीलदार ने ठीक से जांच नहीं कराई और पिछले साल से भी दस गांव कम सूची में दिये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है ।

श्री व्रज भूषण मिश्र--क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनके दरवाजे बहुत नीचे दब गये हैं और तंग हो गये हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां, जिनके दरवाजे नीचे हो गये हैं उनमें से बहुतों ने तो ऊंचे कर लिये हैं और बड़ा अच्छा हो अगर माननीय सदस्य जाकर देख आवें कि किस तरह से लोग वहां दरवाजे ऊंचे कर रहे हैं।

श्री व्रज भूषण मिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो गांव ऊंचे किये जा रहे हैं उनमें जो सार्वजनिक कुएं नीचे पड़ते जा रहे हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिये भी कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वहां कुंओं की जगत भी ऊंची की जा रही है और वह इस विचार से कि बाढ़ का पानी उनमें न जाने पाये और जहां पर गांव ऊंचे किये जा रहे हैं वहां मैं स्वयं जाकर कुंये ऊंचे उठते देख आया हूं।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनमें फी गांव औसत खर्च कितना आया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसक औसत का तो अभी अन्दाजा नहीं है, लेकिन वह प्रति गांव दस बारह हजार के बीच में आवेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सही है कि जो ठेकेदार इन गांवों को ऊंचा कर रहे हैं वह खाली जमीन रहते हुये भी गांवों के चारों तरफ से मिट्टी निकाल कर गड्ढा कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनको आदेश है कि एक फुट से अधिक मिट्टी कहीं से न ली जाय, परन्तु यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो माननीय सदस्य बता दें तो बड़ी कृपा होगी और उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार पश्चिमी जिलों में जहां बाढ़ आई है वहां भी गांवों को ऊंचा उठाने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो कोई भी नीचा हो उसको ऊंचा उठाने की कोशिश की जा सकती है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जिन गांवों में बाढ़ आई थी उनमें घर भी गिर गये थे, क्या उनको बनाने के लिये भी कोई सहायता दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रुपया तकावी के रूप में दिया गया है और जहां जरूरत होगी और दिया जायगा।

श्री रामेश्वर लाल—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इस क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त घरों की सहायता के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

श्री चरण सिंह—कुछ तो इत्तला सवाल के जवाब में आ चुकी है और बाकी तफसील जिलों से माननीय मित्र मालूम कर सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो वस्त्र-वितरण गरीबों को हुआ है वह किस आफिसर के द्वारा हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि पडरौना तहसील में बाढ़ का पानी लगने के कारण जो गांवों को नुकसान हुआ था उसकी रिपोर्ट तहसीलदार साहब और हाकिम परगना को दी गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

मुरादाबाद में रोडवेज के अस्थायी स्टेशन पर व्यय

*४८—**श्री जगदीश प्रसाद** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि मुरादाबाद में रोडवेज का अस्थायी स्टेशन बनाने पर क्या व्यय हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुरादाबाद में रोडवेज का अस्थायी बस-स्टेशन बनाने पर ५,३५१ रु० एक आना व्यय हुआ।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन ५,३५१ रुपये में गोंच की भूमि जो ली गई है उसका किराया भी शामिल है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——नहीं, इसमें किराया तो नहीं है। यह तो खर्चा लोहा वगैरः जो चीजें खरीदी गईं उनका है।

श्री जगदीश प्रसाद——वह भूमि किस किराये पर और कितने दिनों के लिये ली गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——इसके लिये सूचना की जरूरत होगी यह तो बिल्कुल दूसरा सवाल है।

*४९——**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)——[२ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।

कानपुर रीजन में प्राइवेट मोटर बस चलाने वालों को मार्ग के प्रत्येक थाने में रिपोर्ट लिखाने का आदेश

*५०——**श्री शिववक्ष सिंह राठौर** (जिला मैनपुरी)——क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आर० टी० ओ०, कानपुर ने कानपुर रीजन के समस्त पुलिस अधिकारियों को यह आदेश प्रसारित किया है कि प्राइवेट मोटर बस वाले अपने आने-जाने की रिपोर्ट मार्ग के प्रत्येक थाने में लिखायें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——जी हां।

श्री शिववक्ष सिंह राठौर——क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा आदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——आवश्यकता इसलिये हुई कि जो प्राइवेट आपरेटर्स थे उनके जो रूट्स लगे हुये हैं उन्हीं पर वे गाड़ियां नहीं ले जाते। इसलिये लोगों को शिकायत थी कि वे अपने पूरे रूट्स पर न जाकर जहां तक सुभीता होता था वहां जाते थे, लेकिन अब यह आदेश हो रहा है कि इस तरह के आदेश वापस ले लिये जायं।

*५१-५३——**श्री रामेश्वर लाल**——[२६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

'मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड' को ऋण

*५४——**श्री देवकी नन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस वर्ष में कितने रुपये मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लि० को कितने मकान बनवाने के लिये दिये गये ? इनमें से कितने लागत के कितने मकान बने ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)——गोविन्दपुरी, मोदीनगर में गृह-निर्माण के लिये सरकार ने मेसर्स मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लि० को चार किश्त में कुल ३० लाख रुपये का ऋण दिया। प्रथम दो किश्त दस-दस लाख रुपये के वित्तीय वर्ष १९४९-५० में दिये गये तथा तीसरा किश्त ७ १/२ लाख का और चौथा २ १/२ लाख का वित्तीय वर्ष १९५०-५१ में दिया गया। पूरी स्कीम लगभग दो करोड़ रुपये की थी जिसमें उद्वासित व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार पांच हजार मकान बनवाने का अनुमान था। ऋण दिये गये रुपये में कहां किस प्रकार के कितने मकान बनेंगे, इस बात की आज्ञा समय-समय पर सरकार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को देती है।

सरकार की आज्ञा से विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार तथा कम्पनी के तखमीने से ३२,३४,९७६ रुपये की लागत से अभी तक कुल १,०७९ मकान, दूकानें तथा कारखानें का निर्माण हुआ है। विभिन्न प्रकार के कितने मकान किस-किस लागत पर बने, इसकी सूचना संलग्न तालिका से उपलब्ध होगी। इन मकानों की, सरकारी दरों से, कीमत निकालने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७० पर)

*५५—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—सरकार ने यह ऋण किस दर पर दिया और उसमें से अब तक उसे कितना रुपया वापिस मिल चुका है ?

श्री हुकुम सिंह—कुल ऋण पौने चार रुपया सैकड़ा, प्रति वर्ष, सूद पर दिया गया है। इसमें से मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लि० ने अभी तक ३ लाख रुपया मूल की तरफ तथा १,२८,६४३ रुपया सूद की ओर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अन्तरिम प्रतिकर योजना (Interim Compensation Scheme of the Government of India) के अन्तर्गत बहुत से मकान उद्वासित व्यक्तियों को उनके प्रमाणित दावों (verified claims) के भुगतान में दे दिये गये हैं। कितनी कीमत के कितने मकान इस प्रकार उद्वासित व्यक्तियों को दे दिये गये हैं, इस बात की सूचना भारत सरकार से उपलब्ध होते ही उतना रुपया मेसर्स मोदीनगर कन्स्ट्रक्शन्स लि० के ऋण में से घटा दिया जायगा।

मोदीनगर में कथित इंडियन कोल्ड स्टोरेज ऐन्ड आइस कम्पनी लिमिटेड को ऋण

*५६—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—इंडियन कोल्ड स्टोरेज ऐन्ड आइस कम्पनी लि० को कितना रुपया किस दर पर किस वर्ष में दिया गया ? इस ऋण को देने के कारण क्या थे और उसमें से अब तक कितना रुपया वापिस मिल चुका है ?

श्री हुकुम सिंह—मोदीनगर में इस नाम की कोई कम्पनी नहीं है, अतः उसे ऋण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५७-५८—श्री राम दास—[२६ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिलाधीश द्वारा बाढ़-पीड़ितों को कपड़ा व गल्ला का वितरण

*५९—श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिलाधीश, गोरखपुर ने कितना रुपया और गल्ला बाढ़-पीड़ितों के लिये इकट्ठा किया और कितना-कितना बांटा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिलाधीश, गोरखपुर ने इस वर्ष बाढ़-पीड़ितों के लिये अन्य सामग्री के अतिरिक्त ३६,०२० रु० नकद तथा ३,१४२ मन अन्न एकत्र किया। उन्होंने बाढ़-पीड़ितों के लिये एकत्र किया हुआ कुल अन्न बांट दिया तथा नकद रुपये में से अब तक १२० रु० नकद, कुछ कम्बल तथा बच्चों के लिये १०,१३७ जोड़े कपड़े वितरित किये।

*६०—श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिलाधीश, गोरखपुर ने गोरखपुर पश्चिमी क्षेत्र में कितना गल्ला व रुपया बाढ़-पीड़ितों को बांटा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गोरखपुर के पश्चिमी क्षेत्र में जिलाधीश द्वारा एकत्र किये हुये धन से लगभग ४,००० रु० के मूल्य के वस्त्र—११७ कम्बल, १७५ साड़ियां तथा १,३०० जोड़े बच्चों के कपड़े बांटे गये।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह रकम रिलीफ कमेटी के द्वारा बांटी गई है या कलेक्टर साहब ने खुद बांटी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये तो सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बतावेंगे कि जो कपड़ा बच्चों को बांटा गया, वह पुराना था या नया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां तक ख्याल है नया खरीद करके दिया गया है।

श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह—क्या जिन व्यक्तियों से वह रुपया प्राप्त हुआ है, उनको रसीदें दी गई हैं या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जरूर दी गई होंगी ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी को यह विदित है कि बाढ़ क्षेत्रों में पुराने और ऐसे कपड़े बांटे गये जिनको लोगों ने पसन्द नहीं किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो कोई सूचना नहीं। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो माननीय सदस्य बतावें उसको देखा जायगा ।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस सदन की बैठक कब तक चलेगी और फिर जब बन्द होगी तो फिर कब से शुरू होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—यह इस वक्त की जो बैठक है, यह उससे जो बड़े दिन की छुट्टी आयेगी, उससे एक दो दिन पहले तक है और उसके बाद किस वक्त बैठक होगी उसके बाबत में अभी इस वक्त तो कुछ अर्ज नहीं कर सकता, मगर यह हो सकता है कि जब यह हाउस उठेगा उस वक्त उसके मुताल्लिक कुछ बताया जा सकेगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं एक दूसरी सूचना और चाहता हूं। इस हफ्ते की कार्यवाही क्या होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तो अभी तो यह कार्यवाही सामने रखी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मैं १४ तारीख को जो ग्रहण पड़ रहा है, उसके सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि सदन की बैठक होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह गजटेड हाली डे तो है नहीं । माननीय नेता सदन इसके बारे में कुछ बता सकें तो बता दें । १४ तारीख को जो ग्रहण पड़ रहा है उसके बारे में वह जानना चाहते हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि उस रोज हाउस बैठेगा या नहीं बैठेगा । लेकिन मैं इसके मुताल्लिक सही नहीं अर्ज कर सकता हूं । वैसे दफ्तर में तो शायद छुट्टी हो गई है । जब बैठकर काम करेंगे तो फिर सदन उससे ज्यादा काम करेगा ।

श्री व्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो समझते हैं कि सदन का हरएक माननीय सदस्य इस बात से सहमत होगा कि सूर्य ग्रहण की छुट्टी अवश्य होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—तो इसके बारे में पहले नेता सदन से उनके दफ्तर में बात कर ली जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

*उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४

† खंड १३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा ।

---

* १० फरवरी, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

† ८ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---मैं उस दिन बोल नहीं रहा था। लेकिन मैंने एक संशोधन जरूर दिया था पिछले फ़ाई डे को, वह मैंने १२-ए करके दिया था। मेरा निवेदन यह है कि वह १३-ए करके ले लिया जाय। मैंने १२-ए करके दिया था इसलिये शायद वह इसमें छपा नहीं है। १३-ए करके उसे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो खन्ड १३ समाप्त होने पर आप उसे लायें।

(श्री नारायणदत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं बोल चुका था।

पुलिस उप-मन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---श्री अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में जो शब्द बिल में दिये हुये हैं वे काफी हैं उनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती।

†श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मुझे दुःख है कि माननीय मन्त्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हैं। मैं अपने संशोधन द्वारा चाहता था कि स्थानों, विद्युत तथा अन्य उपकरणों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण तथा सम्बन्धित शुल्क दोनों की व्यवस्था हो जाय। लेकिन माननीय मन्त्री जी के विधेयक में (ङ) में केवल विद्युत उपकरणों के निरीक्षण की ही व्यवस्था है। स्थानों के निरीक्षण की ही व्यवस्था नहीं होगी तो शुल्क कैसे लेंगे और किस चीज का लेंगे? श्रीमन्, आप स्वयं पढ़ने का कष्ट करें। "ग" जो खंड है, उसमें स्थानों शब्द का प्रयोग किया गया है और विद्युत तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग किया गया है। तो फीस का प्रबन्ध है, लेकिन इन्सपेक्शंस का नहीं है। इस गलती को दुरुस्त करने के लिये मैंने "ग" और 'ङ' को मिलाकर फीस और इन्सपेक्शन दोनों का प्रबन्ध कर दिया। अगर माननीय मन्त्री जी तब भी इसकी शब्दावली को ठीक नहीं करना चाहते तो मैं मजबूर हूं।

श्री अध्यक्ष---क्या आप वापस ले रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (२) के भाग (ग) की पंक्ति २ में शब्द "शुल्क" के स्थान पर शब्द "तथा सम्बन्धित शुल्क" रख दिया जाय और खंड १३ के उपखंड (२) का भाग (ङ) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उप-खंड (२) के भाग (च) के बाद एक नया भाग (छ) निम्न रूप में रख दिया जाय---

"(छ) अन्य आवश्यक विषय जो नियत किये जायं।'

यह संशोधन केवल इसलिये रखा गया है कि अगर जनरल तरीके पर नियम में कोई बात रह गयी हो तो इसके अन्दर रखी जा सके। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो जुर्माने की सजा रखी गयी है उसकी वसूली का कोई नियम या धारा नहीं रखी गयी है और जहां तक जुर्माने की वसूली की बात है, मुझे दिक्कत मालूम होती है कि नियम के अन्दर सजा नहीं हो सकती। जब कोई जुर्माने का कानून बना है तो उसकी वसूली का नियम उसके बाद रखा गया है और जुर्माना हमेशा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार वसूल होता है, यह उसमें लिखा होता है। यह जो आने वाला विधेयक है, उसमें भी मैंने देखा है कि इस उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था विधेयक में लिखा गया है कि इस अधिनियम के अधीन लगाये गये जुर्माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड १८५८ के द्वारा ... . ।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष——यह आपने दूसरा संशोधन शुरू कर दिया ? आपका तो यह है अन्य आवश्यक विषय जो नियत किये जायं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——यह जो वसूली की बात है, उसको अन्य आवश्यक विषय जो नियत किये जायं, इसके अन्दर माननीय मंत्री महोदय देख लें कि इससे काम चल सकता है या नहीं और मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। वहां अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं दूसरे क्लाज में संशोधन जो मैंने दिया है, उसको रखूंगा, क्योंकि बिना इसके यह विधेयक अधूरा रह जायगा और जुर्माने की वसूली का कोई कायदा इस कानून के अन्दर नहीं है। इसलिये चाहे इसको कौंसिल में ले जाना पड़े चाहे जैसे इस कमी को पूरा करना चाहिये।

श्री जगन प्रसाद रावत——अध्यक्ष महोदय, उपखंड १३(२) में हमें यह अधिकार है कि 'अन्य आवश्यक नियम जो जरूरी समझें' वे बना लें। मेरा ख्याल है कि उससे काम चल जायगा ।

श्री अध्यक्ष——माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——मैं इसे वापस ले लेता हूं, क्योंकि नियम में तो बड़ी वाइड पावर्स रहती हैं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष——माननीय सीताराम शुक्ल जी ने एक संशोधन दिया है जो समय के बाद आया है, वह इस प्रकार है ——

"खंड १३ के उपखंड (२) के भाग (च) के बाद एक नया भाग (६) निम्न रूप में रख दिया जाय——

"सिनेमा भवनों में तमाशा प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा अन्य उपयुक्त समय में कुछ मिनट तक उत्तम कवियों, शायरों या गायकों अथवा नृत्यकारों की कला का मनोरंजनार्थ प्रदर्शन की व्यवस्था करना ।"

अगर किसी को आपत्ति न हो तो ... ...

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)——मुझको आपत्ति है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष——आपको आपत्ति है तो फिर मैं इसको नहीं ले सकता हूं। खंड १३ में अब और कोई संशोधन है नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष——अब एक दूसरा संशोधन माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी का है। यह भी नोटिस के समय के बाद मेरे पास आया है। वह चाहते हैं कि खंड १३ के बाद १३-अ इस रूप में रखा जाय :——

"इस अधिनियम के अधीन लगाये गये जुर्माने कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ द्वारा नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।"

इसके बारे में किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——श्रीमन्, पूर्व इसके कि कोई इस पर आपत्ति करे मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैंने इस संशोधन को देख कर रखा है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है ।

श्री अध्यक्ष——मगर संशोधन अलग तो है।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---मुझे इस पर आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---तो मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं।

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४

चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था की जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है---

संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार और प्रारंभ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा कि जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५५" रख दिया जाय।

चूंकि यह विधेयक पहले से चला आ रहा है इसलिये १९५४ लिखा गया था, लेकिन अब यह गलत हो गया है, क्योंकि यह पारित होगा १९५५ में। इसलिये १९५५ ही ठीक होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसे जरूर स्वीकार कर लेंगे।

श्री जगन प्रसाद रावत---साधारणतः तो जिस सन् में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वही लिखा रहता है। लेकिन यह तो अध्यक्ष महोदय को भी रूल १२० में अधिकार है कि वे चाहें तो सन् को बदल दें। संशोधन के रूप में तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, यह अधिकार तो मुझको है। यह बात सही है। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी, आप प्रेस कर रहे हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल---तो आप बदल दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष---हां, मैं बदल सकता हूं, कौंसिल के चेयरमैन से भी पूछ लेना होगा और दोनों देखकर बदलना उचित होगा तो बदल देंगे।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन प्रसाद रावत---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि काफी सदस्यों नें इस पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। कोई नया संशोधन नहीं हुआ है और कोई नई बात भी नहीं हुई है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको शीघ्र पारित करेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, पारित करते समय बिल पर बोलने का अधिकार होता है।

श्री अध्यक्ष--तीसरे वाचन में सिर्फ उस समय जब कि विधेयक अमेंडमेंट स्वीकृत हो गये हों तो उस विषय पर बोल सकते हैं। लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लिहाजा बोलने की तुक नहीं रह गई है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात यह कह देना चाहता हूं कि इसमें कमी रह गई है .....।

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक है, इसके लिये इस समय मैं इजाजत नहीं दूंगा और कोई अन्य बात कहने के लिये।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७१ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबंधों) का विधेयक, १९५५

पुलिस उपमन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों के (वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८१ पर)

*उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

नियोजन मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है, किन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लाने के दो आधार हैं। एक तो यह कि जब से वर्तमान अधिनियम पास हुआ है, उसके अधीन अब तक जो कुछ कार्य हुआ है, उसके अनुभव के आधार पर और दूसरा १९४७ में राज सरकार ने आयुर्वेद और यूनानी पुनस्संगठन समिति की स्थापना की थी, उसने जो सिफारिशें की हैं, उनके आधार पर यह विधेयक यहां लाया गया है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन नाम की एक संस्था है। इसके द्वारा आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास का कार्य होता है। इस मौजूदा अधिनियम के द्वारा

---

* २१ नवम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

जो बोर्ड है, उसको शिक्षा, निरीक्षण और सहायता देना, यह तीनों अधिकार हासिल हैं। जो संशोधन विधेयक इस समय प्रस्तुत किया गया है, इसमें बोर्ड के अधिकार कुछ सीमित कर दिये गये हैं। बोर्ड अब शिक्षा सम्बन्धी कार्य नहीं करेगा। इसके लिये एक प्रथक फैकल्टी का स्थापना होगी और बोर्ड अब हमारे प्रदेश में सिर्फ वैद्यों का रजिस्ट्रेशन करेगा। बोर्ड, जो शिक्षा संस्थायें हैं हमारे प्रदेश में उन शिक्षा संस्थाओं से जो स्नातक निकालेंगे उनको प्रमाणपत्र और डिप्लोमा या डिग्री देने का कार्य करेगा। यह कार्य बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश के जिम्मे किये गये हैं। उसमें अब सदस्यों की तादाद कम कर दी गई है। पहले २७ थी, अब वह २१ कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसमें की गई है वह यह कि अब तक वैद्यों और हकीमों के सिर्फ ६ प्रतिनिधि बोर्ड में होते थे। अब इस विधेयक के द्वारा उनको ६ वैद्य और ३ हकीम को भेजने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से हमारे प्रदेश में पहले वैद्य सम्मेलन और अन्जुम ने तिब्बिया के प्रतिनिधि भी आते थे। अब उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और इसका कारण यह है कि जो संस्थायें पार्टी पालिटिक्स में, दलबन्दी में पड़ गई हैं और जिस उद्देश्य से उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति में कार्य नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण संशोधन इस विधेयक में यह किया गया है कि भविष्य में जो नया बोर्ड बनेगा उस बोर्ड में विधान परिषद्, विधान सभा, जिला बोर्ड और म्युनिसिपैलिटियों के कोई प्रतिनिधि नहीं होंगे। उनकी इसमें व्यवस्था नहीं की गई है। वह इसलिये कि ऐसा समझा जाता है कि उनका रहना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। क्योंकि अब तक बोर्ड के सदस्य या विधान सभा के सदस्य, सभी वैद्य नहीं होते हैं और विधान सभा को या विधान परिषद् को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह अपने सदस्यों में से किन्हीं को भी चुन कर भेज सकते हैं। इसलिये जो वर्तमान विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह आवश्यकता नहीं समझी गयी कि उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाय, इस विधेयक के द्वारा जो बोर्ड बनेगा, उसमें सिर्फ २१ सदस्य होंगे। इस प्रकार जो फैकल्टी बनेगी उसमें शिक्षा संस्थाओं के जो प्रतिनिधि आयेंगे उनके अतिरिक्त जो बोर्ड का प्रेसीडेन्ट होगा और जिसको सरकार नामजद करेगी वह उसका चेयरमैन होगा और तीन तक और सदस्य उसमें नामजद होंगे और इस प्रकार फैकल्टी को स्थापना होगी। फैकल्टी अपने प्रदेश में आयुर्वेदिक विकास के लिये कार्य करेगी और जो शिक्षा संस्थायें हमारे प्रदेश में इस समय कार्य कर रही हैं आयुर्वेदिक और यूनानी की उनके लिये कोर्स निर्धारित करेगी, परीक्षा की व्यवस्था करेगी और उसके विकास के लिये कार्य करेगी। इस तरह से इस विधेयक में व्यवस्था की गई है। एक महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया है कि अब तक जो अनुभव के आधार पर वैद्य रजिस्टर्ड होते थे, अब भविष्य में उनका रजिस्ट्रेशन न हो सकेगा, किन्तु इसके साथ ही साथ यह संशोधन नहीं किया गया है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि वह वैद्य प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे कि जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा और वह प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार इस विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं और यह हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में सहायक सिद्ध होगा। धीरे-धीरे यह चिकित्सा प्रणाली हमारे प्रदेश में प्रगति कर रही है और अनुभव के आधार पर यह उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में यह अधिक प्रगति करेगी। एक बात मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि अब तक हमारे प्रदेश में लगभग ५५० आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरीज इस दौरान में खुल चुकी हैं और हमारे बोर्ड ने लगभग २२,८८९ वैद्यों को और ६,५१८ हकीमों को रजिस्टर्ड किया है। यह हमारे प्रदेश की आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली की प्रगति है। मुझे उम्मीद है कि सदन इस विधेयक पर विचार करेगा और उसे शीघ्र ही पारित करेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक, १९५५ को एक प्रवर समिति के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाय जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम मैं बाद को प्रस्तुत करूंगा।

श्रीमन्, मैं माननीय सभासचिव महोदय के उस कथन से सर्वथा असहमत हूं कि यह विधेयक छोटा होते हुये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसीलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि अत्यन्त महत्व के इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाना चाहिये। इस विधेयक का उद्देश्य यह है और आज से ही नहीं, बल्कि जब से यह विधेयक पहली बार विधान सभा ने इसको अधिनियम बनाया तब से यह उद्देश्य रहा है कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को इस देश में एक वैधानिक स्वरूप दिया जाय। जब से इस देश में और प्रदेश में एलोपैथिक शिक्षा पद्धति का जितना भी प्रसार हुआ तभी से एलोपैथिक और आयुर्वेद और यूनानी के बीच निरन्तर संघर्ष जारी रहा। अंग्रेजी शासन ने अपने स्वभाव के अनुसार अपने यहां के विज्ञान को प्रथम स्थान दिया और यही कारण था कि अंग्रेजी शासनकाल में जितने भी चिकित्सा सम्बन्धी विधान बने, जितने भी मेडिकल ऐक्ट बने, उनमें एलोपैथिक सिस्टम की जो मेडिसिन थीं उसको ही प्रधानता दी गयी, उसको ही सर्वाधिक महत्व दिया गया और आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को अत्यन्त ही महत्वहीन स्थान प्रदान किया गया। यह उचित ही था कि जब पहली बार यहां उत्तरदायित्वपूर्ण जनप्रिय सरकार की स्थापना हुई तो उसने यह पहला काम किया कि इस द्वंध प्रवृति को समाप्त करे और आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को विधान के अनुसार कुछ स्थान दे। इसलिये हमारे यहां प्रथम जनप्रिय मन्त्रिमंडल की स्थापना होने पर यू०पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट १९३९ में इस इस सदन ने पारित किया। हमें यह देखना है कि क्या १९३९ के इंडियन मेडिसिन ऐक्ट और जो आज संशोधन ऐक्ट इस सदन के सन्मुख प्रस्तुत हुआ है और उसकी जो नई प्रस्तावना है उसमें क्या यह आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणाली के साथ वास्तव में न्याय करता है। हमें यह भी देखना है कि अभी तक ऐसी कोई परम्परा तो नहीं चली आ रही है कि जिससे हम आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों को किसी प्रकार भी एलोपैथिक पद्धति से हेय समझते हैं। श्रीमन्, आपने यह देखा होगा कि इस आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कोई विधान नहीं बनाया है और इस बात के होते हुये भी कि केन्द्र में एक चिकित्सा विभाग है और उसकी मन्त्राणी भी है और पंचवर्षीय योजना में ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के हेतु केन्द्र की ओर से बहुत अधिक रुपया खर्च करने की व्यवस्था है। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है उसने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में कोई निश्चित विधान नहीं बनाया है और भोर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को यह छूट दे दी गई कि वे आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों को मान्यता दें या न दें और जिस प्रकार के विधान चाहें उनके बारे में बनायें। मैं स्वयं न तो आयुर्वेदिक न यूनानी और न ऐलोपैथिक किसी भी पद्धति को जानता हूं। मुझे तो केवल एक रोगी के नाते हकीमों, डाक्टरों और वैद्यों के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतनी ही मेरी जानकारी है चिकित्सा शास्त्र की। अतः मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि एलोपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में संघर्ष का होना बड़े दुर्भाग्य की बात रही है। भोर कमेटी ने तो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को केवल इतना ही महत्व दिया है कि उसको हिस्ट्री और मेडिसिन के तौर पर मानकर उससे लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाय। इस प्रकार भोर कमेटी ने तो एक प्रकार से इस पद्धति को ठुकरा ही दिया है।

अध्यक्ष महोदय, १९४८ में जब कि इस प्रान्त में आप सभा सचिव थे तो आपके नेतृत्व में दो कमेटियां बनीं। एक कमेटी तो मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के संगठन के बारे में बैठी तथा दूसरी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी के लिये बैठी थी। जो पहली कमटी थी उसके सिलसिले में यह ज्ञात हुआ कि उस समय सन् १९४७ में सरकार की ओर से इस राज्य में ५५० आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय थे और १०० औषधालय प्रति वर्ष खोले जायेंगे एक ऐसी योजना बनायी गयी थी, लेकिन सरकार को अपनी इस योजना को रोकना पड़ा। क्योंकि इनका संघर्ष ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से हुआ। शायद

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के मानने वालों के दबाव के कारण ऐसा हुआ हो। । कुछ भी कारण रहा हो लेकिन ऐसा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि आज भी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि राज्य में ५५० आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय हैं। ७ साल के प्रयत्न के बावजूद भी सन् १९४७ में जो इन औषधालयों की संख्या थी वही आजभी बनी हुई हैं और एक कदम भी हमने इन औषधालयों को खोलने के बारे में आगे नहीं बढ़ाया। अब कहा यह जाता है कि जो खेर कमेटी आपके नेतृत्व में बनी थी, उसकी सफारिशों को इस संशोधन विधेयक के द्वारा पूरा किया जा रहा है। बहुत जल्दी की सरकार ने सन् १९४८ में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, १९४८ से आज तक सरकार सोयी रही। बहुत लम्बी उम्र है सरकार की; सन् ४८ में सरकार के पास रिपोर्ट आ गयी थी और आज सन् ५५ में सरकार को यह प्रतीत होता है कि इंडियन मेडिकल ऐक्ट को उस कमेटी के अनुसार संशोधित किया जाय। ८ साल के बाद सरकार की नींद टूटी। अच्छा हुआ। अब देखना यह है कि आया यह विधेयक उस कमेटी की सिफारिशों को पूरा करने जा रहा है या नहीं। मैं इसके बारे में केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि खेर कमेटी की दो चार सिफारिशों को छोड़कर बाकी सभी सिफारिशों को ठुकरा दिया गया है। मैं इस समय जो भी कुछ कह रहा हूं वह इसलिये कि प्रवर समिति में इसका रूप और स्वरूप कुछ बदल सके। यदि आप इस पर उन संशोधनों की संख्या देखें तो वह ६० या ७० आ चुके हैं और शायद अभी और भी आने वाले हों, इनकी बड़ी संख्या से ही स्पष्ट होता है कि इस बिल को अभी प्रवर समिति में ले जाने की आवश्यकता है। मैं बोर्ड के बारे में कह रहा था कि इस बारे में कमेटी की सिफारिश बिल्कुल साफ थी कि प्रेसीडेन्ट चुना हुआ होना चाहिये, लेकिन यह सरकार और हमारे माननीय मन्त्री जी उसको नामजद कराना चाहते हैं। अभी तक अगर आप देखें तो पुराने कानून में भी साफ था कि सभापति का चुनाव बोर्ड द्वारा होगा और खेर कमेटी की रिपोर्ट भी यही है कि उस का चुनाव बोर्ड द्वारा होगा, लेकिन नहीं मालूम क्यों सरकार द्वारा अब नामजदगी का सवाल पेश है। मन्त्री जी का कहना है कि तिब्बी अन्जुमनों और आयुर्वेदिक सम्मेलनों में दलबन्दी बहुत है, इसलिये उनके नुमाइन्दे को बोर्ड में स्थान न देना चाहिये। श्रीमन्, दलबन्दियां कहां नहीं हैं? इस प्रजातन्त्र के युग में दलबन्दियां आयुर्वेदिक सम्मेलनों या तिब्बी अन्जुमनों में क्या, विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों, सामाजिक पार्टियों में सभी जगह प्रजातन्त्र में परम्पराओं से या व्यक्तिगत स्वार्थों से, निजी या दलगत स्वार्थों से कहीं न कहीं हम सभी बदरुबन्दी के शिकार हो जाते हैं। इसलिये यह कहना कि चूंकि आयुर्वेदिक सम्मेलनों और तिब्बी अन्जुमनों में दलबन्दी बहुत है, इसलिये उनके प्रतिनिधियों को हम बोर्ड में स्थान नहीं देंगे यह कोई उचित दलील प्रतीत नहीं होती। आखिर वहां उन का कोई बहुमत होने वाला नहीं है, केवल एक या दो प्रतिनिधि अन्जुमन या आयुर्वेदिक सम्मेलन के वहां पहुंच जाते और आप की कमेटी की सिफारिश भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट है, उसको भी सरकार ठुकराती है और बोर्ड के अधिकारों पर भी जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है और उनको कम किया जा रहा है यह भी श्रीमन् देख रहे हैं। अब यह कहा जायगा कि बोर्ड के अधिकार हमने फैकल्टी को हस्तांतरित कर दिये हैं। अब आप यह देखें कि बोर्ड को इस बात भी अधिकार नहीं रहा कि वह इन्स्पेक्टर को नियुक्त कर सके और उसको इस बात का भी अधिकार नहीं रहा कि जिन शिक्षण संस्थाओं या जिन आयुर्वेदिक या यूनानी संस्थाओं को वह मान्यता प्रदान करता है या वह जिन को एफिलियेट या सम्बद्ध करता है, वह उनको मान्यता या एफिलियेशन दे सके। या वह रिसर्च आदि के लिये किसी संस्था को कोई सहायता दे सके। पहले बोर्ड को ये अधिकार थे, वह सन् ४७ में उसको प्राप्त थे, लेकिन आज वह ताकत न तो फैकल्टी और न बोर्ड के ही हाथ में वह पावर रही, जिस फैकल्टी को आप बनावेंगे वह क्या है? आप की खेर कमेटी की सिफारिश थी कि फकल्टी इंडिपेंडेन्ट होनी चाहिये और उसी के उदाहरणस्वरूप और उसी आधार पर जिस पर कि एलोपैथिक की स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, यह इंडियन मेडिसिन फैकल्टी यूनानी और

आयुर्वेदिक की होनी चाहिये। क्या इस प्रकार की फैकल्टी जैसी को वह बनाना चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेन्ट मानी जा सकती है ? हर्गिज नहीं। इसके कान्स्टीटयूशन में वही बोर्ड के मेम्बर हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इस मेडिकल फैकल्टी में जो बोर्ड के प्रेसीडेन्ट होंगे वे चेयरमैन होंगे और उनमें कोई अन्तर न होगा। और जो बोर्ड के सदस्य होंगे और शिक्षा संस्थाओं के लोग वही केवल फैकल्टी में जा सकेंगे और तीन और दूसरे सदस्य भी समय समय पर लिये जा सकेंगे जो समय समय पर होंगे। यह फैकल्टी का विधान है तो फिर बोर्ड और फैकल्टी में फर्क क्या रह गया। जिस फैकल्टी को आज हमारी सरकार इस विधेयक के द्वारा प्रस्तुत करने जा रही है वह फैकल्टी केवल बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की एक सब कमेटी मानी जा सकती है, फैकल्टी नहीं। बाहर का कोई भी आदमी उसमें सदस्य नहीं हो सकता उसका सदस्य केवल वही हो सकता है जो बोर्ड का मेम्बर हो। चाहे कोई कितना भी जानकार हो वह व्यक्ति जो बोर्ड का सदस्य न हो सक वह फैकल्टी का सदस्य नहीं हो सकता। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह फैकल्टी कही जा सकती है ? मैं फैकल्टी के विधान का स्वागत करता हूं, लेकिन उसके क्या अधिकार हों, कौन उसके सदस्य हों, इस सम्बन्ध में मेरा मतभेद है। मैं नहीं चाहता कि फैकल्टी बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की एक परमानेन्ट सब-कमेटी बन कर रह जाय, जैसा आज है। मैं चाहता हूं कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन और फैकल्टी के कार्य अलग-अलग हैं इसलिये उनका विधान भी अलग होना चाहिये। यह हो सकता है कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के कुछ सदस्य फैकल्टी में भी हों, लेकिन यह न हो कि फैकल्टी के सदस्य वहीं होंगे जो बोर्ड आफ़ इंडियन मेडिसिन के सदस्य हों। उसे स्वतन्त्र संस्था होना चाहिये। उसे एक प्रकार से राज्य सरकार के प्रभाव से भी मुक्त होना चाहिये।

आयुर्वेदिक, यूनानी अन्वेषणा गवेषणा, और रिसर्च के लिये जो एकेडेमी स्थापित की गई है उसको भी उस के अधीन होना चाहिये। संक्षेप में फैकल्टी का स्वरूप वही होना चाहिये जो आपने एलोपैथिक सिस्टम की फैकल्टी, स्टेट फैकल्टी आफ मेडिसिन का रखा है। वह विधान आज इसका नहीं है। दूसरी बात जो विधान बोर्ड का है और जिस प्रकार रखा गया है उसमें नामजद और चुने हुये सदस्यों में एक विशेष प्रकार का भेद खड़ा कर दिया गया है जो पहले नहीं था। पहले राज्य सरकार ही केवल सभापति को रिमूव कर सकती थी, लेकिन अब दो प्रकार की श्रेणियां बना दी गयी हैं। जो सदस्य सरकार द्वारा नामजद किये गये हों भले ही वे सभापति हों या दूसरे सदस्य हों और जो सदस्य चुने गये हों, उनमें एक श्रेणी बना दी गई है। जो सदस्य नामजद हैं उनकी श्रेणी जरा ऊंची बना दी गई। उनके इस्तीफे को वह खुद मन्जूर नहीं कर सकते राज्य सरकार मन्जूर करेगी। वह बोर्ड की परिधि के बाहर है बोर्ड को केवल उसकी सूचना मिलेगी। खंड १२ का उपखंड (२) इसका सूचक है कि जो भेद इसका सूचक नहीं था जो नामजद और चुने सदस्यों के बीच में भेद नहीं था वह बनाया जा रहा है और एक झूठी, मिथ्या खाई सदस्यों के बीच में डाली गयी है और मैं समझता हूं कि उससे बोर्ड के नित्यप्रति क कार्य में कोई सहूलियत होने वाली नहीं है।

इसके साथ-साथ, इसमें असेम्बली और कौंसिल के सदस्य जो जाते थे उनको भी स्थान नहीं दिया गया है। मैं यह नहीं कहता और मेरा ऐसा विचार भी नहीं है कि इस राज्य में बनने वाले प्रत्येक बोर्ड, प्रत्येक कमेटी में असेम्बली और कौंसिल के सदस्यों का रहना जरूरी है, लेकिन बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन में या भारतीय आधार पर जो चिकित्सा पद्धति है उसका जो बोर्ड हो। हम विधान में कोई ऐसी बात रख दें कि जिससे कोई मेम्बर जा नहीं पाये तो इसका क्या कारण है, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि हमने हटा दिया। क्या कारण है ? क्यों हटा दिया ? इस आदरणीय सदन में बहुत से ऐसे माननीय सदस्य को जानता हूं मैं अपने लिये नहीं कहता, अपने साथियों के लिये नहीं कहता, लेकिन ऐसा जानता हूं कि असेम्बली और कौंसिल में बहुत से माननीय सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्षों को आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पद्धति में बिताया, यदि वे

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

व्यक्ति इस भवन में सदस्य हों और एक आध इस बोर्ड में चले जायं तो यह अत्युक्तिपूर्ण बात न होगी। एक तो आप बिना कारण के उसे हटा रहे हैं। फिर इसमें एक ऐसा संशोधन होने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूं कि आयुर्वेदिक जगत में विशेष प्रकार की हलचल मचनी चाहिये, संभव है मच भी गयी हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और वह यह कि आप सर्जरी को हटा रहे हैं। इस विधेयक में इसकी व्यवस्था थी कि आयुर्वेदिक सर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन अब मालूम नहीं। मैं यह नहीं कहूंगा कि माननीय मन्त्री एलोपैथस के प्रभाव में आ गये जो सिफारिश सन् ३९ से लेकर कर आज तक आपकी कमेटी की थी, पेज २२० पर कि आयुर्वेद सर्जरी को वही महत्व दिया जाना चाहिये जो एलोपैथिक सर्जरी के सर्टिफिकेट को प्राप्त है उसको आज समाप्त किया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी उस कमेटी के सदस्य हैं और कहां तो यह सिफारिश थी कि बराबरी का महत्व दिया जाना चाहिये था और अगर सर्जरी के बारे में बराबरी का मौका न भी दिया जाता तो कमसे कम उनको रिसर्च का मौका तो होता और पहले जिनको सर्जरी का सर्टिफिकेट मिल चुका है उनसे भी कहिये कि तुम्हें हम मान्यता नहीं देंगे। तो मैं यह समझता हूं कि इस पर जरा पुनर्विचार की आवश्यकता है और मैं यह उचित नहीं समझता कि खेर कमेटी की सिफारिश के खिलाफ सर्जरी और मिडवाइफरी की जो उसमें परिभाषा दी हुई है कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं इस पुराने विधेयक में जिनका स्पष्ट होना जरूरी था। श्रीमन्, आपकी कमेटी ने एक एक करके.....।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि 'आपकी कमेटी' शब्द न कह कर 'खेर कमेटी' कहिये

श्री नारायणदत्त तिवारी---आप सम्मुख हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---मैं सन्मुख हूं, अध्यक्ष के नाते और उक्त कमेटी से मैं इस समय कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आपकी कमेटी से मेरा तात्पर्य खेर कमेटी से ही है, स्पीकर की कमेटी से नहीं है। मैं आपकी अनुमति से माननीय मन्त्री जी का ध्यान पेज ११८ की ओर दिलाना चाहता हूं---

"Besides the changes indicated above, we would point out that the existing Act is very loosely drafted and contains some inherent defects which must be removed".

ऊपर बताये गये परिवर्तनों के सिवा हम कुछ ऐसी भी बातें बतलाना चाहेंगे जिनके अनुसार इस प्रस्तुत अधिनियम में अनेक गलतियां रह गयी हैं। शब्दावली की गलतियां हैं और कुछ बुनियादी गलतियां भी हैं।

"For instance, the present Act does not specify the duties of the Chairman and the Vice-Chairman, the right of Board to call for any report from the Chairman, the circumstances in which a Chairman may be removed by Government, framing of the budget by the Board and its submission to Government, previous publication of the regulations framed by the Board under section 37 of the Act and their confirmation by Government, etc."

मिसाल के लिये खेर कमेटी ने मिसाल दी कि इस अधिनियम में जो सन् ३९ का है, सभापति और उपसभापति के क्या कार्य हैं, ये नहीं बतलाये गये हैं।

बोर्ड किस हालत में चेयरमैन से रिपोर्ट मांग सकता है, यह नहीं बतलाया गया। चेयरमैन किस हालत में सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, यह नहीं बतलाया गया। बोर्ड द्वारा बजट बनाये जाने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दिये जाने के सम्बन्ध में नहीं

बतलाया गया। धारा ३७ के अनुसार जो रेगुलेशंस बोर्ड के द्वारा बनाये जायेंगे, उनकी छपायी के लिये सरकार द्वारा स्वीकृति के सम्बन्ध में नहीं बतलाया गया है।

इतने सुझावों में जो खेर कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये हैं, एक सुझाव केवल माना गया। वह आखिर वाला सुझाव है जिसमें यह धारा ३७ के अनुसार रेगुलेशंस को पहले छपवा दिया जायगा। लेकिन चेयरमैन के अधिकार क्या होंगे, वाइस। चेयरमैन के अधिकार क्या होंगे, बोर्ड बजट कैसे बनायेगा, चेयरमैन कब हटाया जायगा, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। अगर सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो स्पष्टीकरण का मौका मिल सकेगा। हम इस सम्बन्ध में पुनर्विचार कर सकेंगे। आगे चल कर श्रीमन्, आप देखें कि हम बोर्ड का वह अधिकार भी छीन रह हैं इस विधेयक द्वारा, जिसमें कि बोर्ड को किसी विशेष प्रयोजन के लिये धारा २१ के अनुसार कोई ग्रांट मिल सकती। जब हमने यह मान लिया है कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों का सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड होगा तो उसको हम कभी कभी ऐसी ग्रांट दे सकत हैं, जिन कार्यों के जरिय कोई विशिष्ट प्रकार का कार्य फैकल्टी या एकेडेमी के जरिये बोर्ड करा सके। हमने उसके अधिकारों में लिख दिया कि बोर्ट फंड्स का प्रयोग करेगा। लेकिन फंड्स आयेंगे कहां से ? बोर्ड को राज्य सरकार जितनी ग्रांट दे सकती है। वह सब आपने समाप्त कर दी। उसके पास केवल एक ही प्रकार से फंड आ सकेगा, वह मेम्बरों की फीस द्वारा। और कोई तरीका वर्तमान संशोधन विधेयक में नहीं रखा गया है जिसके द्वारा बोर्ड के पास कहीं से धन आ सके। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी क्यों इस प्रकार चाहते हैं कि बोर्ड को जो सरकार विशेष कार्य के लिये भी ग्रांट दे सकती थी उसको आप क्यों छीनना चाहते हैं ? बोर्ड को पहले यह भी अधिकार था कि भारतीय पद्धति के अनुसार पब्लिक हेल्थ की योजना वह बना सके। उसकी देखरेख को कार्यान्वित करा सके। जब आपन सभी श्रेणियों में बोर्ड को महत्व दिया है तो पब्लिक हेल्थ के मामल म किस प्रकार प्रिवेंटिव तरीकों से हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा को उन्नत कर सकें, यह किस प्रकार होने वाला है, बोर्ड का यह अधिकार भी हम छीन ले रहे हैं। यहां पर एक बात और कह देना चाहता हूं। खेर कमेटी की सिफारिश में यह जरूर कहा गया था कि बोर्ड के अधिकार कम होने चाहिये। लेकिन कब कम होने चाहिये, इस कमेटी की सिफारिश म स्पष्ट था कि बोर्ड का केवल यह अधिकार रहना चाहिये कि इन चिकित्सा पद्धतियों क चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन का कार्य किस प्रकार से हो। लेकिन किस हालत में ? उस हालत में जब कि आयुवदिक और यूनानी विभाग का एक स्वतन्त्र डायरेक्टर का नियन्त्रण हो। उस हालत में जबकि आप स्टेट ऐलोपैथिक फैकल्टी की तरह आयुर्वेदिक और यूनानी फैकल्टी को स्वतन्त्र बनायें और उनको वही महत्व दें जो कि स्टेट ऐलोपैथिक फैकल्टी को दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज आयुर्वेदिक विभाग के कार्य डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ के अधीन नहीं हैं ? क्या आज जो डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद हैं, उनका नियन्त्रण डायरेक्टर के द्वारा नहीं होता है ? क्या यह सही नहीं है कि खेर कमेटी ने अत्यन्त जोरदार शब्दों में, और इससे अधिक जोरदार शब्द नहीं हो सकते, कि अगर सरकार चाहती है कि आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग कुछ कार्य कर सके, कुछ इंडियन मेडिसिन का काम कर सके, कुछ भी इस चिकित्सा पद्धति की उन्नति हो तो सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि एक स्वतन्त्र विभाग और एक स्वतन्त्र डायरेक्टर इसका होना चाहिये, जिस पर कि नियन्त्रण एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में विश्वास करने वाले डाक्टरों का न हो। इस पर पूरे चार पेज, श्रीमन्, खेर कमेटी में दिये गये हैं और सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश इस कमेटी की है। डायरेक्टर उसका अलग नहीं है। डायरेक्टर आयुर्वेद जो है वह डायरेक्टर मेडिकल ऐन्ड हेल्थ के मातहत हैं। खेर कमेटी का सुझाव यह भी था कि अगर डायरेक्टर आयुर्वेद और डायरेक्टर मेडिकल एन्ड हेल्थ के बीच में कोआ-र्डिनेशन की जरूरत हो तो हम लोग एक ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल की नियुक्ति कर सकते हैं। मैं उस ब्योरे में नहीं जाना चाहता। केवल इतना ही इशारा करना चाहता हूं कि खेर कमटी की रिपोर्ट में डायरेक्टर आयुर्वेद के बनाये जाने का, नियुक्त किये जान का इतना अधिक

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

महत्व समझा गया था कि कोआर्डिनेशन करने के लिये आयुर्वेद विभाग और मेडिकल हेल्थ विभाग के बीच में, उन्होंने एक ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल तक की नियुक्ति की सिफारिश की। तो यह तो आपने किया नहीं। डायरेक्टर आयुर्वेद तो आपने बनाया नहीं, उसकी अलग फैकल्टी तो बनायी नहीं, एक परमानेंट कमेटी बना दी और इतना करने के बाद आपने बोर्ड के अधिकार समाप्त कर दिये। मैं यह समझता हूं कि श्रीमन्, कि यह खेर कमेटी की मंशा नहीं थी और शायद आज यह आयुर्वेद चिकित्सा जगत और यूनानी चिकित्सा जगत की भी मंशा नहीं थी। इसी के साथ-साथ इस विधेयक में भी, जो संशोधन विधेयक है, अनेक गलतियां रह गई हैं, जिनको प्रवर समिति में भेजकर दूर करना है। जैसे मिसाल के लिये सर्जरी और मिडवाईफरी शब्द हटाये जरूर गये हैं, लेकिन अब भी आप मूल अधिनियम की धारा ३९, उपधारा (४) धारा ५० और ५१ को देखें तो उसमें वे शब्द मौजूद हैं। सर्जन और मिडवाईफ को तो आपने हटाया, लेकिन सर्जरी और मिडवाईफरी को नहीं हटाया। अब इसके लिये संशोधन विधेयक में गुन्जायश नहीं हो सकती। इसके साथ-साथ शिड्यूल जो है, इसके अनुच्छेद के अन्त में इस १९३९ के अधिनियम के अन्त में, इसमें भी, परिवर्तन होना आवश्यक है। अब मैं एक ही मिसाल इसको दूंगा। श्रीमन्, आप देखें कि शिड्यूल जो है, उसमें जो अनुच्छेद हैं इसका उपखंड (२):

"Vaidyas and Hakims who have passed the final examination held by the Board of Indian Medicine, U. P. or any other institution affiliated to the Board."

यानी वह वैद्य और हकीम जिसने कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन यू० पी० या उसके द्वारा सम्बद्ध किसी शिक्षा संस्था से वैद्य या हकीम की अन्तिम परीक्षा पास की हो, यह अनुच्छेद के उपखंड (२) में रखा गया है।

अब संशोधन तो इसका कर दिया कि परीक्षायें बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन द्वारा न होंगी, बल्कि फैकल्टी द्वारा होंगी। संशोधन विधेयक में तो यह हमने कर दिया और शिड्यूल में लिखा है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षायें पास हों। तो इतना अधिक कन्ट्रेडिक्शन इसमें मौजूद है। श्रीमन्, मैं एक चीज और आप के सामने रखूं। संशोधन विधेयक के पेज पांच और छः को आप देखें, जहां कि फैकल्टी के पावर्स और उसकी ड्यूटीज दी हुई हैं।

"To hold examinations of persons who shall have pursued a course of study in an educational institution affiliated to the Board."

यानी एग्जामिनेशन होल्ड करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उन लोगों को रजिस्टर्ड किया जायगा जो कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड के द्वारा परीक्षायें दिये हों। तो इस प्रकार की गलतियां इस संशोधन विधेयक में मौजूद हैं और इन गलतियों को हम इस संशोधन विधेयक में संशोधन करके ठीक नहीं कर सकते। इस संशोधन विधेयक में हम ऐसा संशोधन नहीं कर सकते। नियम हमारे ऐसे हैं। नया एक संशोधन हो जायगा। इसलिये इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय न लेकर इतना ही कह कर समाप्त कर देना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहता कि माननीय मन्त्री जी कोई मुझसे कम आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास में सहमत हैं, या कम विकास चाहते हैं, लेकिन ऐसा होते हुये भी अगर इस प्रकार का विधान आज सदन में आ रहा है जो अधूरा है, जो समय की पुकार को, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं है, जो अत्युक्तिपूर्ण है, जो दोषपूर्ण है, जो विरोधाभास पूर्ण है, तो यही उचित है कि इस विधेयक को हम प्रवर समिति में ले जायें। इस समिति के जो माननीय अनुभवी सदस्य हैं वह खेर कमेटी की रिपोर्ट को भी देखें कि आया यह विधेयक उसकी मंशा को पूरा करता है या नहीं और जो ६०-७० संशोधन आये हैं, उन पर भी विचार

किया जाय और तब हम सब मिल कर इस विधान को पास करें, ताकि यह विधान व्यवहार रूप पाकर इस प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की सहचरी होकर एक प्रतिद्वन्दी होकर नहीं, जनसेवा की सहचरी होकर, दोनों पद्धति जनता की सेवा कर सकें और जन स्वास्थ्य को एक लाभदायक स्थिति तक और प्रेरणास्पद स्थिति तक पहुंचा सकें।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे सामने इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक उपस्थित है और हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि हम अपने विचार इस विधेयक के संबंध में प्रकट कर सकें। जहां तक सरकार का संबंध है वह तो उसकी नीति हमेशा रही है कि आयुर्वेद को ऊंचा उठाया जाय और उसका स्टैन्डर्ड पूरा किया जाय, लेकिन जो भी इस संबंध में हमारे अनुभव हैं वे आज हमें माननीय मंत्री जी के सामने आपके द्वारा उपस्थित करने हैं।

यह जो संशोधन हमारे सामने उपस्थित है, हम सुन रहे थे कि संशोधन उपस्थित होने वाला है, तो हम आशा करते थे कि इस विधेयक में कोई ऐसी विशेष बातें रख दी जायंगी जिससे आयुवद का और भी विकास और उन्नति होगी। लेकिन जब हम इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि इस विधेयक में हमारा जो पुराना ऐक्ट था उसके स्कोप को और कार्यक्षेत्र को और भी कम कर दिया गया है। पहले ही संशोधन में ऐसा क़लम चलायी गयी है कि जो पुराने अधिनियम के प्रिएम्बिल के अन्दर एक कार्य-क्षेत्र था कि "टु रेगुलेट दि सेल आफ इंडियन ड्रग्स" देशी औषधियों की बिक्री को नियंत्रण करना, इसको निकाल दिया गया है। आज बहुत से लोगों को शिकायतें हैं कि औषधियां अच्छी और शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होती हैं, लेकिन फिर भी इस अंग को निकाल दिया है। मैं इसको उचित नहीं समझता। यदि सरकार का इरादा इस कमी को दूसरे विधेयक द्वारा पूरा करना है तो मैं इसका समर्थन करता हूं। अन्यथा मैं इसका घोर विरोध करता हूं क्योंकि आज औषधियों के शुद्ध रूप में प्राप्त न होने की बहुत ही शिकायत है। औषधियां आम तौर से क्रूड ड्रग्स के रूप में मिलती हैं या पेटेन्ट बनी हुई मिलती हैं। तो कम से कम जो मौलिक औषधियां हैं उनका नियन्त्रण करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं है और इस नियन्त्रण को किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। इसलिये हमारी यह निश्चित राय है कि इस विधेयक से जो औषधियों की बिक्री पर से नियन्त्रण को निकाला जा रहा है, उसको नहीं निकाला जाना चाहिये और अगर निकाला जाता है तो इसको किसी दूसरे विधेयक से पूरा करना चाहिये।

दूसरी बात जो इस विधेयक में देखने में आती है वह यह है कि यह विधेयक पूरे उत्तर प्रदेश के लिये है, लेकिन पुराने क़ानून के अन्दर जौनसार बावर और मिर्ज़ापुर के भी कुछ क्षेत्र पृथक कर दिये गये हैं। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि प्रथक किये गये क्षेत्रों में भी इस विधेयक को लागू कर दीजिये। इंडियन मेडिसिन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के बाहर की सीमाओं में भी अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा लिया है और ग्वालियर आदि की शिक्षा संस्थाओ को भी बोर्ड से संबंधित कर दिया है जो कि हम समझते हैं कि उनके अधिकार के बाहर की चीज़ है। इस तरह से जो प्रस्तुत विधेयक है इसके कार्य क्षेत्र को सीमित और छोटा कर दिया गया है।

इसके अलावा जो इस विधेयक के अन्दर सबसे बड़ी विशेषता है वह यह कि इसका नाम भी बदलने की कोशिश की गयी है। उसका इंडियन मेडिसिन ऐक्ट नाम था, लेकिन अब इसको आयुर्वेद और यूनानी तिब्बी नाम दिया जा रहा है। इस नाम परिवर्तन के संबंध में क्या आवश्यकता पड़ी ? यह तो सरकार के कथनानुसार ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी समय में गवर्नर जनरल साहब ने इस पर आपत्ति की इंडियन मेडिसिन ऐक्ट नाम अच्छा नहीं है। लेकिन जहां उस ऐक्ट के अन्दर इंडियन मेडिसिन की परिभाषा दी गयी थी उससे यह स्पष्ट होता था कि इसके अन्दर आयुर्वेद और यूनानी दोनों प्रकार की चिकित्सा सम्मिलित है। जहां तक आयुर्वेद का प्रश्न है संसार के किसी भी देश की मेडिकल हिस्ट्री को देखें,

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

जहां पर चिकित्सा पद्धतियों का इतिहास है वहां पर आयुर्वेद पद्धति को इंडियन पद्धति कहा गया है। फिर भी इसके नाम को बदला गया है। खैर, नाम बदलने से कोई हानि हम लोगों को नहीं होने वाली है।

इसके अलावा सरकार ने इस विधेयक के अन्दर जो बहुत से काम किये हैं उनको करने के लिये जो सरकारी या गैर सरकारी अधिकारी नियुक्त होते हैं उनके सम्बन्ध में वैद्य समाज की हमेशा से एक मांग रही है और वह यह कि यह टेक्निकल शास्त्र है जिसका कार्य केवल टेक्निकल आदमियों के जरिये हो सकता है, नान-टेक्निकल आदमी इसको कार्यान्वित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आज भी हम सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस विधेयक के कार्यान्वित करने के संबंध में जो भी पदाधिकारी हों, चाहे वह प्रेसीडेन्ट हों अथवा रजिस्ट्रार हों अथवा मेम्बर साहबान हों अथवा एकेडमी के कोई पदाधिकारी हों, उन सभी सज्जनों को आयुर्वेद और यूनानी का ज्ञाता होना चाहिये। इसके बगैर हमारी इन दोनों पद्धतियों का विकास हो ही नहीं सकता है। जो अधिनियम सन् ३९ में बना उसके अनुसार कार्य आज तक नहीं हो सका। इसका एक मात्र कारण यह है कि बोर्ड या एकेडेमी के अन्दर कोई भी टेक्निकल आदमी नहीं था। तो फिर हमारी प्रगति कैसे हो? इसलिये हमारी सरकार से प्रार्थना है कि रजिस्ट्रार हों या ज्वाइंट रजिस्ट्रार हों सबको टेक्निकल और आयुर्वेद या यूनानी का ज्ञाता होना चाहिये। जब कि हम उस कार्य के लिये वैतनिक कर्मचारी या अवैतनिक सदस्य रखते हैं तो यह तो बिला पैसे और बिला खर्च का प्रश्न है। हम वहां पर टेक्निकल आदमी नियुक्त करें। कभी कभी रजिस्ट्रार की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने ऐसी बातें कही हैं कि उसका काम तो ज्यादातर शासन का काम होता है, वहां टेक्निकल आदमी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बोर्ड के कार्यकाल में जितनी गलतियां हुई हैं, शायद ही किसी टेक्निकल आदमी से ऐसी गलतियां हो सकती हों। अगर इन गलतियों को जो बोर्ड के जरिये टेक्निकल गलतियां हुई हैं, वैधानिक गलतियां हुई हैं, देखा जाय तो एक बहुत लम्बी सूची बन सकती है। इसलिये अगर कोई वैद्य इस स्थान पर रहा होता और ऐसी गल्तियां हुई होतीं तो वह बड़ा हास्यास्पद होता। लेकिन मैं समझता हूं कि जो विशेषज्ञ अधिकारी नियुक्त थे, उन्होंने बड़ी गड़बड़ी की। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का था और आज ५ साल हो गये हैं और अभी तक चुनाव नहीं हो सका है। इसी प्रकार विधान सभा के जो सदस्य इस बोर्ड में काम करते हैं, पिछली मर्तबा तीन सदस्यों के स्थान पर केवल दो ही सदस्य चुने गये। इसी प्रकार की बहुत सी टेक्निकल गल्तियां हुआ करती हैं। इसलिये हमारा विशेष निवेदन है कि इस बोर्ड के जो सदस्य या कर्मचारी हों, चाहे वह रजिस्ट्रार हो या कोई भी हो, सब टेक्निकल होने चाहिये। यह बोर्ड केवल वैद्यों के रजिस्ट्रेशन का ही काम नहीं करता है बल्कि यह परीक्षा भी लेता है इसलिये और भी टेक्निकल आदमी की जरूरत है। यह सब बातें शिक्षा के संबंध में निवेदन करूंगा।

इस संशोधन विधेयक के अंदर जो सब से महत्वपूर्ण बात है वह बोर्ड के संगठन और फैकल्टी की स्थापना की है। मैं बोर्ड के संगठन के विषय में कहना चाहूंगा कि पिछले अधिनियम के अंदर इस बोर्ड के अंदर २७ सदस्य थे अब २१ ही रखे गये हैं। इसके सदस्य कितने हों यह कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि महत्व की बात तो यह है कि इसके अंदर सभी वैद्य या हकीम होने चाहियें। सरकार जितने आदमियों को नामजद करती है वह भी वैद्य या हकीम होने चाहियें। यह हमारी सैद्धान्तिक मांग है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको पूरा करेगी।

बोर्ड के संगठन के संबंध में दो रायें हो सकती हैं। कुछ लोगों को कहना है कि बोर्ड का अध्यक्ष सरकारी आदमी नहीं होना चाहिये। संशोधन विधेयक में ऐसा देखने में आया है कि नहीं रखा गया है। लेकिन अगर सरकार इसको मान लेती है कि बोर्ड के सभी सदस्य वैद्य या हकीम होंगे तो उसमें काफी मसला हल हो जाता है और संतोष की बात हो जाती है। इसमें विधान सभा तथा कौंसिल के सदस्य भी नहीं रहे। वह रहें या न रहें

इस संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मेरा कोई आग्रह नहीं है। अगर सरकार स्वीकार कर लेती है कि बोर्ड में सभी टेक्निकल आदमी होंगे तो सबको संतोष हो सकता है।

बोर्ड का कार्यकाल कितना होगा। इस संबंध में एक विशेष परिस्थिति दिखाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऐक्ट बनाया है उसमें तीन साल होम्योपैथिक बोर्ड का कार्यकाल रखा है। लेकिन इंडियन मेडिसिन बोर्ड का कार्यकाल ५ साल का माना जाता है और ३१ दिसम्बर को ५ वर्ष पूरे हो जायेंगे और नये इलेक्शन की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। इलेक्शन के संबंध में लोगों की ऐसी धारणा है कि अभी तक जो बोर्ड का प्रेसीडेंट इलेक्टेड हुआ करता था वह आगे भी चुनाव के जरिये चुना जाय। लेकिन मौजूदा विधेयक में रखा गया है कि वह नामजद होगा। इस प्रजातंत्र के युग में चुना हुआ अध्यक्ष होना चाहिये और नामजद न किया जाय। एक शंका लोगों को और हो रही है कि पहले के विधेयक में था कि बोर्ड का अध्यक्ष दो बार से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन इस संशोधन विधेयक में ऐसा है कि बोर्ड का अध्यक्ष लगातार बना रहे तो यह वांछनीय नहीं है। मैं चाहूंगा कि ऐसी स्थिति पैदा न हो कि एक आदमी के हाथ में निरंतर ऐसा अधिकार बना रहे। इसलिये बोर्ड के अध्यक्ष को दो बार से अधिक कार्य करने का अवसर नहीं मिलना चाहिये।

इस बोर्ड की स्थापना के साथ ही साथ बोर्ड के अधिकारों और कर्त्तव्यों का भी प्रश्न उठता है। बोर्ड के अधिकार और कर्त्तव्य, जो पुराने अधिनियम के अंदर थे, उनके अंदर सरकार ने काफी कटौती की है। बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन का काम था। परीक्षा का काम तो यथापूर्व रखा गया है, लेकिन जो बोर्ड के दूसरे काम थे, वह जो अस्पतालों और विद्यालयों को सहायता दिया करता था, स्कालरशिप्स दिया करता था, इन सब को बोर्ड के हाथ से निकाल दिया गया है। मैं यह अवश्य मानता हूं कि यह जो पुरस्कार और ग्रान्टें थीं इनको सरकार किसी न किसी रूप में दिया करेगी, लेकिन जिस कार्य को यह बोर्ड २० बरस से करता रहा है और यह मानना पड़ेगा कि २० वर्ष से बराबर यही कार्य करते रहने के कारण उसे इसमें काफी अनुभव भी प्राप्त हो गया होगा, काफी जानकारी हो चुकी होगी, उसके बाद उसके हाथ से इस कार्य को निकाल लेना कि वह ग्रान्ट का वितरण न कर सके, एक अनुचित सी बात मालूम पड़ती है। यह कहना कि यह ग्रान्ट सरकार द्वारा बांटी जायगी तो इसका अच्छा और सुन्दर वितरण होगा, ऐसा मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि इसके कारण हैं।

अभी इसी वर्ष सरकार की तरफ से एक घोषणा की गई कि कुछ डिस्पेंसरीज को कुछ सहायता दी जायगी और इस संबंध में सरकार ने १० डिस्पेंसरीज को सहायता दी। सैकड़ों लोगों ने इस संबंध में प्रार्थना-पत्र दिये, लेकिन ऐसे एक नामुनासिब तरीके से इन बातों का निर्णय किया गया कि जिसकी हम किसी शासक से आशा नहीं कर सकते हैं। कितने ही प्रार्थना-पत्र आये, लेकिन उन पर कभी विचार नहीं किया गया। प्रार्थना-पत्र देने वालों की सूची भी नहीं बनाई गई और निर्णय हो गया कि कितने आदमियों को हमें डिस्पेंसरीज की ग्रान्ट देना है और कितना को नहीं। बाकी के प्रार्थना-पत्र डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के यहां ही पड़े रह गये। उन पर न कोई रिपोर्ट आई और न उनके बारे में कोई निश्चय ही लिया गया और सरकार की तरफ से फैसला हो गया कि किन १० डिस्पेंसरीज को सहायता देनी है। यह ठीक है कि हम देखते हैं कि ग्रान्ट बांटने के संबंध में शिकायतें हुआ करती हैं, हो सकती हैं और होती रहेंगीं, क्योंकि किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन जो कार्य बोर्ड करता रहा है स्कालरशिप देने का, पुरस्कार देने का यह सब काम उसके हाथ में रहने देना ही मुनासिब होगा। क्योंकि यह हमारी, वैद्यों की एक संस्था है और उससे यह अधिकार लेना एक तरह की जबरदस्ती होगी।

इसके अलावा बोर्ड को जो अधिकार थे, धारा ३६ के अनुसार उप खंड १० से १४, १५ तक, वे सब छीन लिये गये हैं। मैं समझता हूं कि जब हम आयुर्वेदिक यूनानी का विकास करने की बात करते हैं, उनकी उन्नति करने की बात करते हैं तो जो अधिकार उसको दिये गये

[श्री मदन गोपाल बंद्य]

थे, उनको छीन लेना कोई मुनासिब बात नहीं मालूम होती। विशेषकर उस समय जब कि सरकार उस संबंध में कोई विशेष व्यय भी नहीं कर रही है।

दूसरी विशेष बात जो सरकार ने इस संशोधन के द्वारा की है वह अपनी शिक्षा के संबंध में है। बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के जरिये सरकार आयुर्वेदिक और यूनानी की परीक्षायें लेती थी और उसके बाद जब विद्यार्थी उत्तीर्ण होते थे तो वह उनको प्रमाणपत्र देती थी। यह कार्य यह संस्था वर्षों से कर रही है, लेकिन अब इस कार्य को सरकार ने एक नयी संस्था फैकल्टी के जरिये कराना चाहा है। इसमें सरकार कोई नयी बात नहीं कर रही है। लेकिन उसको एक नया नाम दिया जा रहा है और उसका नया विज्ञापन किया जा रहा है। इस कार्य को बोर्ड पहले से करता चला आ रहा था। लेकिन इस कार्य के करने में जिस तरह से परीक्षाओं में आम तौर से अन्यत्र भी गड़बड़ियां सुनाई पड़ती हैं, इस बोर्ड की तरफ से भी वैसी ही सुनाई पड़ी। इस कार्य को बोर्ड के २७ सदस्य मिल कर किया करते थे और अब इस कार्य को फैकल्टी के सुपुर्द किया जा रहा है। फैकल्टी के ६ सदस्य और एक अध्यक्ष, कुल ७ सदस्य मिल कर उस सारे काम को कर लेंगे, जो कि बोर्ड के २७ सदस्य किया करते थे। यह ६ सदस्य कैसे उस सारे कार्य को करेंगे, अगर इस बात पर विचार किया जाय तो यह एक बड़ी रहस्यमय बात दिखाई पड़ती है। उसमें ऐसे सदस्य हैं कि जो ३ कैपेसिटी में काम करते हैं। ६ सदस्य स्वयं अध्यापक हैं, वह ६ सदस्य फैकल्टी के सदस्य हैं और वह ६ सदस्य स्वयं परीक्षक भी हैं। तो इस प्रकार से इसकी कैपेसिटी तीन प्रकार की होगी और उसी में यह काम करेगी। स्वयं अध्यापक का काम करेगी, शासन का काम भी करेगी और परीक्षा का काम भी वह करेगी, फिर यह फैकल्टी इस तरह से काम करेगी।

उस बोर्ड में ९ मेम्बर चुनकर आते हैं। वह काफी व्यय करके उस बोर्ड के अन्दर चुनकर आते हैं, लेकिन उन ९ मेम्बरों में से कोई भी उस फैकल्टी के अन्दर घुस नहीं पाता है और दूसरे मेम्बरों की उसमें घुसने की गुंजायश नहीं है। इस फैकल्टी के अन्दर एक और भी तमाशा है। उसके अन्दर तीन मेम्बर कोआप्ट हो सकते हैं और उनके लिये यह व्यवस्था है कि चाहे जितने समय के लिये उनको कोआप्ट किया जा सकता है। जितनी अवधि के लिये उनको कोआप्ट किया गया है उसके बीच में भी उनको कहा जा सकता है कि तुमको निकाला जाता है। इस संशोधन को पढ़ने से यह भी मालूम हुआ कि किसी भी काम के लिये उनको कोआप्ट किया जा सकता है। किसी एक स्पेसिफिक काम के लिये भी उनको कोआप्ट किया जा सकता है। वे स्थायी नहीं रखे जायंगे। उनके लिये यह भी नहीं होगा कि वह साल भर तक काम करेंगे या इतने समय तक काम करेंगे। उनको किसी एक निश्चित समय तक के लिये भी रखा जा सकता है। चाहे जब उनको बुलाकर कह दिया जा सकता है कि तुम्हारी अब आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यह बोर्ड बनाया गया है। फैकल्टी के अन्दर एक्स आफिसियो मेम्बर होंगे। उसके साथ मेम्बरों को एक्सआफिसियो माना गया है। उसका आफिसियो कोई मेम्बर नहीं है। यह जो फैकल्टी का संगठन किया गया है, यह बहुत ही दोषयुक्त है। परीक्षा के अन्दर जो गड़बड़ी हुआ करती है उस गड़बड़ी को दूर करने की मैं आशा नहीं करता हूं। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि फैकल्टी का संगठन जो है उसमें कोई अन्य परिवर्तन किया जाय। इतना ही नहीं फैकल्टी के सम्बन्ध में जो अधिकार हैं उनके सम्बन्ध में भी गड़बड़ी है। उसके क्या अधिकार हैं और बोर्ड के अधिकार किस प्रकार के हैं इस सम्बन्ध में जब कभी झगड़ा होगा उसका फैसला बन्दर बांट की तरह से होगा। न बोर्ड कुछ काम कर पायेगा और न फैकल्टी कुछ काम कर पायेगी। वह सारा का सारा झगड़ा सरकार के पास आयेगा और इस तरह से हर काम में डिले हुआ करेगी। जो काम होगा वह बोर्ड उसको कर पायेगा या नहीं, इसमें सन्देह है। उसमें जो सदस्य रखे गये हैं उसमें ६ सदस्य रखे गये हैं। उन ६ सदस्यों में से ४ वैद्यों को रखा गया है और २ हकीमों को रखा गया है। इसका परिणाम यह होगा कि जिस तरह से वे चाहेंगे करेंगे। इन ६ के अलावा इसमें और किसी की गुंजायश नहीं है। तो इस फैकल्टी के अन्दर काफी दोष है। जिन सज्जनों

को बोर्ड की परीक्षा के संबंध में अनुभव हो, जो इस संबंध में काफी ज्ञान रखते हों, उनको इसमें रखने की आवश्यकता है, नहीं तो इस बोर्ड की परीक्षा की प्रणाली में सुधार नहीं होने वाला है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि फैकल्टी के अन्दर जो संगठन किया गया है उसको काफी सुधारने की आवश्यकता है। नहीं तो परीक्षा के अन्दर काफी धान्धली होने की गुंजायश है। फैकल्टी के अन्दर जितने सदस्य हैं वे सब अध्यापक ही हैं और आज तक का भी यह अनुभव है कि बोर्ड का जितना कार्य संचालन हुआ है उसके कार्य संचालन में भी हमेशा अध्यापकों का ही महत्व रहा है। तो अब इस फैकल्टी के जरिये अध्यापकों को सीमित क्षेत्र में एक ऐसा अधिकार प्राप्त होगा जिसका बहुत ही दुरुपयोग हो सकता है। इसलिये इस कारण से हम यह चाहते हैं कि इस फैकल्टी के संगठन में परिवर्तन किया जाय। तो यह जो फैकल्टी कायम करने की जरूरत है वह इस स्थिति से हुई और इसके अलावा और भी आयुर्वेदिक और यूनानी के संबंध में काफी काम हुआ है और सरकार ने इन संस्थाओं को काफी प्रश्रय दे रखा है। जैसा मैंने शिक्षा के सम्बन्ध में शुरू में कहा था यूनानी और आयुर्वेद की पढ़ाई के संबंध में वही व्यवस्था होनी चाहिये और वह हर संस्था में चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जहां पर यूनानी और आयुर्वेद की पढ़ाई की व्यवस्था है वहां पर यदि क्रियात्मक प्रणाली के संबंध में व्यवस्था नहीं है तो उन शिक्षा संस्थाओं को कोई भी इमदाद नहीं मिलनी चाहिये।

जिन संस्थाओं के अंदर आयुर्वेदिक की पढ़ाई होती है, या जहां पर परीक्षा ली जाती है यदि वहां पर क्रियात्मक शिक्षा नहीं है तो उन संस्थाओं को सरकार की ओर से कोई मान्यता नहीं मिलनी चाहिये। इस शिडयूल के मातहत सरकार ऐसी संस्थाओं को भी स्वीकार करती है जिनके अन्तर्गत प्रयोगात्मक शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसी शिक्षा संस्थायें इस शिडयूल में शामिल नहीं होनी चाहिये क्योंकि ऐसी शिक्षा संस्थाओं से पूरा-पूरा लाभ होने की आशा नहीं की जा सकती। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि ऐसी संस्थायें पनपें जिनके अंदर प्रयोगात्मक शिक्षा दी जाती हो और दूसरी ओर ऐसी संस्थाओं को भी मान्यता दे दी जाती है, जैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन और आयुर्वेदिक विद्यापीठ जिनके पास क्रियात्मक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक सरकार की इस नीति का संबंध है इसको हम उचित नहीं समझते और न इसमें कोई औचित्य ही मालूम पड़ता है। जो विद्यार्थी इन संस्थाओं से उपाधि प्राप्त करते हैं वे कभी भी उस स्तर के नहीं हो सकते, जो उन संस्थाओं से निकलते हैं जहां प्रयोगात्मक शिक्षा का प्रबंध है।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के संबंध में सरकार के इरादे बहुत पक्के हैं। सरकार उसको अच्छी तरह से चलाना चाहती है, लेकिन उस संस्था को चलाने में कई कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। इस संस्था को चलाने के लिये तिहेरी शासन की व्यवस्था की गयी है। एक शासन तो यूनिवर्सिटी का है, जिसमें वाइस-चांसलर आदि हैं, दूसरा शासन डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का है और तीसरा शासन मेडिकल के सेक्रटरी और मिनिस्टर महोदय का है। अब प्रत्येक कागज जो भी होता है उसको इन ३-३ और ६-६ जगहों से होकर जाना पड़ता है, जिसके कारण बड़ा भारी विलम्ब होता है। प्रिन्सिपल के विज्ञापन को ही ले लीजिये। उसी को भेजने में इतना विलम्ब हो गया है कि जो प्रिन्सिपल जुलाई में हो जाना चाहिये था उसका अप्वाइंटमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। हो सकता है कि कुछ कानूनी मजबूरियां भी ऐसे कामों में हों लेकिन सबसे अधिक तिहरे शासन के कारण से ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त फैकल्टी का आज तक निर्माण नहीं हुआ है। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की फैकल्टी का निर्माण हुआ है तो उसकी बैठक आज तक नहीं बुलाई गयी। यह एक बहुत ही गंभीर बात है कि अगर कोई संस्था कायम भी हुई है तो उसकी आजतक कोई बैठक भी नहीं बुलाई गयी। इसी प्रकार से प्रिन्सिपल और डीन को भी मुकर्रर नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से इस काम में बहुत सी बाधायें पड़ी हुई हैं। अगर हम चाहते हैं कि यह संस्था अच्छी तरह से काम करे तो हमें इस फैकल्टी को जीवित करना चाहिये, उसको संगठित करना चाहिये तथा उसकी बैठक बुलाना चाहिये और उसके परामर्श के अनुसार कार्य होना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि जो यह स्टेट आयुर्वेदिक कालेज खुल रहा है उसके लिये

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। कभी तो डाइरेक्टर पर उसकी जिम्मेदारी डाली जाती है तो कभी डिप्टी डाइरेक्टर पर। किसी एक व्यक्ति पर उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदन गोपाल वैद्य—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार के पास ३ प्रकार के ढांचे हैं। एक तो यूनिवर्सिटी शिक्षा का, दूसरे बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की ओर से जो शिक्षा की व्यवस्था हो रही है वह और तीसरे वह व्यवस्था है जिसको सरकार रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स कहती है और यही ३ प्रकार की व्यवस्था शिडयूल में दी हुई है। स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के सम्बन्ध में मैं कह रहा था कि वहां की फैकल्टी कुछ नहीं कर रही है और न उसका ठीक से संगठन ही हुआ है और उसके अधिकांश सदस्य यू० पी० के बाहर के हैं और उसकी बैठक भी अधिकतर नहीं बुलाई जाती है, साथ ही कालेज के सफल संचालन के लिए वहां का प्रिन्सिपल उत्तरदायी होना चाहिए और उसका एक ऊंचा स्तर होना चाहिए, जो वर्तमान प्रिन्सिपल हैं डिप्टी डाइरेक्टर आफ आयुर्वेदिक का भार भी उन्हीं को सौंपा गया है। अगर इसका विकास करना है तो उनके पास इस तरह के और काम न होने चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत काम है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में प्रिन्सिपल के पद पर स्थायी नियुक्ति होगी और फैकल्टी की स्थापना होगी और जब उसका कोई डीन चुना जायगा तभी यह कार्य सफलतापूर्वक चल सकता है, अभी तक इस नियुक्ति के सम्बन्ध में हमारा कटु अनुभव रहा है।

पहले स्टेट आयुर्वेदक कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी में खुला था और उसमें जो नियुक्तियां लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से की गई थीं और जिन अध्यापक महोदय की नियुक्ति की गई थी वह जब चार्ज लेने आए तो वहां के जो डीन थे उन्होंने ने साफ-साफ उनको जवाब दे दिया कि हम अपने यहां इस आयुर्वेदिक कालेज को नहीं चलने देंगे और आप को चार्ज नहीं देंगे। उनको एप्वाइंटमेंट लेटर भी दिखाया गया, लेकिन उन्होंने उनको चार्ज नहीं दिया, वह वाइस-चांसलर महोदय से भी मिले, लेकिन तमाम अधिकारियों से मिलने पर भी उन को चार्ज नहीं दिया गया और वह घर वापस लौट गए। मेरा निवेदन है कि ऐसे आयुर्वेद विरोधी लोगों को फैकल्टी में स्थान न मिलना चाहिए, यह मेरी सैद्धान्तिक प्रार्थना सरकार से है। स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के अलावा अब दूसरी जो फैकल्टी की व्यवस्था बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की ओर से की गई है उसके संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं। और तीसरी व्यवस्था जो रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स की ओर से की जाती है यानी सरकार ने बहुत सी संस्थाओं को अधिकार दिया है कि जो रजिस्ट्री के लिए स्वीकृति दे सकती है, उनमें भी दो प्रकार की संस्थायें हैं, एक तो वह हैं जो खुद आयुर्वेदिक शिक्षा देती हैं और पढ़ाई और क्रियात्मक शिक्षा का जिनमें प्रबन्ध है और दूसरी संस्थायें वह हैं जो केवल फीस लेकर परीक्षा ही लेती हैं और डिग्री बांटती हैं और उनके पास किसी प्रकार की क्रियात्मक या मौखिक दीक्षा आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है, वह केवल पैसा लेकर डिग्रियां बांटा करती हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस प्रकार की मान्यता को सरकार को रद्द कर देना चाहिए। अब यह दोनों प्रकार के ढांचे नहीं चल सकते। जहां बाकायदे ५ साल की सुव्यवस्थित पढ़ाई का प्रबन्ध हो और क्रियात्मक शिक्षा दी जाती हो वही ठीक है अगर दूसरी तरफ इस तरह से बगैर किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था के और बगैर क्रियात्मक शिक्षा के अगर मान्यता दी जाती रहे तो कोई स्टैंडर्ड उनका नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की मान्यता और डिग्रियां अमान्य होना चाहिए और उनको भविष्य में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।

इसके अलावा जो संस्थायें सरकार की तरफ से मान्यता के लिये स्वीकृत की जाती हैं, उनके सम्बन्ध में अभी बहुत से अनुभव हम लोगों को प्राप्त हुये हैं। आम तौर से यह सर्वमान्य

बात है कि जो संस्थायें मान्यता प्राप्त करने के लिये स्वीकृत की जाती हैं, उनके पास कम से कम निश्चित संख्या में विद्यार्थी होने चाहिये, निश्चित संख्या में अध्यापक होने चाहिये, उनके पास कुछ रिसोर्सेज और कुछ पूंजी होनी चाहिये, कुछ भूमि कुछ दूसरे साधन भी होने चाहिये। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ऐसी बोगस संस्थायें आज अपने प्रदेश के अन्दर काम कर रही हैं, उनको सरकार की तरफ से मान्यतायें भी प्राप्त हो चुकी हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि अगर हमें आयुर्वेद के स्टैंडर्ड को ऊंचा करना है तो ऐसी संस्थाओं में प्रथम वर्ष जहां पर तीस से अधिक विद्यार्थी न हों ऐसी किसी संस्था को मान्यता न मिलनी चाहिये। जिस शिक्षा संस्था के अन्दर पांच भी स्थायी अध्यापक न हो उनको भी मान्यता नहीं मिलनी चाहिये। इसी तरह से जिनकी वार्षिक आय और व्यय ५० हजार के करीब इस महंगी के जमाने में भी न हो, ऐसी किसी संस्था को मान्यता नहीं मिलनी चाहिये और ऐसी शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देना उपहास करना है।

अब तो स्थिति यह है कि कोई शिक्षा संस्था जिसमें लाख से अधिक व्यय हो, जिसकी वार्षिक आय और व्यय १० हजार के करीब हो, और जिसका वार्षिक व्यय ५० हजार के करीब हो सबकी एक बराबर कीमत मान लेना एक उपहास की बात होगी। ऐसी स्थिति में क्यों कोई ज्यादा प्रयत्न करे, क्यों कोई अधिक धन और अधिक साधन एकत्रित करे, जब कि १० हजार वार्षिक व्यय वाले को भी वही मान्यता मिलती और ५० हजार व्यय वाले को भी वही मान्यता मिलती है और इससे एक बड़ी चिन्ता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आज जो संस्थाओं का विकास नहीं हो रहा है उसके अन्दर सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार ने उन संस्थाओं को जो पैसा लेकर डिग्रियां बांटते हैं उन संस्थाओं को भी मान्यता दी है और इस कारण आज जो सरकार की तरफ से बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के अन्दर हमारे यहां जो आयुर्वेदिक कालेज चल रहे हैं उनमें विद्यार्थी नहीं प्राप्त होते हैं और इसका कारण यह है कि लोग समझते हैं कि जब हमें हिन्दी साहित्य-सम्मेलन से या आयुर्वेद विद्यापीठ से डिग्री मिल जाती है तो हम क्यों समय बरबाद करें और दूसरी तरफ दूसरी परीक्षा चाहे एम० एस-सी० और एम० बी० बी० एस० को पास कर लिया और घर बैठे आयुर्वेद की डिग्री बिला परीक्षा दिये पैसा देने पर मिल जाती है, तो क्यों कालेज में भरती हों। और इसलिये शिक्षा की नीति के सम्बन्ध में सरकार का यह मौलिक दृष्टिकोण और सिद्धान्त होना चाहिये कि जिन शिक्षा संस्थाओं के अन्दर पढ़ाई में क्रियात्मक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और जिनके पास समुचित मात्रा में पढ़ाई के साधन नहीं हैं, उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिये और उनको अमान्य घोषित कर देना चाहिये। इसके लिये मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि जो छोटी-छोटी बहुत सी संस्थायें आयुर्वेद की खुली हुई हैं और उन संस्थाओं को अमलग-मेट कर दिया जाय और उनके साधनों को एक में मिलाकर उनका उपयोग किया जाय तो बहुत सी कठिनाइयां इस सम्बन्ध में हल हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर लखनऊ में तीन यूनानी की शिक्षा संस्थायें हैं। जो साधन उनके पास हैं उनको एकत्रित कर दिया जाय और प्रथम और द्वितीय वर्ष की पढ़ाई किसी एक शिक्षा संस्था में हो और तीसरे और चौथे वर्ष की दूसरे और पांचवें वर्ष की तीसरे में। इस प्रकार सब शिक्षा संस्थाओं के साधनों का उपयोग होगा और वे अच्छी तरह से हित साधन कर सकते हैं। इसी तरह से बनारस में चार पांच संस्थायें आयुर्वेद की हैं। उन सब के स्थान अलग-अलग हैं, उनके अपने साधन अलग-अलग हैं, उनके अध्यापक अलग-अलग, उनके विद्यार्थी अलग-अलग यदि इन पांचों के साधनों को, इनके विद्यार्थियों को, इन पांचों के अध्यापकों को, इन पांचों के साधनों को एकत्र कर लिया जाय तो एक बड़ा अच्छा स्टैन्डर्ड कालेज बन सकता है और उन पांचों के दानदाताओं के नाम से एक-एक के नाम से अलग-अलग पांच विभाग खोल दिये जायं तो उनके नाम को भी चिरस्थायी रखा जा सकता है। इस तरह से उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा किया जा सकता है।

शिक्षा प्रणाली के बाद इस ऐक्ट के जरिये से जो आज विशेष काम होता है वह वैद्यों की रजिस्ट्री का काम है। मैं रजिस्ट्री के सम्बन्ध में थोड़ा कहना चाहता हूं। सरकार ने वर्तमान संस्थाओं की रजिस्ट्री पैरा ४ के जरिये से समाप्त कर दी है, यह खुशी की बात है।

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

यों तो सरकार ने नोटीफिकेशन के जरिये से भी पैरा ४ के अन्तर्गत जो रजिस्ट्री होती थी, जिसके पास प्रमाणपत्र नहीं होते हैं ऐसे वैद्यों की रजिस्ट्री समाप्त हो गई थी। लेकिन अभी हाल ही में पैरा ४ के वैद्यों की रजिस्ट्री खोल दी गयी थी। लेकिन अब वह एकदम से बन्द होने जा रहा है। इस समाचार को जान कर बड़ी खुशी होती है क्योंकि सरकार की तरफ से एक वैज्ञानिक कदम उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्री के सम्बन्ध में सरकार से मेरा फिर वही आग्रह और निवेदन है कि अब ऐसी संस्थाओं की रजिस्ट्री प्रामाणिक रूप में बन्द होनी चाहिये जिनके पास पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है या समुचित साधन पढ़ाई के नहीं हैं।

इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रिविलेजेज का आता है। जो अधिकार वैद्यों को प्रिविलेजेज के रूप में हासिल हैं उनके व्यवहार के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हैं उनके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यों तो कानून के अन्दर बहुत सी सुविधायें और प्रिविलेजेज वैद्यों और हकीमों को प्राप्त हैं, लेकिन दो सुविधाओं की ओर खास कर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो एप्वाइंटमेंट के सम्बन्ध में और दूसरे मेडिकल सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में। मेडिकल सर्टिफिकेट का जहां तक सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों और जनता के बीच में बहुत सी गलत धारणायें हैं। उनका सम्बन्ध कुछ तो कानूनी दिक्कतों से है और कुछ व्यावहारिक दिक्कतों से है। आम तौर से ऐसा समझा जाता है कि यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट के मातहत जो सुविधायें प्राप्त हैं उसके जरिये से हम केवल उत्तर प्रदेश के राज कर्मचारियों को ही मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, केन्द्रीय सरकार के राज्य कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। एक ऐसी धारणा समाज के अन्दर है। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेडिकल सर्टिफिकेट देने के सम्बन्ध में जो भी अधिकार संविधान के जरिये से किसी भी वैद्य, हकीम या डाक्टर को प्राप्त हैं वे अधिकार प्रदेशीय सरकार के अधिकारों के अन्दर आते हैं। संविधान के सप्तम शेडयूल की तीसरी लिस्ट के २६ वें आइटम पर लीगल मेडिकल एंड अदर प्राविजन्स आता है। इस प्रकार से मेडिकल प्राविजन का जो अधिकार है वह कान्करेंट लिस्ट के अन्दर आता है। वह प्रदेशीय सरकार की अधिकार सीमा के अन्दर में है। जो यू० पी० इंडियन मेडिकल ऐक्ट हैं या प्रदेशीय सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है, उसके जरिये से जो अधिकार हमको मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिये प्राप्त हैं, उसके मातहत हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्योंकि वे कांकरेंट लिस्ट के अन्दर शामिल हैं। इसके अलावा जब सरकारी कर्मचारियों से कभी-कभी शिकायत मिलने का मौका आया कि बिजली विभाग या अमुक विभाग ने एक वैद्य का सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया तो हमेशा सरकार की तरफ से यही जवाब मिला कि वह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है उस पर न हम कोई दबाव डाल सकते हैं और न मशिवरा दे सकते हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार कांकरेंट या स्टेट लिस्ट के अन्दर हैं उनके अधिकारों को हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से हम रोज देखते हैं कि उनके रेवेन्यू स्टैम्प लगाते हैं और केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी चाहे कि वह उस स्टैम्प को न लगायें तो वह ऐसा नहीं कर सकता। जो हमारे प्रदेशीय सरकार के अधिकार हैं उन अधिकारों को हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू कर सकते हैं। इसी तरह से डाक्टर जो सर्टिफिकेट देते हैं उसे वे स्टेट लिस्ट के अन्दर कांकरेंट लिस्ट के अधिकारों के अनुसार ही देते हैं।

यह सौभाग्य की बात है कि किसी भी डाक्टर को किसी भी कानून के जरिये से मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो वैद्यों को ही इंडियन मेडिकल ऐक्ट की धारा ३९ के अनुसार प्राप्त है। इस प्रकार का अधिकार इंडियन मेडिकल ऐक्ट में डाक्टरों को कहीं भी प्राप्त नहीं है। केवल हमें ही बहुत ही विशद रूप में ऐक्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में व्यवहार में ऐसी धारणा बन चुकी है कि हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते और असलियत

तो यह है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी एक ऐसा सर्कुलर शाया हो चुका है कि रजिस्टर्ड हकीम या वैद्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं ? इस सम्बन्ध में दो चार लाइन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

यह केन्द्रीय सरकार का एक सर्कुलर है--

"Medical certificates issued by registered Ayurvedic or Unani practitioners, i. e. by registered Vaids or Hakims, will also be accepted for purposes of Supplementary Rules 229 (*a*) and 212, provided that such certificates are accepted for the relevant purposes, in respect of its own employees, by the Government of the State in which the Central Government servant falls ill or to which he proceeds for treatment."

इस तरह से केन्द्रीय सरकार का भी एक ऐसा सर्कुलर है कि उन्हें हर विभाग में वैद्यों और हकीमों के मेडिकल सर्टिफिकेट्स को भी मान्यता देनी चाहिए । लेकिन फिर भी ऐसी गलत धारणा सरकारी कर्मचारियों और जनता के अन्दर है कि हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकते हैं । यह धारणा बिलकुल निर्मूल है और केन्द्रीय सरकार का सर्कुलर इस सम्बन्ध में स्पष्ट है । उसके अन्दर एक सीमा रखी गयी, जो कि मैंने केन्द्रीय सरकार का सर्कुलर अभी पढ़ा है । उसमें यह दिया हुआ है कि जिस सीमा तक उत्तर प्रदेश के राज कर्मचारियों के लिए वैद्यों और हकीमों के सर्टिफिकेट्स मान्य हैं उसी सीमा तक केन्द्रीय सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए वैद्यों और हकीमों के सर्टिफिकेट्स मान्य हैं । यह एक बन्धन केन्द्रीय सरकार की तरफ से रखा गया है । तो इसका परिणाम यह होता है कि जितने अधिकार हमें इंडियन मेडिसिन ऐक्ट की ३९ वीं धारा के अन्दर प्राप्त हैं उतने ही अधिकार इस सर्कुलर के जरिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट्स देने के लिए प्रदान किये गय हैं । लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस प्रकार आयुर्वेद और एलोपैथी में एक संघर्ष चल रहा है, समय-समय पर ऐसे सर्कुलर्स निकाल देती हैं कि जो अधिकार हमें ३९ वीं धारा में प्राप्त हैं उनको प्रदेशीय सरकार की तरफ से समय-समय पर सीमित कर दिया जाता है ।

मैं सरकार का ध्यान इस समय मेडिकल सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में जो नवीनतम जी० ओ० है, जी० ओ० नं० २००९/४६, तारीख २७ अक्तूबर, १९५० की तरफ दिलाना चाहता हूं । जो मैंने अभी सर्कुलर पढ़ कर सुनाया है उसमें केन्द्रीय सरकार ने तो यह कहा है कि जिस सीमा तक प्रदेशीय सरकार अपने राज कर्मचारियों के लिए वैद्यों और हकीमों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को मान्य समझती है उसी सीमा तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मान्य मानती है । तो फिर उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी । अब यह देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सीमा निर्धारित की है । यह जो जी० ओ० मैंने २००९/४६ बताया उसके अनुसार सरकार ने परिवर्तन किये हैं, उससे जो धारा ३९ के अधीन हमें अधिकार प्राप्त हुए थे, उनके अन्दर बहुत कड़ी सीमा निर्धारित कर दी है । धारा ३९ के पढ़ने से मालूम होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में कोई रोकटोक नहीं है । निर्बाध रूप से हर प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट दिये जा सकते हैं । चाहे कितने समय के लिए छुट्टी दे सकते हैं । किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं चाहे वह गजटेड हो या नानगजटेड आफिसर हो । ऐसे विशद् अबाध अधिकार हमें धारा ३९ के जरिये प्राप्त हैं । लेकिन इस जी० ओ० के अन्दर प्रदेशीय सरकार ने तीन प्रतिबन्ध लगा रखे हैं । एक तो यह है कि केवल नानगजटेड राज कर्मचारियों को ही मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं । दूसरा यह है कि एक ही महीने की छुट्टी दे सकते हैं । इससे अधिक की छुट्टी यदि हम देना चाहें तो नहीं दे सकते । तीसरा प्रतिबन्ध यह लगाया गया है कि अगर किसी राज कर्मचारी की नियुक्त का प्रश्न है और फिटनेस सर्टिफिकेट देना है तो सिर्फ ५० रु० बेसिक पे पाने वाले को ही फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकते हैं । इसलिए जो बहुत

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

विशद् और अबाध अधिकार जो हमें धारा ३९ से प्राप्त हैं उस पर एक ओर प्रतिबन्ध राज्य सरकार ने लगा दिया है।

मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह इस जी० ओ० को रिवाइज करे क्योंकि जो अधिकार हमें धारा ३९ में प्राप्त है, वह इसके जरिये छीने जाते हैं। उसी सीमा तक केन्द्रीय सरकार भी हमारे अधिकार को मानने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है। इस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की स्थिति बहुत स्पष्ट है। उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस सीमा तक और जिन प्रतिबन्धों के साथ हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट को मान्य समझती है, उसी सीमा तक वह भी मान्य समझती है। अब यह उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य है कि वह हमारी सीमा को सही तरीके से इंडियन मेडिसिन ऐक्ट की धारा ३९ के शब्दों के आधार पर इसको निर्धारित करे और उसमें संशोधन करे। और हम शीघ्र ही आशा करते हैं कि सरकार उसमें शीघ्र ही संशोधन करेगी ताकि यह जी० ओ० और धारा ३९ के भावों में कोई अन्तर न रहे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद दूसरी बात जिसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह अप्वाइन्टमेंट के सम्बन्ध में है। सरकार को ऐसा अवसर आता है कि छोटी डिसपेंसरियों में वैद्यों की नियुक्ति होती है, लेकिन विशेष नियुक्ति का प्रश्न ऊंचे पदों के सम्बन्ध में आता है। ऊंचे पदों के सम्बन्ध में कौन सी योग्यता ऊंची मानी जाय इस सम्बन्ध में सरकार की नीति अभी उतनी वैज्ञानिक नहीं है जितनी की होनी चाहिये। सरकार की तरफ से तो नियुक्तियां वैद्यों की होती है, लेकिन वैद्यक की बेसिक क्वालिफिकेशन पर ही सरकार को कन्सीडर करना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से जब कभी भी विज्ञापन निकलता है, उसमें आयुर्वेद की क्वालिफिकेशन को प्रीफरेंस न मिल करके वह साइन्स की क्वालिफिकेशन को प्रीफरेन्स देने की घोषणा करती है। यहां पर हमारे सामने एक कटिंग है। सरकार अप्वाइन्टमेंट करना चाहती है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रीफरेन्सियल क्वालिफिकेशन एम० बी० बी० एस०। तो फिर कोई एम० बी० बी० एस० विद्यार्थी किस प्रकार आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वह तो साइन्स पढ़ता है, एम० बी० बी० एस० का कोर्स पढ़ता है, उसको आयुर्वेद का क्या ज्ञान हो सकता है या डिग्री मिल सकती है।

इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार जो विज्ञापन निकालती है उसमें कहती है कि एम० बी० बी० एस० और एम० एस० सी० को प्रधानता दी जायगी। तो जो ऐसे विद्यार्थी हैं वे आयुर्वेद की डिग्री हासिल कर सकते हैं? इस तरह से बेसिक क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में सरकार की दुरंगी नीति रही है और इस पर से नियुक्तियों में और भी परेशानियां हुआ करती हैं और इतना ही नहीं सरकार के पहले आयुर्वेद विद्यापीठ जो कि पैसा ले करके डिग्री देती है, इसके विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरियों में भी नियुक्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज वहां के विद्यार्थी बड़े से बड़े पद के लिये नियुक्त हो रहे हैं और होते हैं। तो सरकार का ध्यान मैं आयुर्वेद की बेसिक क्वालिफकेशन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार चाहती है कि जिन यूनीवर्सिटियों में आयुर्वेद पढ़ाया जाता है उसको तर्जीह मिले या बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की तरफ से जो पाठ्यक्रम की व्यवस्था है अगर उसको तरक्की चाहती है तो उनको प्रधानता मिलनी चाहिये न कि ऐसे विद्यार्थियों को जो कि केवल पैसा दे करके डिग्री हासिल करते हैं। तो एम० बी० बी० एस० का जो झगड़ा ऐप्वाइन्टमेंट के सम्बन्ध में सरकार लगाती है मैं इसका विरोध करता हूं जबकि आप वैद्यों का चुनाव करें तो उसमें एम० बी० बी० एस० प्रीफरेन्सियल क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है। अब मैं आयुर्वेद के क्षेत्र के अन्दर जो शासन का ढांचा है उसके सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह बात तो सर्वविदित है कि आयुर्वेद और ऐलोपैथी का एक संघर्ष उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो कि बहुत ही घृणापूर्ण और हास्यास्पद है और उसमें सरकारी कर्मचारियों का भी हाथ रहा है। तो सरकार की तरफ से आयुर्वेद का जो शासन का ढांचा

है उस ढांचे के अगर कुछ कारनामों को देखें तो मालूम पड़ता है कि जो भी परिस्थिति हो जो भी कारण हो या जो भी मजबूरियां हों, किसी न किसी मजबूरी के कारण से ऐसा मालूम पड़ता है कि हर राज कर्मचारी एक उपेक्षा की दृष्टि से. बिल्कुल एक अनइन्टरेस्टेड मालूम पड़ता है। उसमें ऐसा दिखाई पड़ता है और हर काम में हर बात के निर्णय में इतना विलम्ब होता है, जिससे मालूम पड़ता है कि किसी को कोई दिलचस्पी ही नहीं है। एक मामला स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति के सम्बन्ध में चल रहा है। कितने वर्षों से वह कालेज चल रहा है लेकिन उसके लिये आज तक एक प्रिंसिपल भी सरकार को नहीं मिला है। कितने-कितने मर्तबे विज्ञापन होते हैं लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। इस तरह से बिल्कुल अनडिसाइडेड यह मामला चल रहा है। आखीर कालेज चलेगा तो किसी प्रिंसिपल की जरूरत भी है या नहीं है लेकिन चार-पांच वर्ष से कालेज चल रहा है और आज तक एक प्रिंसिपल सरकार को उस कालेज के लिये नहीं मिल रहा है। सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि किस योग्यता का प्रिंसिपल होना चाहिये, आखीर क्या हिन्दुस्तान के अन्दर कोई योग्य प्रिंसिपल है ही नहीं? तो ऐसी स्थिति सरकार को दिखाई पड़ती है, जोकि एक बड़ी अशोभनीय बात है। इससे मालूम पड़ता है कि इस सरकार को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। निश्चय ही प्रिंसिपल के बगैर वह संस्था सफल नहीं हो सकती है और उसकी नियुक्ति में आज चार-पांच वर्ष लग जायं तब भी उसकी नियुक्ति न हो, इससे बढ़कर उपेक्षा की बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं शासन का ढांचा भी किस तरह चलता है, यह भी जरा देखने की बात है। हर मामला हर पेपर शासन में चला करता है। शासन में डायरेक्टर का भी दखल आता है।

सरकार कहती तो है कि आयुर्वेद के मामले में, डिप्टी डाइरेक्टर आयुर्वेद ही प्रधान निर्णायक है, लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि उसमें डाइरेक्टर भी आता है और किसी किसी मामले में डाइरेक्टर का मत भी बाधा के रूप में सामने आ जाता है। अगर डिप्टी डाइरेक्टर अपना कार्य करने में स्वतन्त्र हो तो मैं समझता हूं कि जो कार्य कि विलम्ब से हुआ करते हैं या बहुत ही विषम परिस्थिति में हुआ करते हैं वह सब विषम परिस्थिति समाप्त हो करके काम सरलता से सीधे और कम समय में हो सकते हैं। अभी हमने आज ही कहा था कि शासन का एक ऐसा ढांचा है कि यहां डिप्टी डाइरेक्टर आयुवद हेडक्वार्टर्स पर रहते हैं। उनके मातहत कुछ इन्स्पेक्टर्स हैं, दस, बारह, पन्द्रह, आयुर्वेद और यूनानी के, और उन इंस्पेक्टरों के मातहत कुछ जिले हैं, चार-चार छः-छः, जिले हर एक इन्स्पेक्टर के मातहत हैं। तो वह इन्स्पेक्टर जो इन्स्पेक्शन करते हैं या जो काम करते हैं उस सम्बन्ध में अब उनको नवीन हुक्म हुआ है कि अब वह अपने-अपने डिवीजन के अन्दर रहें। अब तक वह हेडक्वार्टर्स पर रहते थे। वह गजटेड आफिसर्स भी हो चुके हैं और वह कई-कई जिले के इन्चार्ज हैं, लेकिन अब उनको यह आज्ञा दी गई है कि वह जाकर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के नीचे काम करें। कहां तो वह पांच छः जिले के आफिसर हैं और कहां अब उनको हुक्म मिला है कि आप एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के मातहत काम करें और वहीं उसी के आफिस में कोई कमरा वगैरह मिल जाय तो वहीं रहिये। तो एक डिवीजनल आफिसर से यह कहा जाता है कि जाइये वहां डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के दफ्तर में कोई कमरा लेकर अपना दफ्तर चलाइये। तो इस परिस्थिति में आयुर्वेद का कैसे उद्धार हो और कैसे उसकी उन्नति हो सकती है। दूसरी एक मिसाल हमने आज ही बतायी कि दस डिस्पेन्सरियों को सरकार सब्सिडाइज्ड शक्ल में अनुदान देना चाहती। उसके सिलसिले में सरकार की तरफ से जो सर्क्युलर छपा उस सर्क्युलर में यह छपा था कि प्रार्थनापत्र डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के पास या, यहां भेज दिया जाय। लोगों ने कहा कि लखनऊ कौन भेजे यहीं प्रार्थना-पत्र दे दिया जाय। तो वह उनके प्रार्थना-पत्र तो वहीं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के दफ्तर में ही पड़े-पड़े सड़ रहे हैं और यहां निर्णय हो चुका...।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। इस बिल के अन्दर तो इसके जो बुनियादी उसूल हैं उन पर ही विवाद होना

[श्री बनारसी दास]

चाहिये। माननीय सदस्य उसके संचालन के बारे में जैसे बजट का डिस्कशन हो रहा हो, इस प्रकार बहुत सी चीजें जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है, कह रहे हैं। बेहतर होता अगर वह अपना भाषण इसी तक सीमित रखते।

श्री मदन गोपाल वैद्य--मैं इस इंडियन मेडिसिन ऐक्ट के मातहत जो आयुर्वेद और यूनानी क्षेत्र का शासन हो रहा है, उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ को आयुर्वेद और यूनानी से कोई भी प्रेम नहीं है। इस सम्बन्ध के जो कागज उनके पास जाते हैं, जो काम उनको करना चाहिये, उस सम्बन्ध में उनकी बिल्कुल उदासीनता रहती है और वह सब पेपर्स पड़े रहते हैं और हर काम में बड़ा विलम्ब होता है।

इसलिये अभी तक जो डिस्पेंसरी के वैद्य हकीम हुआ करते थे, उनका सम्बन्ध आयुर्वेद के डिवीजनल आफिसर के साथ था, लेकिन इस बीच में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ भी एक अधिकारी हैं, उनको भी अधिकार हासिल है, उनके कारण भी कार्य में काफी विलम्ब होता है और औषधियां भी सड़ गल कर खराब हो जाती हैं, तब उनके पास पहुंच पाती हैं।

इसके अलावा सरकार की तरफ से जो सहायता अब तक वैद्यों और हकीमों और डिस्पेंसरियों को मिलती थी वह अब तक गवर्नमेंट से या डिप्टी डायरेक्टर के जरिये से और बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की तरफ से मिला करती थी, लेकिन उस सम्बन्ध में अब सरकार ने बोर्ड के सारे अधिकार छीन लिये हैं और अब बोर्ड को वैद्यों और डिस्पेंसरीज को, शिक्षा संस्थाओं को ग्रांट देने का अधिकार नहीं रह गया। तो यह जो अधिकार हर लिया है, मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि वह भी एक सरकार का ढांचा था और अंग था उनके अधिकारों का छीना जाना वैद्य समाज के लिये एक असहनीय बात हो गयी है।

जितनी अमेंडमेंट अब तक आई हैं वह तो किसी प्रकार से विचारणीय थीं, लेकिन सरकार ने इस ऐक्ट के अन्त में दो ऐसे संशोधन उपस्थित किये हैं इस संशोधन विधेयक के द्वारा और इतने असीमित अधिकार मांगे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई है। उसके जरिये से सरकार ने यह चाहा है कि सरकार को इतना अधिकार मिले कि अधिनियम में सरकार जो चाहे उसमें से घटा दे, बढ़ा दे या निकाल दे, जो सरकार चाहे करे। अगर सरकार को अधिनियम के अन्दर कोई कठिनाई होती है तो वह कठिनाई सरकार दूसरे संशोधन विधेयक के द्वारा विधान परिषद् में उपस्थित करती है और तब उसमें संशोधन होता है। अथवा एसी कोई घोर आवश्यकता पड़ जाय कि तुरन्त ही कोई कार्य करना होता है तो उस समय सरकार आर्डिनेंस के जरिये से कार्य करती है और बाद में वह विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसमें अन्तिम धारा के जरिये से सरकार ने इतने असीमित अधिकार मांगे हैं कि जब चाहे घटा दे या बढ़ोत्तरी कर सकती है और इसके साथ ही साथ सरकार ने मूल अधिनियम के अन्दर एक ऐसी भी धारा रखी है कि सरकार के ऊपर कोई भी दावा किसी तरह का हो ही नहीं सकता। इस तरह से सरकार ने अपने हाथ इतने मजबूत कर रखे हैं कि और इतने असीमित अधिकार इस संशोधन के जरिये मांगे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं रह गयी है। उन्होंने विशेष प्रकार के अधिकार और राज्यपाल के अधिकार को भी अपने हाथ में लेने का यत्न किया है।

इन सब शब्दों के साथ में सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, ताकि इस पर अच्छे प्रकार से विचार करके हम अच्छे रूप में इस विधेयक को पास कर सकें।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिनियम इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, सन् १९५५, इस सदन के समक्ष माननीय सभा सचिव महोदय ने प्रस्तुत किया है, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)--समर्थन या विरोध ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---सुनिये तो मालूम हो जायगा। श्रीमन्, यह प्रदेश देशी चिकित्सा पद्धति के लिये सदा अग्रणीय रहा है। सर्व प्रथम इस प्रदेश ने एक बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन बनाकर आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये प्रयत्न किया और उस बार्ड के अध्यक्ष इस प्रदेश के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति, जैसे सर वजीर हसन, डा० सीताराम जैसे व्यक्ति रहे। उनके कार्यकाल में जितना भी उनसे प्रयत्न हो सका, उन्होंने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये प्रयत्न किया और सरकार ने उसके लिये भरसक सहायता दी। पिछली बार जब सन् १९३७ के बाद इस प्रदेश में शासन सत्ता कांग्रेस के हाथ म आई उस समय इस पद्धति के उत्थान के लिये और भी प्रयत्न किया गया और सन् १९३९ में बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ऐक्ट बनाया गया, जो इस सदन ने उस बोर्ड को और अधिक अधिकार प्रदान किये। उसके बाद जो उसमें त्रुटियां थीं या समय-समय पर उसमें जो परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, उसका अनुभव करते हुये सरकार ने एक आयुर्वेद और यूनानी पुनः संगठन समिति सन् १९४७ में बनायी, जो काफी समय तक चली और जिसकी बहुत सी मीटिंगें होने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को दी। जिस समय आयुर्वेद और यूनानी पुनः संगठन समिति की कार्यवाही चल रही थी कि इस प्रदेश के देशी चिकित्सा पद्धति से प्रेम रखने वाले लोग और आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक बड़ी उत्सुकता के साथ उस कमेटी की सिफारिशों पर ध्यान लगाये हुये थे कि सरकार इस १९३९ के इंडियन मेडिसिन ऐक्ट में एक आमूल परिवर्तन करके इस पद्धति का विकास करेगी और इस प्रदेश में आयुर्वेद की उन्नति के लिये एक अच्छा मौका मिलेगा। उस आयुर्वेद और यूनानी पुनःसंगठन समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिये बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ने कई बार प्रस्ताव पास किये, वैद्य सभाओं ने कई बार सरकार को लिखा और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज उस पुनःसंगठन समिति की रिपोर्ट के आधार पर सन् १९३९ के ऐक्ट में संशोधन के लिये यह विधेयक सामने आया है। आयुर्वेद समाज और उससे प्रेम रखने वाले लोग यह समझते थे कि जिस प्रगति के साथ हमारे इस देश और प्रदेश में सर्वतोमुखी उन्नति हो रही है, उसी प्रकार देशी चिकित्सा प्रणाली को भी उन्नत करने के लिये सरकार का कोई क्रान्तिकारी कदम उठेगा। किन्तु जब इस संशोधन को देखा गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इस संशोधन से इंडियन मेडिसिन बोर्ड जो इस प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा था, उसको अधिक बलशाली बनाना, उसको और अधिक सत्ता देना तो अलग रहा, सरकार ने उसको और सत्ताहीन कर दिया।

लोगों का विचार था कि इस प्रजातन्त्र के युग में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होगा, लेकिन इस प्रस्तुत विधेयक को देखने से यह प्रतीत होता है कि सरकार ने सत्ता का केन्द्रीयकरण किया और सारी की सारी सत्ता को अपने अधीन कर लिया। मैं इस संशोधन पर विशेष रूप से इसलिये भी कहना चाहता हूं क्योंकि इस संशोधन का हमारे इस प्रदेश पर ही प्रभाव पड़ेगा ऐसी बात नहीं है, हमारे सारे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। सर्व प्रथम यह ऐक्ट इसी प्रदेश में लागू हुआ, बोर्ड भी सर्व प्रथम इसी प्रदेश ने बनाया और इस देश के बहुत से अन्य प्रदेशों ने इसका अनुसरण किया। पिछली बार एक आल इंडिया आयुर्वेद कन्वेन्शन हुआ था जिसमें तमाम प्रान्तों के मेम्बर आये थे। मैंने उनके द्वारा अन्य प्रान्तों में जो देशी चिकित्सा प्रणाली के उत्थान के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं उनको और जो नये बोर्ड स्थापित किये हैं उनके सिलसिले में जानकारी की तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात से कि सन् १९३९ का जो ऐक्ट इस प्रदेश में लागू था उसी के आधार पर अन्य प्रान्तों ने भी अपने यहां बोर्ड बनाये और उसी के समतुल्य ऐक्ट बनाकर आयुर्वेद की उन्नति के लिये प्रयत्न किया। आज वे सारे ही प्रान्त, हमारे इस प्रदेश की ओर देख रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि हमने अपने इस प्रदेश में आयुर्वेद की जो कुछ उन्नति की है, उसका और प्रान्तों ने अनुसरण किया है। समने सबसे प्रहले यहां बहुत से कालेजों की स्थापना की, स्टेट आयुर्वेद कालेज बनाया और जितने औषधालय इस प्रदेश की सरकार चला रही है, उतने अन्य प्रान्तों में किसी जगह पर आयुर्वेद

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

और यूनानी औषधालय नहीं हैं। इन सारी चीजों से अन्य प्रान्तों पर जो एक बड़ा भारी प्रभाव पड़ा इस प्रदेश का जो इस स्वतन्त्रता के युग में, इस जनतन्त्र के युग में देशी चिकित्सा प्रणाली के उत्थान के लिये प्रयत्नशील है, संभवतः इस संशोधन विधेयक से वह कुछ कम होता, नजर आता है। इस प्रकार इस संशोधन के जरिये जो बोर्ड की स्थिति होगी और अन्य प्रान्तों के व्यक्ति इस स्थिति को जानेंगे तो अपने यहां भी उसी आधार पर परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे और जब हम इस प्रदेश के रहने वाले वैद्य लोग केन्द्रीय सरकार पर इस बात का प्रभाव डालना चाहते हैं और बाध्य करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद चिकित्सा को भी एक उच्च स्थान दिया जाय तो इसको भारी ठेस लगेगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधित अधिनियम, जो इस समय यहां रखा गया है, इसको बनाने में और इस ऐक्ट के संशोधित करने में बोर्ड का कोई खास परामर्श नहीं लिया गया है और जो सुझाव उसने भेजे थे, वह भी स्वीकार नहीं किये गये हैं, मुझे तो इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि पिछले जून के महीने में स्टैंडिंग कमेटी में जो सुझाव आये थे, उनको यह कह कर कि अपूर्ण है, टाल दिया गया अभी विचार नहीं किया जा सकता है, उनकी कापी मेरे पास है। उनमें जो संशोधन थे वह भी हटा दिये गये हैं। इस प्रकार से बोर्ड आफ मेडिसिन को बिल्कुल ही सत्ताहीन कर दिया गया है। इस बोर्ड का अगर देखा जाय तो कोई कार्य ही नहीं रह जाता है।

एक फैकल्टी बनेगी जो परीक्षा और शिक्षा का कार्य करेगी और पाठ्यक्रम बनायेगी। एक संशोधन द्वारा रजिस्ट्रेशन का पैरा ४ भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो ३६ हजार रुपये की सरकार सहायता देती थी। इसलिये कि ग्रामों में जो छोटे-छोटे चिकित्सालय या औषधालय हैं, उनको ५० या १०० रुपये देकर ग्रामीण जनता को सहायता दे सकें। वह भी सरकार ने इस संशोधन के जरिये बोर्ड को देना अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार से बोर्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। सारी सत्ता सरकार ने किसी न किसी प्रकार से, अरोक्ष या उपरोक्ष में अपने अधीन कर ली है और सारा कार्य सरकार अपने शासन यन्त्र द्वारा चलाना चाहती है।

मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि इस पद्धति का स्तर ऐसा होता जैसा कि मेडिकल कौंसिल का है। अगर इस स्तर पर यह पद्धति पहुंच गई होती और इसके बाद सरकार ने कड़ा नियन्त्रण किया होता तो मैं समझ सकता कि इससे कुछ सुधार हो सकेगा। जितना कार्य इस प्रदेश में हुआ है वह सरकार की सहायता और बोर्ड के प्रयत्न से हुआ है और आज भी इस बात की आवश्यकता है कि बोर्ड गैर सरकारी संस्था के रूप में रहे और वैद्य और हकीम जो पिछड़े हुये हैं, इस विज्ञान की चकाचौंध में उनको अपना स्तर ऊंचा उठाने का अवसर मिले तो यह आवश्यक है कि इनका संगठन हो और उनकी जो त्रुटियां हैं, उनका सुधार किया जाय और उनका एक अच्छा स्टैन्डर्ड बनाया जाय और इस देश और प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता जो इस सुलभ और सस्ती प्रणाली से लाभ उठाती है, उसको संगठित रूप दे दिया जाय।

सरकार ने ऐक्ट संशोधन करके बोर्ड के औषधि नियन्त्रण के महत्वपूर्ण अधिकार को छीन लिया है। सरकार का कहना है कि हम उसके लिये दूसरा ऐक्ट अलग से लायेंगे। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो सकती है और इस बात के लिये हाउस में कह सकती है कि हम इस सम्बन्ध में एक नया ऐक्ट लाकर त्रुटियों को दूर करेंगे। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा सन्देह है। क्योंकि सरकार ने एक स्टेट आयुर्वेदिक कालेज खोल कर जिस प्रकार उसका प्रबन्ध किया वह एक शर्म की बात है। आज सरकार ने इस चिकित्सा पद्धति का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं बनाया है। उसे किन्हीं दूसरे लोगों के संरक्षण में चलना होता है, जिनका किसी न किसी कारण से मेल नहीं खाता और मैं नहीं समझता कि उसके क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। जहां तक मुझे एक तरफ की बात मालूम है, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि इस प्रदेश

का वैद्य समुदाय या वे चिकित्सक जो देशी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करते हैं वह कभी यह बात नहीं चाहते कि हम किसी भी चिकित्सा प्रणाली की उपेक्षा करें या किसी चिकित्सा प्रणाली की निन्दा करें या किसी चिकित्सा प्रणाली को अवैज्ञानिक बतायें। वह कभी ऐसा नहीं चाहते, किन्तु वह तो यह चाहते हैं कि इस विज्ञान के युग में पाश्चात्य चिकित्सकों ने जो अन्वेषण किये हैं और जो कुछ प्राप्त किया है, उसका फायदा इस चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक भी उठायें और उनकी यह भावना इसलिये नहीं है कि वह जातीय फायदा उठायें बल्कि वह यह समझते हैं कि इससे जो अधिकांश गरीब जनता शहरों में बड़ी-बड़ी दूकानों में जाकर जीवन की रक्षा के लिये अपने घर का सर्वस्व न्योछावर करके पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाना चाहती है और उसके लिये अपने को बर्बाद करती है।

आज भले ही सरकार इसका विचार न करे, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि जब इस बात पर सरकार को विचार करना पड़ेगा कि यह अरबों रुपये की संपत्ति जो हमारे देश से बाहर जाती है और जिसके द्वारा अरबों रुपये की औषधियां हमारे देश में बाहर से आती हैं और जिनका भार गरीब जनता को ही सहन करना पड़ता है उसे कहां तक यह देश और अपना प्रदेश सहन कर सकता है। मैं यह नहीं कहता कि आज के युग में जो नये अन्वेषण हुये हैं, उनसे जो मानवता के लिये लाभ पहुंच सकता है वह न पहुंचाया जाय, उसका लाभ न उठाया जाय, किन्तु साथ ही साथ हमें देखना तो यह भी है कि यदि जीवन को बचाने के लिये यही एक मात्र उपाय रह गया है तब तो दूसरी बात है, नहीं तो यदि दूसरे उपाय हैं, जिनके द्वारा सरकार जनता को सस्ती और सुलभ चिकित्सा दे सकती है तो एक न एक दिन हमें उस पर विचार करना पड़ेगा। आज तो जो पाश्चात्य चिकित्सक पहले अपने यहां अनुभव के आधार पर नुस्खे लिख कर और बुद्धि के प्रयोग से जो काम लेते थे, वह प्रणाली भी दूर होती जा रही है और बाहर से जो बड़ी-बड़ी औषधियों के विज्ञापन आते हैं उन्हीं के आधार पर उनकी चिकित्सा निर्भर होती चली जा रही है और इस प्रकार से बाहर से आने वाली औषधियों पर अरबों रुपया बाहर भेज दिया जाता है। दूसरे जब हम देशी चिकित्सा पद्धति के अनुसार प्रत्येक रोगी पर २-३ पैसा प्रति रोगी खर्च करते हैं, तब हमें एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर दो आना, ढाई आना और तीन आना और अधिक भी प्रति रोगी पर खर्च करना पड़ता है। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो उसी पैसे से हम कितने ही अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। हमें इस दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा। किन्तु मुझे दुःख है कि आज हमारे इस देश के नेतागण, हमारे देश के शासक और हमारे इस प्रदेश के शासक इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात का विचार किया होता तो इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो २० करोड़ रुपये की धनराशि इस प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये रखी गयी है, क्या उसमें से सिर्फ ५५ लाख रुपया देशी चिकित्सा पद्धति के लिये रखा जाता यह तो एक मात्र इसकी उपेक्षा है। पिछली जनस्वास्थ्य की स्थायी समिति में हमारे सामने यह सुझाव था कि इस प्रदेश में जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय हैं, उनका स्तर ऊंचा किया जाय, किन्तु इस ओर भी उदासीनता है।

जब हम बाहर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो अपने प्रदेश की और अपने प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री की प्रशंसा करते हैं जब से यह विभाग उनके पास आया है उनका कार्य सराहनीय है। इन कार्यों के साथ हम यह भी कहते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत आगे है। किन्तु जब हम अपने घर में उसकी वास्तविकता को देखते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। कहने के लिये हमारे यहां ५३० आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सालय चल रहे हैं किन्तु उन चिकित्सालयों की जो स्थिति है, उसको भी अवलोकन करना चाहिये। उन देहातों में चिकित्सालयों को खोला जाता है। जहां कोई डाक्टर जाने के लिये किसी स्थिति में भी पसन्द नहीं करता। वहां पर वह चिकित्सक जाता है और एक छोटे से मकान में जिसको चौपाल कहा जाता है या एक बैठक कह दी जाती है उसमें वह रहता है। उसी में उसका औषधालय भी रहता है और उसमें उसका सारा परिवार रहता है। इस प्रकार से यह ५३० औषधालय चलाये जा रहे हैं। वहां पर न रोगी के लिये स्थान है और न कम्पाउन्डर के लिये स्थान है

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

और न चिकित्सालय के लिये कोई स्थान है। आज इस प्रकार किसी प्रकार से इन चिकित्सालयों को ढकेला जा रहा है। वहां पर बाहर से आने वाले रोगियों के लिये भी स्थान नहीं है। पिछली बार स्थायी समिति में एक सुझाव था कि हम ५ रोगी शैया का प्रबन्ध प्रत्येक चिकित्सालय के साथ करें। ऐसे रोगी जो चिकित्सा के लिये आते हैं, यदि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको वहां से हटाया जा सके तो उनको वहां चिकित्सक २–४ दिन रखें और उनकी चिकित्सा करें उसके बाद उनको जाने दें। इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार भी हुआ था और जहां तक मैं समझता हूं कि उस समय इस प्रकार का आश्वासन भी दिया गया था कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जितने हमारे चिकित्सालय हैं, जिनकी संख्या ५३० है उन सब में पांच वर्ष के अन्दर रोगी शय्याओं की व्यवस्था करेंगे। किन्तु मैं यह समझता हूं कि उनके लिये कोई स्थान नहीं है। उस समय यह सोचा गया था कि हम सैनोटोरियम भी खोलें। आज सरकार क्षय रोग के लिये लाखों–करोड़ों रुपया खर्च कर रही है और कितने ही सैनोटोरियम खुले हुये हैं। मुझे यह कहने में जरा भी सन्देह नहीं है कि क्षय रोग की चिकित्सा के लिये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी अपना स्थान रखती है। इस प्रकार के चिकित्सालय खुले हुये हैं कि वहां पर सारी चिकित्सा आयुर्वेद ढंग पर की जाती है और वहां पर क्षय के रोगी पूर्णरूप से स्वास्थ्य लाभ करते हैं। इसी प्रकार का एक सैनोटोरियम बनाने के लिये बात रखी गयी थी और उसके लिये स्थान भी जहां तक मुझे याद पड़ता है सारनाथ का निश्चित किया गया था.....

श्री बनारसी दास––प्वाइन्ट आफ आर्डर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट का जनरल डिस्कशन नहीं है। यहां बिल पर जो यह प्रकाश डाल रहे हैं कि कितनी जरूरत पंचवर्षीय योजना में होगी, उससे इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार कितना खर्च कर रही है और कितना नहीं खर्च कर रही है इसका बजट से सम्बन्ध है और सैनी–टोरियम कहां हो, शैया कितनी हों, इमारत कैसी हो इससे इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष––मैंने माननीय सदस्य को मौका दिया है, वह जो त्रुटि इस मौजूदा बिल के सम्बन्ध में है, उनकी बाबत कह सकते हैं।

श्री धर्म दत्त वैद्य––मैं उस ऐक्ट के बारे में कह रहा था कि जब हम इस प्रदेश के लिये ऐसा संशोधित ऐक्ट इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं तो सरकारी या गैर सरकारी तरीके पर जितनी इस चिकित्सा पद्धति में त्रुटियां हैं उन सब पर हम अपने विचार प्रकट करें और उनका अवलोकन करें और उसके बाद इस ऐक्ट का संशोधन करें, जिससे भविष्य के लिये हमारे सामने कोई कठिनाई न रह जाय। इसी दृष्टि से हम आज इस संशोधन विधेयक को देखते हैं और विचार करते हैं। यदि आज इसी रूप में यह पास कर दिया जाता है तो मैं यह कहता हूं कि फिर जल्दी अवसर आने वाला नहीं है, क्योंकि यह अवसर सन् १९३९ के बाद ही आया है। फिर इस पर विचार नहीं हो सकता है। इसलिये आवश्यकता है कि सरकार उन सब बातों को इस विधेयक में रखे। जिन त्रुटियों के कारण से इस देशी चिकित्सा पद्धति की अवनति हुई है और हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड के उन अधिकारों जिनको हमने छीना है, उनमें सबसे महत्व पूर्ण बात यह है कि बोर्ड को पिछले ऐक्ट में यह अधिकार था कि वह इस प्रदेश में औषधियों के बनाने वालों और बेचने वाले लोगों पर नियन्त्रण रक्खे और उन्हें अच्छी औषधियों के बनाने के लिये बाध्य करे। आज हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में बहुत सी त्रुटियां हैं। जितनी भी फारमेसी हैं वे भिन्न–भिन्न प्रकार से औषधियां बनाती हैं, जो भिन्न–भिन्न दामों की होती हैं। बोर्ड को यह अधिकार था और बोर्ड ने गत दो वर्षों में मौंटिग्स करके यहां के औषधि बनाने वाले और उनको बेचने वाले लोगों को लाइसेंस देती और उन पर नियन्त्रण रख कर अच्छी औषधियां बेचने के लिये नियम बनाकर सरकार को भेजे थे, लेकिन इस नये ऐक्ट द्वारा उस अधिकार को वापिस ले लिया गया है।

सरकार का कहना है कि उसके लिये वह एक नया ऐक्ट लायेगी। ठीक है, हमारी इच्छा है कि यह काम नियमित रूप से हो। लेकिन हमें इसमें संदेह होता है। आप एक स्टेट फारमेसी चला रहे हैं, लेकिन उसमें आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई ऐसी औषधि नहीं निकाली गयी जो जनहित के लिये लाभदायक हो। हमें नहीं मालूम कि उसमें कोई विशेष अन्वेषण कार्य हुआ हो, जिससे वैद्य समाज अथवा जनता को लाभ पहुंचा हो या यह बताया गया हो कि अमुक प्रकार से औषधि बनाना हितकर होगा और अमुक प्रकार से अहितकर।

हमने यह भी देखा कि सरकार की ओर से एक स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना भी हुई है लेकिन पिछले तीन वर्षों से उसकी जो छीछालेदर हो रही है, उसकी इस प्रान्त में ही नहीं बल्कि प्रान्त के बाहर भी लोग उसका उपहास करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार की मशीनरी इस कार्य को करने की क्षमता नहीं रखती। जिस प्रकार से इस कार्य को संपादित किया गया है, उसके लिये सरकार को अधिकारी के रूप में अच्छे आदमी मिले, लेकिन जितने आदमी हैं, वे इतने कम हैं कि वे उस सारी की सारी चीजों को चलाने में किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं हैं। इसलिये यह अगर बोर्ड के अधिकार में रहने दिया जाय तो बोर्ड उसको अच्छी तरह से कर लेगा और सरकार को अधिक व्यय करने की आवश्यकता भी न होगी। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देशी चिकित्सा पद्धति इस स्थिति में नहीं है कि उसके नियन्त्रण को बिल्कुल सरकारी रूप दे दिया गया। आपने फैकल्टी में लोगों के रक्खे जाने के अधिकार भी अपने ही हाथ में रक्खे हैं, वह भी सरकार की अनुमति से रखे जायेंगे। इस प्रकार पूरे के पूरे अधिकार सरकार ने बोर्ड से छीन लिये हैं। मैं यह नहीं कहता कि पिछले काल में बोर्ड ने जो भी कार्य किया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय रहा है, लेकिन इसमें भी सन्देह नहीं है कि पिछले सालों में बोर्ड ने जो कार्य किया है, उसके कारण प्रगति हुई है। इसमें जो भी रुकावट अथवा बाधा रही, वह इस कारण से हो रही कि उसके जो संचालक अथवा अधिकारी रहे, वे टेक्निकल आदमी नहीं थे। वहां एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो अनुभवी हों और शासन की व्यवस्था को अच्छी तरह से चला सकें, ऐसा सरकार का मत रहा लेकिन बोर्ड के सदस्य सदैव यह चाहते रहे कि कोई टेक्निकल आदमी रजिस्ट्रार के पद पर रहे, जिससे हमारे जो टेक्निकल मामले हैं, उनमें और सहायता मिल सके और बोर्ड अधिक प्रगति कर सकें, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। अगर उसका वैसे बोर्ड ने जहां तक भी हो सका देशी चिकित्सा-प्रणाली के लिये और उसकी शिक्षा के लिये काफी चेष्टा की और उसकी उन्नति की। हमारे जितने भी कालेज थे, उनके सम्बन्ध में जैसे-जैसे सरकार के आदेश प्राप्त हुये उनके अनुसार कड़ा नियन्त्रण किया गया और पिछले साल इसी कारण कई कालेजों को असम्बन्धित कर दिया गया, लेकिन फिर भी मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि एक ओर तो सरकार कहती है कि अच्छे वैद्य नहीं मिलते, योग्य चिकित्सक नहीं मिलते और दूसरी ओर जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इतनी बड़ी रकम स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये रखी गयी तो यहां के सरकारी कालेजों के अलावा जो संस्थायें चल रही थीं, उनका विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं रखा गया। अच्छा होता कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यदि सरकार अच्छे वैद्य और स्नातक चाहती थी तो उनको प्रोत्साहित करती, उनके लिये भी अच्छी रकम दी जाती, जिससे उन कालेजों और वहां के स्नातकों का स्तर ऊंचा होता और वहां से अच्छे वैद्य उपलब्ध हो सकते। लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के लिये जो रकम दी गई है, वह बहुत कम है और उसकी सुचारु व्यवस्था के बारे में मेरे से पहले कई साथियों ने उस पर प्रकाश डाला है।

मेरा यह विश्वास है कि इसकी फैकल्टी उन लोगों के हाथ में है, जो हमारी इस प्रणाली से बुनियादी द्वेष रखते हैं और जिसका प्रकाशन उन्होंने समय-समय पर अपने भाषणों द्वारा किया है। पिछले वर्ष जो मेडिकल कौंसिल की बैठक हुई थी, उस समय पब्लिक प्लेट फार्म से उन लोगों ने हमारी इस चिकित्सा-प्रणाली को अवैज्ञानिक बताया था और उसकी खुले शब्दों में निन्दा की थी, इस समय मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता लेकिन वह चाहे भले ही इसको अवैज्ञानिक कहें, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर कोई प्रणाली वैज्ञानिक

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

है तो वह केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली ही है और उसका जो अन्वेषण, खोज है, वह इसी से सिद्ध है कि वह किसी एक के स्वार्थ के लिये नहीं है और वह जनसमाज और मानव के कल्याण के लिये है और अपने स्वार्थ के लिये हमारे मुनियों ने अपने इस अन्वेषण को केवल अपने तक ही, अपने स्वार्थ के लिये सीमित नहीं रखा, उन्होंने अजवाइन के साथ घुइयां की तरकारी और गंगा जल में मेथी का संयोग बताया जो जन साधारण के हित के लिये था।

श्री उपाध्यक्ष---इस बिल में उसकी कोई निन्दा नहीं की गई है और उसके विरुद्ध उसमें कुछ नहीं कहा गया है।

श्री धर्म दत्त वैद्य---मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार से अवैज्ञानिक कह कर इस प्रणाली की उपक्षा की जाती है। उन्होंने जो अन्वेषण किये हैं, वह केवल जन समाज के हित के लिये किये हैं, इसलिये जो ऐसे विचार रखते हों, उनके हाथ में संचालन व्यवस्था देने से मुझे सन्देह है कि हम उसको उन्नति कर सकें। इसलिये मैं चाहता था कि इस कालेज के सम्बन्ध में भी सरकार विचार करे। जो फैकल्टी मेडिकल कालेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ सम्बन्धित है, उसका डीन भी डाइरेक्टर है और प्रिंसिपल भी है, पिछली बार वहां विद्यार्थियों ने हड़ताल की थी, जो पढ़ने आये थे और उन्होंने नारा लगाया कि हम भी डाक्टरी पढ़ेंगे और दो वर्ष तक यही प्रथा चलती रही कि दो साल से विद्यार्थी मेडिकल कालेज में चले गये, इस तरह से सारी व्यवस्था और संचालन वहां का डाक्टरों के हाथ में है, वैसे चाहे किसी विशेष कारण से सरकार ने अधिकार हाथ में रखे हों और उन संचालकों के द्वारा वह उन पर अमल कराना चाहते हैं, तब किस प्रकार से ठीक तरीके से उनका सम्पादन हो सकता है, किस प्रकार से वे आयुर्वेदिक की उन्नति में सहायक हो सकते हैं, इसमें मुझे सन्देह है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐक्ट को संशोधित करते समय हम बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की सिफारिशों को लेकर इस प्रदेश के जो आयुर्वेदिक कालेज हैं, उन सबके विचारों को जानें और इसलिये एक प्रवर समिति में इस विधेयक को रखने का जो सुझाव सदन के सामने आया है, मैं चाहता हूं कि उसे स्वीकार किया जाय और उसके द्वारा जनता के विचारों को इस प्रदेश के और इस प्रदेश से बाहर के इस विज्ञान के जानने वालों के परामर्श से इस ऐक्ट को संशोधित किया जाय और वह इसलिये नहीं कि इस प्रदेश का इसमें हित है बल्कि मैं तो फिर यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन ऐक्ट जो है, वह केवल इस प्रदेश को प्रकाश नहीं देगा बल्कि सारे देश को लाभ के लिये होगा क्योंकि हमारा पिछला इतिहास हमको बताता है कि जो कुछ भी उत्थान इस प्रदेश में आयुर्वेद ने किया है, वह किसी दूसरे प्रदेश ने नहीं किया है और दूसरों ने इसका अनुकरण किया है। इसी ने सबसे पहले इस ओर कदम बढ़ाया है। अपने प्रदेश की गरीबी और दरिद्रता को देखते हुये हमारा यह कर्तव्य है कि सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि इस प्रदेश के रहने वाले निर्धन लोगों के लिये सुलभ तथा सस्ती चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाय और यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा ही किया जा सकता है। वह लोग जो देहातों में रहते हैं, जहां डाक्टर्स जा भी नहीं सकते। इसलिये इस ऐक्ट के संशोधन के समय उन सारी स्थितियों का ज्ञान करके ही कोई कदम उठावें तो उचित होगा। इसलिये मदनगोपाल जी ने जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है, उसका समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि एक प्रवर समिति बनाकर ठीक तरीके से इस ऐक्ट का संशोधन करे।

श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले के दो वक्ताओं ने जो कि स्वयं वैद्य हैं, उन्होंने आज कल के प्रचलित प्रणाली पर बहुत प्रकाश डाला है। इस प्रदेश का जो रहने वाला है वह यह समझता है और मानता है कि इस एक ही विभाग में डाक्टर और वैद्य रहता है, किन्तु वैद्यों और डाक्टरों के साथ जो नीति बरती जाती है, उसमें बड़ी विषमता है लेकिन मेरी राय यह भी है कि इस विधेयक से उन बातों का सम्बन्ध ज्यादा नहीं है। वह तो संचालन की दृष्टि से

कमी हो सकती है और उनको दूर किया जा सकता है। यह विधेयक मुख्यतः सन् १९४८ में बनी एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। उस कमेटी की तीन सिफारिशें थीं। पहली सिफारिश यह थी कि जो बोर्ड है, वह केवल रजिस्ट्रेशन के लिये रह जाय। दूसरी सिफारिश यह थी कि बोर्ड के स्थान पर एक फैकल्टी बनाई जाय जो शिक्षण आदि का प्रबन्ध कर सके और तीसरी सिफारिश यह थी कि डाइरेक्टर आयुर्वेद स्वतन्त्र हों और इसको अस्पतालों आदि के संचालन की जिम्मेदारी उस पर रहे। मैं जहां तक समझता हूं इस विधेयक के पढ़ने से कि हमारी सरकार ने उन सिफारिशों को दृष्टिगत करके ही इस विधेयक का सृजन किया है, किन्तु मेरी राय यह भी है कि उन्होंने ऐसा करते समय यह गलती की है कि जो कमेटी ने सिफारिशें की थीं जिस ढंग से सिफारिश की गई थीं उनको उस ढंग से अमल में नहीं लाया गया। फैकल्टी को आप विधेयक में देखेंगे कि वह नाममात्र को रह गई है। उसके जो मेम्बर्स हैं वह एक्स-आफिशियो हैं। इसलिये जो सिफारिशें कमेटी की थीं उनका कोई महत्व नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि यदि फैकल्टी नियुक्त की जाय तो उसका स्वरूप और कुछ होना चाहिये, उसको कुछ अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। कमेटी की सिफारिशों में यह भी था कि आयुर्वेद का डाइरेक्टर स्वतंत्र होना चाहिये। आज जो चीज चल रही है, वह यह है आयुर्वेद का एक डिप्टी डाइरेक्टर है और वह बड़े डाइरेक्टर की मातहती में है और मुख्य बातें जो इस सम्बन्ध में हैं उनका फैसला भी डाइरेक्टर ही करता है। यदि हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में आयुर्वेद को तरक्की मिले और उसको वैसा ही विकास मिले जैसा कि एलोपैथी आदि का विकास हो रहा है तो हमें उसको एक शक्तिमान पद देना चाहिये और इसको उससे पृथक् कर देना चाहिये। यह हो सकता है मंत्री महोदय के अधीन जैसे डाइरेक्टर मेडिकल सर्विसेज का है वैसे ही एक डाइरेक्टर आयुर्वेद का भी हो। अगर इस प्रकार से करें तो निसन्देह बहुत सी बातें जो आयुर्वेद की कमियों के सम्बन्ध में कही जाती हैं, उनको दूर कर सकते हैं और इसीलिये मेरा कहना यह है कि जिस कमेटी ने तीन सिफारिशें की थीं, उनके आधार पर इस विधेयक को बनाया गया है, लेकिन इस विधेयक में जो सिफारिशें थीं उनके आधारभूत सिद्धान्तों को न मान कर उनको एकत्रित करके विश्रृंखल रूप में प्रकट किया गया है और उसको कम से कम जो सामर्थ्य प्राप्त होनी चाहिये, वह नहीं रहने दी गई है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यदि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करें और इसमें जो खामियां उन सिफारिशों के आधार पर दिखलाई गई हैं, उन कमियों को दूर किया जा सके तो हम इस विधेयक को अधिक समर्थ और उपादेय बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, वैसे तो अपनी जानकारी व्यक्तिगत तौर पर आयुर्वेद शास्त्र पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अनुमानों और अनुभवों और कुछ घटनाओं का क्रमिक जो प्रभाव अपने दिल पर पड़ा है उसी के आधार पर मैं साहस कर सका हूं कि मैं इस हाउस के सामने इस विधेयक पर अपने विचार आपके द्वारा रख सकूं।

मान्यवर, यदि इस संशोधन विधेयक को देखा जाय तो इसकी धाराओं को पढ़ने से यह ज्ञात होगा कि हम संगठन और विकास के लिये ही यह आवश्यक समझते हैं कि हम ३९ के उस संशोधन विधेयक पर जिसकी नींव अंग्रेजी हुकूमत के काल में सन् २२ में पड़ी थी, संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत करें। जहां तक विकास और संगठन का संबंध है यदि विकास इसी को कहते हैं जो इस विधेयक के पढ़ने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं जो ऐसा विकास हमारी सरकार के लिये मुबारक हो। इस विधेयक को श्रीमन्, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड का सभापति सरकार नामजद करेगी। सरकार के ५ नामजद सदस्य होंगे कि यदि यह विकास है तो सरकार ही इसे विकास समझे। यदि २७ की जगह २१ सदस्यों का बोर्ड बनेगा और यह विकास है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

सरकार ही इसे विकास समझे और यदि फैकल्टी का चेयरमैन ही बोर्ड का चेयरमैन होगा और यह विकास है तो सरकार ही इसे विकास समझे, लेकिन आज जो प्रजातांत्रिक युग है और जो इस युग के जानकार डेमोक्रसी को जानते हैं वे चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि सरकार अपनी इस कमेटी के सर्जन द्वारा, इस विधेयक के द्वारा डिसेंट्रेलाइजेशन जो गांधी जी का एक मूल सिद्धान्त है उससे दूर भाग कर सेंट्रेलाइजेशन की तरफ बढ़ते चली जा रही है और ताकत को इस विधेयक के द्वारा भी अपने हाथ में लेने की चेष्टा कर रही है। यदि सरकार को मेरा इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर यह है कि वह यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं का विकास और संगठन इस देश में करे जहां पर कि परम्परागत ऐसी दवाइयां प्रचलित रही हैं तो श्रीमन, मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक को विचार के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये और उसके बाद तब सदन में आये सुझावों और डिसकशंस के बाद और उस वक्त हम अपनी राय दें तब माननीय मंत्री जी इसे सदन के सामने प्रस्तुत करें।

मान्यवर, मैंने पहले ही चर्चा की कि घटनाओं और अनुभवों के क्रमिक जो प्रभाव हैं उन्हीं के आधार पर मैं कुछ कहने को बाध्य हुआ हूं। अपने अनुभव के आधार पर मैं यह दावा कर सकता हूं कि आयुर्वेद शास्त्र की जो कुछ भी देन दुनिया को है, दुनिया उससे लाभ उठा रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उस लाभ से वंचित हैं। मेरा यह भी दावा है कि जहां पर बड़े-बड़े एलोपैथ डाक्टरस का दिमाग और उनकी दवायें और उनका विधान काम नहीं करता वहां बड़ी कुशलता से आयुर्वेद उस काम को कर देता है। जिसका हर मनुष्य को जो इस देश में रहता है कुछ न कुछ अनुभव होगा। मैं इस घटना का जिक्र इस समय जरूर कर देना चाहता हूं, इसलिए कि मैंने निवेदन किया कि घटनाओं के क्रम का प्रभाव पड़ा है, इसलिए मैं मजबूर हुआ हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं। मान्यवर, १९४५ की घटना है। और यह घटना उस भाग की है जो आज पाकिस्तान में है, लाहौर की है। लाहौर में आप जानते हैं कि बहुत अच्छे-अच्छे डाक्टर और वैद्य थे। मैं उस वक्त वहीं था। एक विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चे रावी में नाव उलट जाने के कारण तीन घंटे लगातार पानी में डूबे रहे। सारे डाक्टर और वैद्य लाहौर के एकत्रित हुए। इत्तफाक से मैं भी वहीं मौजूद था। मेरा निवास स्थान भी वहीं था। और मैंने देखा कि डाक्टरों ने जवाब दे दिया कि यह मर जायंगे इतने में एक साधु जो कि पंजाबी था वहां आया और उसने एक दूकानदार से जिसका नाम भी मुझे याद है, आशाराम, उससे छः बोरे नमक के मंगवाये और उससे तीनों लाशों को ढक दिया। एक घंटे के बाद तीनों जी गये। तो मैंने अपनी आखों देखा कि एलोपैथिक डाक्टर और बड़े-बड़े लाहौर के सरजनों ने जहां पर हार मान ली वहां पर एक वैद्य ने नमक के प्रयोग से उन बच्चों को जो तीन घंटे तक लगातार पानी में पड़े रहे थे, जीवित कर दिया। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में यही अन्तर है।

आज आयुर्वेदिक दवाओं के लिए यह आवश्यक नहीं है, जैसे श्रीमन्, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें आप देखेंगे कि हनुमान जी जिन्होंने लक्ष्मण की जिन्दगी, संजीवनी बूटी लाकर बचायी थी, वह कोई वैद्य नहीं थे। इस प्रकार गांवों में ऐसे ऐसे लोग हैं और यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मेरा दाहिना हाथ टूट गया था फुटबाल खलते में। डाक्टरों ने कहा कि इसको कटवा दो, वरना यह ठीक नहीं होगा। लेकिन गांव के एक आदमी ने १५ दिन लगातार अपने पास रख कर मेरी दवा की और पन्दरह दिन की दवा के बाद आज मैं अच्छा हूं। इससे खेल भी लेता हूं और काम भी कर लेता हूं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इसके विकास के लिए इस छोटी-छोटी चीजों का खोज की जाय। छोटे-छोटे गांवों में ऐसे लोग हैं जिनका अखबारों में किसी प्रकार का प्रचार नहीं होता लेकिन वे जनता की सेवा करते हैं। हम उनकी खोज करें, उनका अनुसंधान करें। हमारी सरकार ने एक आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में खोल रखा है, जिसका बड़ा ढोंग है, बड़ा शोर है। उस कालेज में पढ़ने के लिए जो लड़के एम० एस-सी० और बी० एस-सी० लिए गये हैं, उनमें मेरा दावा है कि जहां तक मैंने बातचीत की है, वहां पर संस्कृत और हिन्दी के जानने वाले नहीं हैं। आयुर्वेद का मूल ग्रंथ संस्कृत में है,

और उस आयुर्वेदिक कालेज में जो लड़के पढ़ने आयें उनको हिन्दी और संस्कृत का ज्ञान न हो, यह अनोखी बात यह सरकार ही कर सकती है। अगर हम उन्हें सही शिक्षा देनी है तो हमारे लिए आवश्यक है कि संस्कृत विद्या का जानकार आदमी इसका शिक्षार्थी नियत किया जाय, भले ही वह अंग्रेजी क्यों न जानता हो। लेकिन केवल अंग्रेजी और साइंस का जानकार आयुर्वेदिक कालेज में भरती कर लिया जाय तो उसको कैसे आयुर्वेदिक की सही जानकारी होगी ? मेरा दावा ह कि सरकार ने यूनानी और आयुर्वेदिक दवाखानों के साथ सौतेले बट की तरह व्यवहार किया है। अगर यह नहीं है तो हम देखें, जैसी कि चर्चा माननीय वैद्य जी ने की हमारे प्रदेश में केवल १५ आदमियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारे प्रदेश में जो आयुर्वेदिक दवाखाने चल रहे हैं अधिकतर धर्मादे पर चल रहे हैं। ४०-४० रुपये पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आयुर्वेदिक अस्पताल काम कर रहे हैं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह भाषण बजट पर होना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या व्यवस्था है इस विधेयक में कि हम उसको कंट्रोल कर सकें जो अस्पताल धर्मार्थ, चालीस-पचास रुपये की सहायता पर चल रहे हैं ? आज आयुर्वेदिक अस्पतालों के आयुर्वेदिक दवाओं के स्थान पर कुनैन की टिकियां देते हैं क्योंकि सरकार उन्हें वही देती है। अगर सरकार समझती है कि यह भारतीय परम्परागत ऋषियों-मुनियों की देन है, जिसको बड़ी तपस्या के साथ उन्होंने संसार में सबसे पहली विधि के रूप में प्रख्यापित किया, यदि इसका विकास करना है, जिसका विकास आज अमेरिका की लेबोरेटरी में हो, रूस में हो लेकिन हिन्दुस्तान के स्कूलों में उसके अध्यापक और प्रिन्सिपल न हों तो सरकार को शर्म आनी चाहिये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हम आयुर्वेद और यूनानी पद्धति का विकास करें और इसकी तमाम बुराई दूर करें और वैद्यों को बराबर का दर्जा देना होगा डाक्टर के बराबर। अभी आप देखेंगे कि एक विधेयक आयेगा जिसपर चर्चा होगी कि हमारी और आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय। मान्यवर, एक तरफ तो स्तर को ऊंचा करने के लिये सरकार चिन्तित है और दूसरी तरफ वही सरकार यह नहीं आवश्यक समझती कि आयुर्वेद का विद्यार्थी ४० रुपया तनख्वाह पाये, और एक एम० बी०, बी० एस० का विद्यार्थी निकलता है तो वह ऊंची तनख्वाह पाये जबकि आयुर्वेद का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी में ४० रुपये की नौकरी करेगा। तो अगर आपको आयुर्वेद में लोगों की रुचि बढ़ानी है तो उनका आर्थिक स्तर समान करना होगा। इस कानून में यह व्यवस्था कहीं है ? क्या व्यवस्था आपने की है ? मान्यवर, आज आप देखेंगे गाड़ी जाती है डाक्टर मौजूद है और बेच रहा है आंख की दवाई, और सरकार ने छूट दे दी है, लखनऊ के चौराहों पर पोस्टल लटके हुए हैं, ऊट पटांग दवा बेच रहे हैं। क्या व्यवस्था है ?

मान्यवर, यदि हम आयुर्वेद का सचमुच सच्चा विकास करना चाहते हैं तो हमें झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों से जानकारी प्राप्त करनी होगी, आयुर्वेद के मूल ग्रन्थों का जो संस्कृत में है। गहराई से अध्ययन करना होगा और उनके लिये ऐसी सहायता देनी पड़ेगी जिसके आधार पर वे अपना समय लगा कर ऐसी नई नई ही नहीं बल्कि चीजें खोजें जो कि ग्रन्थों में छिपी पड़ी हैं।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है मान्यवर, इसमें आप देखेंगे एक व्यवस्था है फैकल्टी बनाने की। फैकल्टी बनेगी काम क्या होगा ? विकास के लिये ही बनेगी सरकार बहुत खुश है कि विकास इसका हो, इसलिये फैकल्टी बनायी। लेकिन फैकल्टी का काम कैसा होगा ? किसी को रिकग्नीशन नहीं देना चाहती न दे, ऐसा फैकल्टी करेगी। मैं समझता हूं सरकार को चाहिये कि जिस फैकल्टी का सृजन वह कर रही है इस विधेयक के द्वारा इससे अच्छा है वह न करे। सभापति उसका होगा और सब उसमें मेम्बर रहेंगे। तो फिर कैसे यह सम्भव हो सकता है कि फैकल्टी स्वतन्त्र रूप में काम कर सके ? कैसे यह सम्भव हो सकता है कि सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई कालेज स्टार्ट कर सके ? तो सरकार विकास के नाम पर यह संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत करके अपने हाथ में पूरी ताकत ले रही है। और मान्यवर एक पद्धति है कि आज अगर किसी को किसी काम में किसी बदनामी से बचना है तो अन्तर्राष्ट्रीय खतरे का नारा दे दे और अपने देश में हो तो विकास का नारा दे दे उसकी, बाद में चाहे जो कुछ करे, विकास के नाम पर किया जा सकता है या अन्तर्राष्ट्रीय खतरे के नाम में किया जाता है। कुछ

[श्री रामेश्वरलाल]

लोग साम्प्रदायिक नारा दे कर काम कर लेते हैं जैसा इस विधेयक में सरकार का नारा है। लेकिन है इसमें क्या ? सरकार अपने हाथ में ताकत लेकर अपने अनुसार काम करेगी और मैं समझता हूं कि जब तक यह चलता रहेगा तब तक आयुर्वेदिक की पद्धति का विकास नहीं होगा। चाहिये यह कि हम अधिक से अधिक पैसा दें, अनुसंधान करावें और उसमें आज जो वैज्ञानिक युग का आविष्कार या जो पुट है उसको भी आयुर्वेद की पद्धति में शामिल कर तब इसका विकास हो सकेगा और तब हम कह सकेंगे कि हम आयुर्वेद के विकास की, संगठन की बात कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं नारायणदत्त जी और वैद्य जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री द्वारिका प्रसादमौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश को जो विदेशी शासन काल में सबसे बड़ी क्षति हुई है, मेरा अपना ख्याल है वह हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की ही हुई है। आयुर्वेद का हमारे देश में जो ऊंचा स्थान था किसी काल में, वह आज विदेशी काल में इस अवनति को प्राप्त हुआ और आज भी उसकी दशा में जो सुधार होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। आयुर्वेद के जानकार आज भी सबसे अधिक सेवा हमारे प्रदेश की कर रहे हैं। गावों की गरीब जनता आज भी अधिक से अधिक लाभ उसी आयुर्वेद की पद्धति से और उन्हीं गांवों में रहने वालों वैद्यों और हकीमों से उठा रही है। डाक्टर्स का स्थान जो विदेशी काल में इतना ऊंचा उठाया गया, आज भी उनका वही ऊंचा स्थान है और हमारी सरकार को भी आज जिस आयुर्वेदीय और यूनानी पद्धति को जितना ऊंचा उठाना चाहिए था वह न उठा करके आज भी उन्हीं डाक्टर्स को इन चिकित्सा के कामों में विशेष तरजीह देना चाहती है। देहातों में जो दवाखाने खोले गए उनमें एलोपैथी के अस्पताल और इमारतें काफी बड़ी लागत पर बनायी गई हैं जब कि आयुर्वेद के जो अस्पताल खोले गए उनके लिए कहीं भी कोई इमारत अभी तक नहीं बनायी गई और वह हकीम और वैद्य बिलकुल एक उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं। जब तक कि उनका आदर नहीं होगा उनको वह सुविधायें नहीं प्रदान की जावेंगी जो डाक्टरों को दी जाती हैं तब तक इस चिकित्सा पद्धति का भी स्थान ऊंचा नहीं होगा। जो मौजूदा विधेयक है उसे देखकर के मुझे इस सम्बन्ध में कोई भी आशा जो होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। इसमें तो केवल इतनी ही बात मेरी नजर में आयी कि पहले बोर्ड में २७ सदस्य थे अब १९ सदस्य रखे गए हैं। पहले सदस्यों के चुने जाने की और नामिनेट करने की कुछ और कैटेगरी थी अब कुछ और कैटेगरीज कर दी गई।

पहले इस विधान सभा के तीन सदस्य और कौंसिल के एक सदस्य चुने जाते थे इस बोर्ड में और अब वह निकाल दिए गए इसके अन्दर से और बोर्ड का जो काम था उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब एक फैकल्टी बना दी गई जिसके जिम्मे परीक्षा वगैरह का काम सुपुर्द है और इसी बोर्ड के पांच सदस्य एक तो प्रेसीडेंट और चार और जो एलेक्टेड आयेंगे, उन्हीं को वह फैकल्टी बना दी गई है परीक्षा के लिए। जो पहले सरकार कुछ रुपया बोर्ड को लम्प सम देती थी वह धारा भी इस संशोधन में निकाल दी गई है। यानी बोर्ड को अब सरकार किस रूप में सहायता करेगी। फाइनेंशियली यह इस विधेयक से निकालकर पता नहीं किस रूप में सरकार अब उनको सहायता देगी ?

जो रजिस्टर्ड वैद्य या हकीम हैं उनकी जो फीस थी वह बोर्ड की एक आमदनी थी, लेकिन अब वह साल भर के लिए प्रावीजन लगा दिया है कि जो पहले के वैद्य-हकीम हैं जिन्होंने किसी रिकग्नाइज्ड संस्था में परीक्षा नहीं पास की है, ऐसे लोगों को साल भर तक रजिस्टर्ड किया जायगा, फिर उसके बाद जो लोग पास होंगे उन्हीं को उस श्रेणी में रजिस्टर किया जायगा। तो वह केवल रजिस्ट्रेशन की फीस या जो परीक्षा में परीक्षार्थी बैठें उनसे जो शुल्क वगैरह लिया जाय उस आमदनी के अलावा और कोई आमदनी न बोर्ड को है, न फैकल्टी को। जो बोर्ड को सरकार रुपया देती थी या जो और पैसा उसके पास हो उससे कुछ स्कालरशिप देने की और विदेश में भेजने का खर्चा देने की बात थी और जो संस्थाएं आयुर्वेदिक वगैरह की चल रही हैं प्रदेश के अन्दर, उनको कुछ रुपये-पैसे से मदद देने की व्यवस्था थी, वह सब इस विधेयक

से निकाल दी गयी। पता नहीं कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति को सरकार अब पैसे से किस प्रकार मदद देना चाहती है और इन संस्थाओं को वह किस प्रकार उन्नत करना चाहती है ? ये संस्थाएं केवल पब्लिक के ही द्वारा चलेंगी, रिकग्नाइज्ड कर लेंगे, लेकिन उन संस्थाओं को चलाने में सरकार किसी की सहायता करेगी, इसकी कोई व्यवस्था इस संशोधन के जरिये से नहीं प्रकट हो रही है। जब तक सरकार अपने दृष्टिकोण को न बदले, इन वैद्यों और हकीमों को मर्यादा पुनः देश में प्रतिष्ठित न हो, तब तक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का जीर्णोद्धार होना असम्भव है।

अभी माननीय मदनगोपाल जी ने बतलाया था कि मेडिकल सार्टिफिकेट देने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन उसकी कद्र यही रही कि पोस्ट आफिस में वह सर्टिफिकेट किसी ने दाखिल किया तो उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और सरकार ने यह कह कर टाल दिया कि यह तो पोस्ट आफिस सेंट्रल का विषय है। अगर वह रजिस्टर्ड वैद्य, हकीम के सार्टिफिकेट को नहीं मानते तो उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो इस प्रकार यह अगर वैद्य हकीमों के मेडिकल सार्टिफिकेट की उपेक्षा की जाय तो उनका स्तर किसी प्रकार ऊंचा नहीं उठ सकता। वैद्य, हकीम जिस लगन के साथ सेवा करते हैं मरीज की, मैंने देखा है देहातों में, उसकी जितनी सराहना की जाय कम है। इस खर्चीली दवा को विदेशों से मंगाने में हमारे देश के डाक्टरों का एक विलोक सा है। बाहर की कीमती-कीमती दवाएं यहां आती हैं, कमीशंस की आमदनी की जाती है। ये बड़े-बड़े जो दवाखाने हैं इनकी आमदनी इतनी ज्यादा विदेशी दवाइयों से होती है और इन डाक्टरों का जो स्टेट्स है वह इतना ऊंचा है कि उसने बड़े लोगों के दिमागों के ऊपर असर जमा रखा है और यह एक प्रोपैगेंडा काफी होता है अंग्रेजी दवाओं का, एलोपैथिक दवाओं का कि उसके सामने हमारी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति का फूलना और पनपना बहुत ही कठिन जान पड़ता है। प्रोपैगेंडा और इश्तहारबाजी तो जिस किसी भी चीज की की जाय वही जनता के दिमाग परएक जादू डालती है। मिसाल के तौर पर जैसे डालडा है। सिनेमाघरों में उसका इतना प्रचार होता है कि सरकार आज तक उस डालडा में जो रंग लगाने की बात है उसको पूरा करने में असमर्थ रही है। तो डालडा ने ऐसा असर जमाया कि दुनिया में उससे पौष्टिक पदार्थ कोई नहीं है ! इस प्रकार का प्रोपैगेंडा होता है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य विधेयक के गुण-दोषों पर आयें तो अच्छा हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमन्, मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि जो ध्यान आज सरकार को इस आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की ओर देना चाहिये वह इसलिये नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसके दिमाग पर भी इन डाक्टरों और विदेशी चिकित्सा पद्धति का जादू पड़ा हुआ है। जो एक कल्चरल असर डाक्टरों का है वह आज भी हमारे दिमाग को अपने काबू में किये हुये हैं। मिसाल के लिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अंग्रेजियत आज भी हमारे दिमाग से नहीं हट रही है और हिन्दी राष्ट्रभाषा होते हुये भी तड़प रही है अपनी जगह पर, उसी तरह से यह असर भी हमारे दिमाग पर जमा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि जो कोई विदेशी दवा अच्छी हो उसका प्रयोग न किया जाय या जो नये ईजाद हो रहे हैं वे अमल में न लाये जायें, लेकिन जो हमारी प्राचीन काल की चिकित्सा पद्धति थी उसका गौरव काफी ऊंचा था। आज भी उसमें जो ग्रन्थ है और जिस तरह से उनमें हर एक वनस्पति के अलग-अलग गुण दिये हुये हैं वह कोई मामूली ज्ञान की बात नहीं है। जो विश्लेषण शरीर के रोगों का आज भी वैद्य करता है वह भी उस प्राचीन ज्ञान के बल पर है जिसको हम सामान्य नहीं कह सकते। लेकिन हालत यह है कि आज जो हमारी चिकित्सा पद्धति गिरी हुई है उसे उठाने के लिये सरकार को जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दे रही है।

मौजूदा विधेयक में कोई भी सुधार या तरक्की की बात नहीं की गई है। केवल एक अलग फैकल्टी जिसमें ४ एलेक्टेड मेम्बर्स और एक प्रेसीडेंट की व्यवस्था की गई है जो परीक्षा लेगी। अगर फैकल्टी और बोर्ड दोनों के विचारों में अन्तर हो तो वह मामला सरकार

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

के पास आयेगा और सरकार उस पर अन्तिम निर्णय देगी। बजाय इसके कि बोर्ड का निर्णय अन्तिम हो सरकार ने उस अधिकार को अपने हाथ में ले लिया है। मैं नहीं समझता कि इस परिवर्तन से कोई विशेष बात होगी। माननीय सभा-सचिव ने कहा कि इस विधेयक के द्वारा पुराने हकीमों और वैद्यों को दवा-दारू करने से रोका नहीं गया है लेकिन इस विधेयक की धारा ५१ और ५२ में स्पष्ट है कि जो भी हकीम या वैद्य रजिस्टर्ड नहीं हैं वे दवा नहीं कर पायेंगे। वह इस प्रकार है :—

"51. No person other than a practitioner registered under Part II of the Act or a person whose name is entered in the list mentioned in section 50 shall practise or hold himself out, whether directly or by implication as practising or as being prepared to practise the Indian system of medicine, surgery or midwifery:"

इसमें प्रोविजो है।

"Provided that the Provincial Government may, by notification in the official Gazette, direct that the provisions of this section shall not apply to any class of persons or in a specified area."

तो जो रजिस्टर्ड नहीं हैं वह कैसे कर सकेंगे? गवर्नमेंट जब चाहे रोक सकती है। इससे बचने के लिये धारा ५४ में कुछ बात रखी गई थी लेकिन उसको सरकार अब निकाल रही है। उसमें यह था कि :—

"Nothing in sections 51 and 52 shall apply to any person:—

(a) who limits his practice to the art of dentistry or

(b) who being a Nurse, Midwife or Health Visitor registered under the United Provinces Nurses, Midwives, Assistant Midwives and Health Visitors Registration Act, 1934, or a dai, attends on a case of labour, or,

(c) who is entitled to registration under section 53 of this Act."

तो उनको ऐक्जेम्प्ट किया था जो एंटाइटिल्ड हैं सेक्शन ५३ में रजिस्ट्रेशन के, और जो दाइयां काम करती थीं या मिडवाइव्ज और डेंटिस्ट्री को ऐक्जेम्प्ट किया था। अब धारा ५१ में यह है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वह नहीं कर सकेंगे तो दाइयां जो ऐक्जेम्प्ट की गई थीं वह अब इस काम को नहीं कर सकेंगी जब तक कि उनका रजिस्ट्रेशन न हो जाय। देहातों में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि लेबर के कामों या गर्भावस्था के समय, जो उनका पुश्तैनी पेशा हो गया है, वह जाती हैं और न जाने कितनी सेवा करती हैं। अगर धारा ५४ निकाल दी जाती है तो ५१ के बमूजिब वह डिबार हो जाती हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है और न आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा को बढ़ाने में योग दिया गया है, बल्कि जिस स्थान पर वह थी उसी स्थान पर उसको रखा गया है। अब जो सरकार पैसा देती है वह भी अगर बंद कर दिया जाय तो कैसे यह आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति तरक्की कर सकेगी?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें काफी सुधार होने की गुंजायश है और माननीय नारायणदत्त जी के प्रस्ताव के अनुसार इसको प्रवर समिति में भेजना अत्यंत आवश्यक है। वैसे धर्मदत्त जी और मदनगोपाल जी ने अपनी दृष्टि से जो बातें कहीं हैं वे बहुत ही अहमियत रखती हैं और मैं उन लोगों के विचारों से पूर्ण सहमत हूं और जो मार्मिक चित्र उन्होंने इसकी दुर्व्यवस्था और सरकार की उपेक्षा का खींचा है, उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं समझता हूं कि सरकार इस दृष्टि से नहीं कि विधेयक आ गया है, किसी तरह से पास हो जाय और जो बातें कही जा रही हैं वे केवल चलती हुई बातें समझ ली जायं। मैं विशेष जोर देकर कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने माननीय सदस्य इस पर बोले हैं सभी ने यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ाने की ओर सरकार का ध्यान खींचा है। सरकार को विशेष रूप से ऐसा विधेयक लाना चाहिये और जो भी वैद्य या हकीम हों उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाय और जो अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनमें सभी तरह की सुविधायें दी जायं। अगर इधर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पद्धति आगे बढ़ने वाली नहीं है।

हमने देखा है कि आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पतालों में दवायें बहुत कम पैसों की दी जाती हैं और ऐलोपैथी पर बहुत रुपया खर्च होता है। यह बात जरूर है कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में कम दाम खर्च होता है। लेकिन अगर इन अस्पतालों की साज-सज्जा और रहन-सहन ऊंची दृष्टि का नहीं होगा तो उससे दिमाग पर असर पड़ता है। दिमाग पर यह असर पड़ता है कि वैद्य एक गरीब आदमी है, कम पैसे वाला है, एक फटी हालत का है, उसका अस्पताल टूटा-फूटा है, और डाक्टर एक बड़ा आदमी है, शान वाला है, मोटर वाला है, उसका बड़ा मकान है, बड़े अस्पताल में रहता है, उसकी दवाइयां बड़ी क़ीमत की होती हैं। तो यह सब चीजें हमारे दिमाग को एक गलत रास्ते पर ले जाती हैं। जो योग्यता वैद्य की है उसका पूरा लाभ जिस तरह से देश को पहुंचना चाहिये वह हम नहीं पहुंचा रहे हैं और जो रिसर्च वैद्यक में होनी चाहिये उसके लिये सरकार को जो खर्च करना चाहिये, वह नहीं किया जा रहा है, कम खर्च किया जा रहा है। जितना पैसा आज जनता के लिये एलोपैथिक दवाइयों में खर्च किया जाता है उसका मुक़ाबिला अगर आयुर्वेदिक दवाइयों से किया जाय तो हम एक बड़ा भारी अंतर पाते हैं और देखते हैं कि इतना ही पैसा अगर इस चिकित्सा प्रणाली को अपनाते हुये किया जाय तो बहुत फायदा जनता को पहुंचाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हमें सस्ती दवाइयां जनता तक पहुंचाने के लिये कोई न कोई उपाय निकालना चाहिये।

मामूली मर्ज में जब एक वैद्य या हकीम दो-चार रुपये के नुस्खे में मर्ज अच्छा कर देता है उसी वक्त वह मर्ज डाक्टर को दवाइयों से सौ-दो सौ रुपयों से अच्छा होता है। मुझे खुद एक जाती तजुर्बा है। जब मैं सभा सचिव था तो मेरा जुक़ाम बिगड़ गया और उसको अच्छा करने के लिये डाक्टरी दवाइयां ७० रुपये की हुईं। वह रुपया सरकारी खजाने से जरूर आया इसलिये कि जितना खर्च हुआ उन दवाइयों के जो नुस्खे थे वह क़ायदे से बाद में मुझे उनका पैसा मिल गया, लेकिन जाने कितनी बार उस बिगड़े जुक़ाम की दवाई पंसारी के पास से मिली और वह अच्छा हुआ। सीधे-सादे जुशांदे और बनफशे से वह अच्छा हो गया था, लेकिन यहां उसी के लिये ७० रुपये लग गये। यह मैं नहीं कहता कि डाक्टरी में जो सर्जरी है या जो एक्स-रे वगैरह है और उससे जनता को जो सुविधा पहुंच रही है उसको हम न देखें, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे उचित फायदा उठाते हुए हमें अपनी देशी चिकित्सा पद्धति की तरफ पूरा ध्यान रखना चाहिये और इससे फायदा उठाना चाहिये। मेरे गांव में एक आदमी था, जिसका पैर सड़ा जा रहा था। डाक्टर ने कहा कि बिना पैर काटे यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक गांव वाले ने उसे एक पेड़ की छाल इस्तेमाल करने को बताई और थोड़े दिनों के बाद वह आदमी अच्छी तरह से चलने लगा और खासा तन्दरुस्त हो गया। तो यह कहना कि एलोपैथिक की दवा बहिश्त से आती है, ठीक नहीं। वह सब उन्हीं जड़ी-बूटियों से तैयार की जाती हैं और हमारे देश में जड़ी-बूटियों की इफरात है। अगर उनका ठीक इस्तेमाल किया जाय और उधर ध्यान दिया जाय और दिमाग से जो डाक्टरी का एक जादू है वह हटा दिया जाय तो पूरा फायदा हम लोग आयुर्वेदिक और यूनानी से उठा सकते हैं। उससे हमारे देश का ज्यादा कल्याण हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि अगर डाक्टरों का नामकरण वैद्यों को उपाधि देकर कर दिया जाय तो डाक्टरों का जो हमारे दिमागों पर असर है वह दूर हो जायगा और उससे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। हर चीज का अपने देश की अवस्था के अनुकूल नामकरण भी हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में काफी त्रुटियां हैं और यह किसी हद तक आगे नहीं जाता और जो पहला ऐक्ट था उससे भी इसमें कमी हो गई है और कोई लाभ नहीं पहुंचाया गया है। तो मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि हम उसे और सुधार सकें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक को लाने की मंशा और उद्देश्य सरकार का यह है कि वह चाहती है कि हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति का जो संगठन है वह दृढ़ हो और उसका स्तर ऊंचा हो। यह सही है कि विदेशी सत्ता के जमाने में इन पद्धतियों की काफी उपेक्षा की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के बड़े बड़े वैद्य-हकीमों को वह मान मर्यादा और प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकी जो कि किसी समय में थी और आज-कल के पढ़े-लिखे व्यक्ति उनको एक दकियानूसी किस्म का समझ कर उनकी अवहेलना करने लगे। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आन्दोलन हुआ तो हमारे नेताओं ने इस तरफ ध्यान दिया। उन्होंने यह कहा कि हमारे देश में जो आवश्यकता है और जो हमारी सांस्कृतिक भूमिका है उसके अनुसार यदि कोई उपयुक्त पद्धति है तो वह आयुर्वेदिक पद्धति है और यूनानी पद्धति है। जब हमारी सरकार बनी तो सरकार का ध्यान इस तरफ गया और मैं तो समझता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार अवश्य बधाई की पात्र है और मैं उसको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना काफी ध्यान इस तरफ दिया। चाहे उस मात्रा में वह नहीं प्रतीत होता जिस मात्रा में हम चाहते थे, लेकिन सन् १९३९ में यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट उसने बनाया और एक बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की भी स्थापना हुई और प्रदेश में इस पद्धति के लिये कुछ काम भी शुरू हुआ। इसके बाद सरकार ने सन् १९४७ में एक कमेटी बनायी। उस कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेन्स में तो मैं जाना नहीं चाहता, किन्तु उसका मन्शा यह था कि किस प्रकार से इन पद्धतियों के स्तर को ऊंचा किया जाय और यथा सम्भव इन पद्धतियों को अपने प्रदेश में हम पूरा पूरा प्रोत्साहन दें। इस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें कीं और सरकार का यह कहना है कि उन्होंने उन सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। हमको देखना यह है कि संशोधन का जो अभिप्राय होता है वह यह होता है कि पुराने ऐक्ट में कोई कमी हो तो उनको पूरा करने के लिए संशोधन लाये या उसमें हार्मोनिज्ड करने में कुछ कठिनाई हो तो उनको दूर करने के लिये संशोधन लायें। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि इसमें दो मुख्य संशोधन किये गये हैं---एक तो जो मौजूदा बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन है उसके रखरखाव को बदला गया है और जो उसकी पावर है उसको कम किया गया है। इसके साथ-साथ एक फैकल्टी की स्थापना की बात भी इसके अन्दर हो गयी है। एक चीज और है जोकि प्रियम्बिल से साबित होती है और जिसकी तरफ हमारे कुछ साथियों ने ध्यान भी आकर्षित किया है। वह यह है कि यह जो मौजूदा संशोधन विधेयक है इसमें उस पुराने ऐक्ट के मुकाबले में स्कोप कुछ कम किया जा रहा है। इसमें से कंट्रोल आफ ड्रग्स की बात को हटा दिया गया है। शायद इस ख्याल से कि सरकार का यह विचार हो कि वह कोई दूसरा विधेयक इस सम्बन्ध में लाना चाहती है। जो भी हो मैं यह समझता हूं कि यदि ऐसा विचार है तो ठीक है। इसमें मुझे अधिक कहना नहीं है, लेकिन बस में यह समझता हूं कि सरकार इस बात को मानेगी कि ड्रग्स कंट्रोल का बहुत महत्व है। उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों के सिलसिले में अडल्ट्रेशन के खिलाफ काफी सख्त कानून पास किये हैं। इसी प्रकार से देशी दवाइयों के लिये भी ताकि उनकी प्योरिटी के लिये तथा शुद्ध रूप से वह दवाइयां मिल सकें, कंट्रोल होना बहुत आवश्यक था और रहे।

जब हम बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन को देखते हैं और जब उसके फार्मेशन की बात को देखते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ सरकार की ऐसी टेन्डेन्सी हो गई है और होती जाती है कि हम नानआफिशियल एलिमेन्टस् को आहिस्ता आहिस्ता हटाते जाते हैं और उनकी जगह पर आफिशियल एलिमेन्ट्स को स्थान देते जाते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट नामजद हुआ करेगा। अभी तक जो बोर्ड था उसका प्रेसिडेंट उसके मेम्बर स्वयं चुना करते थे। उसमें यह शर्त थी कि वह कांसिक्यूटिव टर्म से अधिक नहीं रह सकेगा। इसमें ऐसी शर्त नहीं है। जब सरकार नामजद करेगी तो इसमें इस बात की गुंजायश नहीं है कि सरकार किसी नानआफिशियल को प्रेसीडेंट बनायेगी। मेरा यह सन्देह है और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों चीजों में कमी की गयी। चुनाव में कमी की गयी और कांसिक्यूटिव टर्म की बात गयी। तो सन्देह यह पैदा होता है कि सरकार के दिमाग में

हो सकता है—मैं स्पष्ट जानता नहीं कि वह अपने विभाग के किसी कर्मचारी को उसके पद के साथ इस प्रेसिडटशिप को जोड़ देगी ताकि वह हमेशा के लिये परमानेन्ट रहे। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि डाइरेक्टर या उसका डिप्टी डाइरेक्टर प्रेसिडेंट होगा। लिहाजा फिर उसमें ऐसा होगा कि जो भी डायरेक्टर अथवा डिप्टी डायरेक्टर होगा वह उसका प्रेसीडेन्ट हो जायगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे। यदि उसकी मंशा इसको सरकारी पद से जोड़ने की हो तो मैं उसका विरोध करता हूं। हमारे वैद्य अथवा हकीम जिनको ख्याति अच्छी हो उन्हीं को इसके लिये नामजद किया जाना चाहिये, गैर वैद्य या हकीम को कभी भी इसके लिये नामजद नहीं किया जाना चाहिये।

इससे पहले के ऐक्ट में यह था कि सरकार ५ आदमियों को नामजद करती थी। इन ५ आदमियों में एक वैद्य, एक हकीम और एक हरिजन होता था लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रावोजन इसमें नहीं रक्खा गया है। मुझे इसमें भी सन्देह है कि कहीं पांच के पांच आदमी आफीशियल ही नामनेट न कर दिये जांय। सरकार को इस बारे में भी स्पष्ट करन की आवश्यकता है। स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि उसके स्थान पर ऐसा अमेंडमेंट आना चाहिये कि पांचों मेम्बरान उन्हीं व्यक्तियों में से हों जो वैद्य या हकीम हो, जिनकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और ख्याति हों। यह बात मैंने इस बोर्ड के फारमेशन के बारे में कहीं लेकिन जहां तक इसकी शक्ति से सम्बन्ध है, ऐसा मालूम होता है कि बोर्ड की जो मौजूदा पोजीशन है वह सेक्रेटेरियेट के एक क्लर्क अथवा पोस्ट आफिस की सी मालूम होती है। उसके जो पांच काम थे वे यह थे कि वह स्नातकों को रजिस्टर करता था, यूनानी और आयुर्वदिक डिस्पेंसरियों की मदद करता था, शिक्षा संस्थाओं का संचालन करता था आदि। लेकिन अब उसकी शक्ति को २ हिस्सों में बांट दिया गया है। उसके जितने इन्स्पेक्टर्स थे, जो कि इन्स्पेक्शन का कार्य करते थे उनको फैकल्टी के अधीन कर दिया गया है। लाइसेंसिंग की शक्ति भी उसकी घटा दी गयी है। शेड्यूल के पैरा नम्बर ४ में यह था कि जो वैद्य या हकीम ऐसा हो जिसकी प्रैक्टिस १०—१२ साल की हो, चाहे उसके पास कोई डिग्री हो या न हो, वह भी रजिस्टर हो सकता था, उसको भी इसमें खत्म कर दिया गया है। इसको मैं समझता हूं कि यह उचित ही किया गया है। क्योंकि इस तरह की शिकायतें हैं और यह सही है कि इसका उचित प्रयोग नहीं हुआ। इसमें बोर्ड की कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं जैसे कि प्रमुख लोगों ने ऐसा लिख दिया हो। इस तरह की बातें जरूर हुई हैं और इसमें ऐसे लोग भी आ गये जिनका कि वैद्यक से कोई सम्बन्ध नहीं था मगर वह वैद्य या हकीम के तौर पर रजिस्टर हो गये।

जहां तक कि इसकी एजूकेशन का सम्बन्ध है, आपने इसके लिये फैकल्टी बनायी। मैं इस बात से सहमत हूं कि आप आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की उन्नति चाहते हैं, उसकी शिक्षा को उन्नत करना चाहते हैं, और आजकल के वैज्ञानिक युग में जिस स्तर पर एलोपैथी है उस स्तर पर इसको भी लाना चाहते हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या इस तरफ हमने कोई कदम उठाया है? इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहां एक कालेज खोला गया है और लखनऊ विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी क्रियेट की गयी है, फिर भी उस स्तर को प्राप्त करने के लिये सरकार की तरफ से जितना जोरदार प्रोत्साहन होना चाहिये, मेरा ऐसा विचार है कि वैसा इस फैकल्टी को प्राप्त नहीं हो पया है।

दूसरे जब हम इस फैकल्टी को देखते हैं तो सरकार कह सकती है कि इस फैकल्टी की स्थापना सन् ४७ की कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जा रही है लेकिन उसकी सिफारिश थी कि एक स्वतन्त्र रूप से फैकल्टी बनाई जाय ताकि परीक्षाओं आदि का काम एक जगह और रजिस्ट्रेशन का कार्य दूसरी जगह हो जाय। जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमको तो कुछ ऐसा लगता है कि यह फैकल्टी बोर्ड की सब कमेटी सी बन जायेगी क्योंकि उसी में से उसमें ६ सदस्य लिये जायेंगे। और दूसरी खास बात यह है कि जो नौ चुने हुये वैद्य और हकीम होंगे उनको उससे वंचित किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि जो अध्यापक हों कालेज या यूनिवर्सिटी के उनको वह स्थान प्राप्त न हो, वह भी अपने—अपने विषय

[श्री नवलकिशोर]

के विशेषज्ञ होते हैं यह ठीक है ? लेकिन वैसा ही अधिकार औरों को भी होना चाहिये। अगर हम एक ही व्यक्ति के हाथ में सब तरह का कार्य सौंप देंगे तो कुछ लोगों की एक ही पद्धति के विषय में मोनोपली हो सकती है और जो मुमकिन है कि आखिर में दुखदायी हो।

मैं चाहता हूं कि अगर फैकल्टी रखनी ही है तो जैसा कि और माननीय सदस्यों ने और त्रुटियों एक्स-आफिसियो मेम्बर आदि की बताई, इस चीज को भी दूर करने का रास्ता निकालना चाहिये और मेम्बर वैद्य, हकीम, अध्यापक न होकर भी हो सकें और वह शिक्षा और परीक्षा आदि के मामलों में भी पूरा भाग ले सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ साथ एक यह बात भी कुछ कमी को मालूम होती है कि जिससे हमारा दृढ़ विचार है कि सरकार नान-आफिशियल एलीमेंट को कम करना चाहती है कि अब तक ३ सदस्य यहां के यानी विधान सभा के और १ माननीय सदस्य कौंसिल से और २ मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि के आते थे, लेकिन अब नयाबोर्ड जो बनेगा उसमें उनका कोई स्थान नहीं रखा गया है और जो यू० पी० के वैद्य सम्मेलन या तिब अन्जुमन से आते थे उनके लिये भी कोई स्थान नहीं रखा गया है और उसके बारे में जवाब दिया गया कि चूंकि उनमें बहुत पार्टीबाजी है इसलिये उनको हटा दिया है। मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कहता, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रजातन्त्र में चारों तरफ पार्टीबाजी होती है और अगर इसी आधार पर हटाना शुरू कर दिया जाय तो पता नहीं हम कहां पहुंच जायेंगे। मैं चहता हूं कि इस तरफ भी सरकार ध्यान दें कि अगर वह प्रतिनिधि भी जिस प्रकार असेम्बली, कौंसिल आदि से लिये जाते थे वह वैसे ही लिये जायं, तब अधिक मुनासिब होगा। इससे अधिक डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमारे २ प्रमुख माननीय सदस्यों ने जो वैद्य हैं काफी विचार इस पर प्रकट कर दिये हैं। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि यह जो टेन्डेन्सी दिखाई देती है कि हम शक्ति के बजाय विकेन्द्रीयकरण के केन्द्रीकरण करते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो सरकार अपने हाथ में शक्ति लेती जाती है वह आखिर में सरकारी कर्मचारियों के हाथ में, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, पहुंचती जाती है। मैं यह भी जानता हूं कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी होती है, लेकिन साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि अगर डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी ज्यादा डामिनेट कर जाती है तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। इस चेतावनी के साथ मैं इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस विधेयक पर जो बहस हो रही थी, उसमें कुछ ऐसा मालूम होता था कि सदन में कुछ सदस्यों को ऐसी भ्रांति थी कि मानो इस विधेयक के द्वारा आयुर्वेद और यूनानी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और वह बहस पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली और मौजूदा प्रणाली के बीच में हो रही है। और अब तक आयुर्वेद के लिये क्या किया गया है और दूसरी पद्धतियों के लिये क्या किया गया है इसका जिक्र विस्तार के साथ किया गया है। जहां तक यहां पर किस प्रकार की प्रणाली चिकित्सा के लिये हो, आयुर्वेद को ही रखा जाय या यहां पर एलोपैथी या होमियोपैथी या दूसरी पद्धतियों को न रखा जाय, यदि सदन का ऐसा मत है तो यह एक भिन्न प्रस्ताव के द्वारा या जो भी तरीका उसके लिये उपयुक्त हो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता था और माननीय मंत्री जी यदि यह समझते हैं, कि केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को ही इस प्रान्त में रखा जाय तो सदन ऐसा कर सकता है, लेकिन यहां पर इस प्रश्न पर बहस नहीं थी। प्रश्न यह है कि सन् १९३९ का जो ऐक्ट अब तक चल रहा था उसमें संशोधन किया जा रहा है तो अगर

आप गौर से देखेंगे तो मौजूदा जो बोर्ड था और इस ऐक्ट के द्वारा जो बोर्ड बनेगा उसके द्वारा क्या आयुर्वेद को और यूनानी पद्धतियों को हानि पहुंचेगा या उससे ज्यादा उनको लाभ होगा ? तो इस वक्त तक जो बोर्ड था उसका एक मुख्य फंक्शन था रजिस्ट्रेशन।

दूसरा उसका कार्य था शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना और परीक्षाओं आदि का संचालन करना। तीसरा उसका कार्य था कि हमारे प्रदेश में बहुत सी ऐसी शिक्षण संस्थायें और आयुर्वेद की डिस्पेंसरियां हैं उनको ग्रांट इन एड देना। और एक चीज उसमें यह भी थी कि जड़ी-बूटी और औषधियों का नियन्त्रण करना। खेर कमेटी जिस कार्य के लिये नियुक्त की गई उसने उन सब बातों पर जितने उसमें विशेषज्ञ थे, वैद्य थे, सबने इस बात का निर्णय किया कि बोर्ड का कार्य जैसे कि इंडियन मेडिकल कौंसिल और होमियोपैथी का बोर्ड है उसी के अनुसार आयुर्वेद और यूनानी ग्रेजुएट्स के रजिस्ट्रेशन का कार्य और वैद्यों के रजिस्ट्रेशन का कार्य इस बोर्ड का होना चाहिये। तो आप देखेंगे की इस मौजूदा ऐक्ट के द्वारा बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है। दूसरे खेर कमेटी की यह सिफारिश थी कि इसकी एक फैकल्टी अलग क्रियेट की जाय। इसमें कोई शक नहीं है कि खेर कमेटी की सिफारिश की भावनाओं को इस विधेयक के अन्दर रखा गया है। हो सकता है कि उसके शब्दों को अक्षरशः इस विधेयक के अन्दर न रखा गया हो लेकिन उसकी भावनाएं इसमें आ गयी हैं। कहा जाता है कि फैकल्टी के सदस्य एक्स आफिशियो होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां यूनिवर्सिटी जिसमें आज आयुर्वेद और यूनानी की फैकल्टी है और हमारे यहां की जितनी शिक्षण संस्थायें हैं जो बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से ऐफिलियेट होंगी उन्हीं के द्वारा बोर्ड के सदस्य होंगे और वही तो फैकल्टी बनायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि आप स्वतन्त्र रूप से फैकल्टी बनायें तो उसका क्या विधान होता? यह विधान रखते कि यूनिवर्सिटी और जितने एफिलियेटेड कालेजेज होंगे ये अपना प्रतिनिधि भेजें तो जब उनको एक्स-आफीशियो बना दिया गया तो उनकी सत्ता पर क्या असर पड़ता है ? सरकार की सिर्फ यह मंशा थी कि इस ऐक्ट के मातहत जो फैकल्टी बने उनको पूर्णतया अधिकार हो और उनकी सिफारिशों को बोर्ड के सामने रखा जाय मान्यता रखने का, मान्यता को हटा देने का और परीक्षा के कन्डक्ट करने का बोर्ड को अधिकार होता। दूसरे वैद्यों और दूसरे लोगों का मत था कि उन सिफारिशों को एक समिति के सामने आ जाना चाहिये था ताकि शक्ति का केन्द्रीकरण न हो जाय। सरकार की कोई मंशा सत्ता को अपने हाथ में लेने का नहीं थी। सरकार केवल यह चाहती थी कि उसका एकेडेमिक करेक्टर कायम रखा जाय। मान्यता का सवाल, स्तर को ऊंचा रखने का सवाल, यह सब सवाल उन्हीं लोगों के सुपुर्द हो, जोकि शिक्षण संस्थाओं को चलाते हैं। इसलिये समझौते के रूप में उनकी भावनाओं को मानने के लिये ही सरकार ने इस विधेयक के अन्दर इस बात को मान लिया।

यदि किसी परिस्थिति में फैकल्टी की सिफारिशों का बोर्ड के द्वारा किसी भी प्रकार से मानना असंभव हो तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास उनको भेज दिया जाय तो इससे कैसे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अपने हाथ में परीक्षाओं को लेना चाहती है, मान्यता देने की सत्ता लेना चाहती है ? यदि बोर्ड, जिसका वह स्वयं अधिकार चाहता था उसको मान लेता है तो फिर फैकल्टी की सिफारिशों का सरकार के पास आने का प्रश्न ही क्या रहता है ? और अगर आप फैकल्टी अलग बना देते और फैकल्टी का कोई निर्णय गलत होता है तो आप देखेंगे कि सरकार ने यहां पर साफ कर दिया है कि बोर्ड अगर उनको रिजेक्ट करता है तो सरकार ने फैकल्टी की सिफारिशों के लिये यह मंशा दिया है कि सरकार या तो बोर्ड की सिफारिशों को माने या फैकल्टी की सिफारिश को माने। मदन गोपाल जी और नवल किशोर जी द्वारा यह कहा गया है कि इस विधेयक के द्वारा ड्रग्स के कन्ट्रोल करने की शक्ति को बोर्ड से ले लिया गया है। मौजूदा कानून में जड़ी-बूटियों का कन्ट्रोल करने की शक्ति अब तक बोर्ड के पास थी, तो बोर्ड ने अपने कार्यकाल में जड़ी-बूटियों को नियन्त्रित करने के लिये कोई अमली कदम नहीं उठाया। यह सवाल नीति का नहीं है, यह सवाल कार्यान्वित करने का है। बोर्ड के सदस्य जाकर इतने सारे जो औषधियों के भंडार हैं उनका निरीक्षण नहीं कर सकते। इसके लिये एक मशीनरी खड़ी करनी होगी। यह एक बड़ा अहम सवाल है।

[श्री बनारसी दास]

आजकल जो मौजूदा मार्डन मेडिसिन्स है, जो इंडियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट है, उसके मुताबिक उनका नियन्त्रण नहीं चल पाता। हम देखते हैं कि एक पृथक् कानून द्वारा अयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां और औषधियों का नियन्त्रण किया जाय, उनका अलग लाइसेंसिंग हो और उनका स्टैन्डर्डाइजेशन हो। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक विधेयक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के नियन्त्रण के लिये और उनका स्टैन्डर्डाइजेशन के लिये सदन के सामने सरकार प्रस्तुत करना चाहती है। इसलिये बोर्ड की ताकत को कम नहीं किया गया है बल्कि आयु-र्वेद की रक्षा के लिये, औषधियों का स्टैन्डर्ड ऊंचा करने के लिये यह उचित समझा गया कि यदि यह इस विधेयक का अंग होता तो वह एक बोर्ड बन जाता। हम चाहते हैं कि औषधियों के नियन्त्रण को एक अलग स्थान दिया जाय, उसका अलग बोर्ड बनाया जाय। हो सकता है कि उस बोर्ड के सदस्य भी इसके सदस्य हों, उसका डायरेक्टोरेट हो, उसका इन्स्पेक्टोरेट हो जो कि तमाम प्रदेश में उसके संग्रह, उसके भंडारों का निरीक्षण कर सके। तो कोई बोर्ड की शक्ति पर प्रहार करने की मंशा नहीं है। नारायण दत्त जी ने कहा कि इसमें सर्जरी का कोई स्थान नहीं है। जो एम० बी०, बी० एस० डाक्टर्स होते हैं क्या उनकी सर्जरी का रजिस्ट्रेशन अलग होता है? जो फिजीशियन होते हैं, वही सर्जन भी होते हैं। यदि हमारे कुछ दोस्तों का सरोकार जर्राहों से है जो केवल उस्तरे से आपरेशन करते हैं तब तो दूसरी बात है। इसलिये जहां तक सर्जरी का सम्बन्ध है पुराने कानून के मातहत जो खंड २ है, जहां पर हकीम और वैद्य की परिभाषा की गई है उसके अन्दर सर्जरी को भी इन्क्लूड कर दिया जायगा। तो जो वैद्य और हकीम सर्जरी करना चाहते हैं इस विधेयक के द्वारा, उन्हें किसी तरह से सर्जरी करने से वंचित नहीं किया जायगा।

जहां तक मिडवाइव्ज का सम्बन्ध है मौर्य जी को आशंका हुई कि मिडवाइफरी का कोई स्थान इसके अन्दर नहीं है। गांवों की दाइयां अपना काम नहीं कर पायेंगी, तो उनकी इस आशंका के लिये इस विधेयक में कोई स्थान नहीं है। मिडवाइफरी का कानून अलग है। मिडवाइफरी के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार मिडवाइफरी करती है या देशी पद्धति के अनुसार, ऐसी कोई अलग-अलग चीजें नहीं हैं। उसके लिये अलग कानून है, अलग ट्रेनिंग होती है। गांवों की जो दाइयां हैं उनकी ट्रेनिंग के लिये अलग व्यवस्था कर दी है। आज जो भी गांवों में दाइयां काम करती हैं उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी इस कानून से, और ऐसी दाइयां जिनको आयुर्वेद का शिक्षण दिया जा सके इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब मिडवाइफरी और डेंटल सर्जन के लिये अलग से प्राविजन रखा था तो उसके मातहत डेंटल सर्जन आज तक आयुर्वेद में प्रोड्यूस नहीं हुये तो इस विधेयक में रखने से क्या लाभ होता?

तो जैसी सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश थी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हमारे इस बोर्ड का कार्य इंडियन मेडिकल कौन्सिल के अनुसार हो, जहां पर आपने होम्योपैथिक बोर्ड को मान्यता दिया वहां पर भी आपने इस उसूल को माना। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि आयुर्वेदिक का वही स्थान हो, जोकि एलोपैथी का है, तो इसमें इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स की कौन सी बात है? उसको भी उसी स्तर पर लायें। जो इस समय बोर्ड का कार्य है उसमें तो रजिस्ट्रेशन के कार्य के अतिरिक्त यह भी रक्खा है कि आयुर्वेदिक और यूनानी मामलों में सलाह देंगे, रिसर्च के मामले में सलाह देंगे। सलाह मशविरे के जितने कार्य हो सकते हैं नीचे के संचालन से सम्बन्ध में रख सकते हैं, वे सारे अधिकार बोर्ड के हैं। माननीय नारायण दत्त जी और मौर्य जी को जो आशंका हुई कि शायद धारा २१ को निकाल देने से जो पैसा उनको पहले मिलता था वह नहीं मिलेगा, और सारी संस्थायें एक साथ खत्म हो जायेंगी, शिक्षण संस्थायें कैसे चलेंगी, क्या इस ३६ हजार रुपये से यह आयु-र्वेदिक डिस्पेंसरीज चलती हैं? सरकार लाखों रुपया आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को अनुदान के रूप में देती है।

हमारे यहां जितने भी आयुर्वेदिक कालेज हैं, पीलीभीत, ऋषिकुल, बनारस या अलीगढ़ में, आज भी सरकार उनको अनुदान देती है। तो ३६ हजार रुपया बोर्ड भी तकसीम करे और वह कार्य सरकार भी करे, इसके अन्दर एक ओवर लैपिंग होती थी। खेर कमेटी की सिफारिश थी कि अस्पतालों और डिस्पेन्सरी को सहायता देना, शिक्षण संस्थाओं को सहायता देना, यह कार्य बोर्ड को नहीं रहना चाहिये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कार्य को सरकार करती है, उसका स्थान बोर्ड ले, बोर्ड का भी कार्य है और सरकार का भी कार्य है, यह उचित नहीं होगा। जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली चलती है। उसकी एक डायरेक्टोरेट है और एक इंडियन मेडिकल कौंसिल है। इंडियन मेडिकल कौंसिल ने कभी भी यह मांग नहीं की कि सरकार अपना कार्य छोड़कर हमको सुपुर्द कर दे। जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं उनका एक विभाग है। जो इस सम्बन्ध में कार्य होंगे, उनका संचालन संचालक मंडल के द्वारा किया जायगा। मैं मानता हूं कि खेर कमेटी ने सिफारिश की थी कि आयुर्वेदिक का संचालक स्वतन्त्र रूप से हो। लेकिन क्या वास्तविक रूप में उप-संचालक स्वतन्त्र नहीं हैं? जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स आती हैं वे डायरेक्टर के थ्रू नहीं आती हैं, सीधे सरकार के पास आती हैं। केवल डायरेक्टर का नियन्त्रण है, नियन्त्रण प्रशासन का है, डिसिप्लिन का है। जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी कार्यों का सम्बन्ध है कोई नियन्त्रण डायरेक्टर का नहीं है। लेकिन यह एक सिद्धांत का सवाल है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, एलोपैथी का एक संचालक अलग हो, आयुर्वेदिक का संचालक एक अलग हो, यूनानी का एक संचालक अलग हो, होम्योपैथी का एक संचालक अलग, नैचुरोपैथी का संचालक एक अलग हो, और फिर उनके ऊपर एक ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल रखा जाय। तो फिर क्या मतलब हुआ? अगर आयुर्वेदिक का एक संचालक बना दें तो उसके ऊपर ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल रहेगा। तो क्या आपकी शिकायत दूर हो जायगी? ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल के मातहत अगर आप का डायरेक्टर होगा तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आयुर्वेदिक डिप्टी डायरेक्टर को आप डायरेक्टर बना सकेंगे, प्रोमोशन कर सकेंगे?

श्री बनारसी दास--जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर अलग-अलग डायरेक्टर हों और उनके कोआर्डिनेशन के लिये एक ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल बना दिया जाय, तो जैसे डायरेक्टर के मातहत वैसे ही ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल के मातहत। फिर उससे आपकी परिस्थिति ऊंची नहीं होती। स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। खर्चा आपका बढ़ जायगा। अगर आप यह कहें कि प्रेस्टिज का सवाल है। दूसरी चीज यह कही गयी कि अब तक इन्स्पेक्टर्स जो थे, जिनको जिलों के हेडक्वार्टर पर भेज दिया गया, अब वह डी० एम० ओ० एच० के मातहत काम करेंगे। आप यह देखिये कि कलेक्टर के मातहत जिले में फारेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कितने ही डिपार्टमेंट रहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इन्स्पेक्टर को छुट्टी लेने के लिये लखनऊ आना चाहिये, टी० ए० बिल लेने के लिये लखनऊ आना चाहिये? इन्स्पेक्टर स्वतन्त्र होगा। इन्स्पेक्शन करेगा। अपने वैद्यों के बारे में रिपोर्ट देगा। केवल उसकी छुट्टी और टी० ए० आदि का ऐडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के हाथ में रहेगा।

बुनियादी रूप में देखना चाहिये कि आयुर्वेद को इससे क्या हानि पहुंचेगी? तो इसलिये एक कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिये कि डी० एम० ओ० एच० के मातहत इन्स्पेक्टर और इन्स्पेक्टर के मातहत डी० एम० ओ० एच०। तो देखना यह होगा कि कार्य के अन्दर क्षमता किस प्रकार से आ सकती है? तो इस दृष्टि से आप देखेंगे इस ऐक्ट में विधेयक के द्वारा कोई हानि नहीं। कुछ मेरे माननीय सदस्यों को यह भय है इसमें तो नान-आफिशियल्स को कम किया जा रहा है और आफिशियल्स लोगों का प्राब्ल्य हो रहा है। आप गौर कीजियेगा कि ९ तो उसमें वैद्य और हकीम इलेक्ट हो कर आयेंगे और ३ यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि और ३ आपके जितनी शिक्षण संस्थायें हैं वे चुन कर भेजेंगी। तो १५ चुनकर

[श्री बनारसी दास]

प्रतिनिधि होंगे और ५ सरकार नामजद करेगी। तो फिर इन ५ का प्राबल्य कैसे हो सकता है? और जैसा माननीय सदस्यों ने शंका जाहिर की रिजर्वेशन के बारे में, मैं यहां यह साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार का कोई मंशा इसके अन्दर नान-टेक्नीकल आदमियों का रखने का नहीं है।

सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार है कि बोर्ड के सदस्य हकीम और वैद्य ही हों, जो रजिस्टर्ड हों। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है तो यह तो ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई हरिजन या बैकवर्ड का हित अलग नहीं है। सवाल यह है कि उसके अन्दर इफिशियेन्सी हो, उसमें हरिजन भी आ सकता है, बैकवर्ड क्लास के लोग आ सकते हैं। सरकार को उनको नामीनेट कर सकती है। तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा सरकार का मंशा नान-टेक्निकल आदमियों को भरने का नहीं है। सरकार मानने के लिये तैयार है कि २१ के २१ आदमी ले लिये जायं लेकिन पूरे रजिस्टर्ड हकीम और वैद्य हों। यह आलोचना की गई है कि सरकार ने अब इलक्टेड प्रेसीडेन्ट को हटाकर नामीनेट कर दिया है। सरकार ने कहीं नहीं लिखा है उसके अन्दर डिप्टी डायरेक्टर होगा या कोई सरकारी आदमी होगा? लेकिन साथ-साथ सरकार इस मामले में अपने को कमिट नहीं करना चाहती। सरकारी नहीं होगा। गैर सरकारी हो सकता है, जो आयुर्वेद और यूनानी के हित के अन्दर होगा। लेकिन जब इस बात को मान लिया गया कि सारे आपके रजिस्टर्ड वैद्य होंगे तो फिर गैर सरकारी और सरकारी का भेद क्यों खींचना चाहते हैं? आपका होम्योपैथिक का बोर्ड, हमारे यहां यू० पी० मेडिकल कौंसिल ने आज तक किसी मेम्बर ने आक्षेप नहीं किया क्यों यहां का डायरेक्टर यू० पी० मेडिकल कौंसिल का प्रेसीडेन्ट होता है? होम्प्रोपैथिक बोर्ड ने कोई आक्षेप नहीं किया, यद्यपि उनका प्रेसीडेन्ट सरकार के द्वारा नामजद होगा। अब सवाल यह भी होता है कि दो वैद्यों की संस्था में हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, दो हकीमों की अंजुमन में चल रहा है, तो किसको हम प्रतिनिधि संस्था माने। लिहाजा हमने तो ६ चुनकर हकीम और वैद्य थे उनको बढ़ा करके ९ कर दिया। तो इलेक्शन से हम भागते नहीं हैं। बहरहाल हकीम और वैद्य ९ आदमी चुनकर भेजेंगे, यूनीवर्सिटी भेजेगी शिक्षण संस्थायें चुन करके भेजेंगी, तो दलबन्दी अगर होगी तो हो। लेकिन मैंने अर्ज किया कि जब रजिस्टर्ड वैद्यों का रजिस्टर मौजूद है और रजिस्टर्ड हकीम मौजूद हैं तो एक ऐसी संस्था के बारे में जिनके प्रतिनिधि के स्वरूप में, स्वयं वैद्यों और हकीमों में मतभेद हो तो उसे हम यहां पर क्यों स्थान दें। इसलिये मैं समझता हूं कि हकीम और वैद्य इसका स्वागत करेंगे कि वैद्य सम्मेलन को हटा करके स्वयं उनको चुनने का अधिकार दे दिया ९ व्यक्तियों को, और जब २१ के २१ आदमी वैद्य और हकीम होंगे तो इस दृष्टि से क्या आपत्ति हो सकती है कि उनकी संख्या २१ हो? खैर कमेटी ने तो १५ आदमियों की सिफारिश की थी। हमने तो उसमें ६ का इजाफा कर दिया है। तो जहां तक इस सदन के प्रतिनिधित्व का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, म्युनिसिपैलिटी के प्रतिनिधित्व का सवाल है, इससे कोई यह नहीं कि आयुर्वेद को बड़ा लाभ होगा। हम तो चाहते यह हैं कि एक परम्परा हम डालें आयुर्वेद और यूनानी जिस तरह का विषय है, जिस तरह का विज्ञान है उस विज्ञान के अन्दर केवल वैज्ञानिक लोग जायें। सदन का तो पूरे तौर से कन्ट्रोल है। सदन तो पूर्णतया सहायता करता है। तो यह कोई ज्यादा माने नहीं रखता, सदन अपने दो सदस्य भेजता है या चार सदस्य भेजता है। इसलिये आयुर्वेद के हित के अन्दर ही यह संशोधन किया गया है जैसा कि इंडियन मेडिकल कौंसिल, होम्योपैथी या अन्य और प्रान्तों में है। उसका कोई मंशा यह नहीं है कि सदन को या कौंसिल को किसी भी तरीके से प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जाय। तो आप यह देखेंगे कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें बोर्ड की सत्ता छीनी नहीं बल्कि यह कहना चाहिये कि इस प्रणाली के हित में जो काम बोर्ड को करना चाहिये, बोर्ड को दे दिया है।

दूसरे यह शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने का कार्य यह फैकल्टी का है ही। तो आपकी सत्ता कौन सी छीन ली है? हां, ३६ हजार रुपया आपका तो जरूर ले लिया तो उससे क्या लाभ

होता था ? फिर भी सरकार लाखों रुपया देती थी। तो वह काम एक ही जगह हो। हां अगर आपकी यह दलील हो कि संचालक या सरकार अनुदान देने का कार्य अच्छा नहीं कर सकती है तो यह एक प्रिन्सपल का सवाल है। सरकार पर आपका नियन्त्रण है सरकार आपके प्रति उत्तरदायी है। तो जब और विभागों को सरकार देख सकती है, अनुदान दे सकती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, म्युनिसिपैलिटीज को, तो इस कार्य को भी वह कर सकती है। और आज तक आपने यह मांग नहीं की कि अनुदान देने का काम सरकार बोर्ड को दे दे। इसी लिये ओवर लैपिंग को बचाने के लिये यह किया गया है। मदनगोपाल जी की पहली शिकायत यह थी कि अभी तक हमने शिड्यूल के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाओं को मान्यता दे रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फैकल्टी को पूर्ण अधिकार होगा बोर्ड को अधिकार होगा, यदि वह चाहे उनकी मान्यता छीन ले। मदनगोपाल जी चाहें तो आसानी से यह किया जा सकता है। हम तो यह देखते हैं कि अगर किसी कमेटी ने कोई सिफारिश भी की कि किसी की मान्यता खत्म की जाय तो हर प्रकार से यह कोशिश की जाती है कि वहां पर वह संस्था रहनी चाहिये, चाहे उसका स्टैन्डर्ड ऊंचा हो या नीचा हो। मैं यह नहीं समझ पाया कि मदनगोपाल जी का क्या मंशा है जब उन्होंने मौजूदा अधिनियम के खंड ३९ की ओर ध्यान दिलाया। उसमें तो आज भी यह व्यवस्था है कि वैद्य और हकीम आज भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो फिर वह और क्या समझते हैं कि यदि मौजूदा कानून के होते हुये आज उनकी मान्यता नहीं है तो आज एक क्लाज और जोड़ दें तो क्या उससे उसकी मान्यता हो जायगी। यह कहा गया कि साहब सर्क्युलर निकाला सरकार ने सन् ५० में तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि जहां तक गजटेड आफिसर्स का सम्बन्ध है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देने का अधिकार सिविल सर्जन को भी नहीं है। वे तो बोर्ड के सामने जाते हैं। यह गजटेड आफिसर्स की स्थिति है। इसलिये यह कहना कि वैद्य और हकीम को यह अधिकार हो कि वह फिटनेस सर्टिफिकेट गजटेड आफिसर्स को दे दें तो यह कहां तक उचित है ? यह भी आपको सोचना चाहिये कि आपने २२, २३ हजार वैद्यों को जो रजिस्टर्ड कर लिया उनमें बहुत से पंसारी लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हालां कि अब शिड्यूल के अन्दर वह चीज खत्म हो गयी है, लेकिन अब भी आपके रजिस्टर पर ऐसे लोग मौजूद हैं, जो जब तक वह रजिस्टर पर मौजूद हैं तब तक यह कहना कि उनको हर एक की फिटनैस देने का अधिकार दे दिया जाय, उचित नहीं मालूम होता। सर्टिफिकेट बहुत आसानी से मिल सकता है, मैं यह नहीं कहता कि डाक्टर लोग गलत सर्टिफिकेट नहीं देते, लेकिन उनकी तादाद जो जिनका शेड्यूल के चौथे भाग के मुताबिक रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनकी तादाद २२,००० वैद्य हैं और छः साढ़े छः हजार हकीम हैं, डाक्टरों से कहीं ज्यादा है। हर एक पंसारी वैद्य हकीम बन गया है। अब जब यह नस्ल खत्म हो जायगी और जिसकी कल्पना आप करते हैं, जब स्टैन्डर्ड ऊंचा हो जायगा तो आप कोई सख्त कैद लगाइये, ऐसा बोर्ड बनाने की कोशिश कीजिये, इससे कोई हानि नहीं है, तभी आपको सफलता होगी। इसलिये जबकि खेर कमेटी ने इतने विस्तार के साथ कार्य किया, जिसमें बड़े-बड़े विशेषज्ञ मौजूद थे, स्टैंडिंग कमेटी के सामने इस पर कार्य किया गया, तो मैं नहीं समझता हूं कि प्रवर समिति के सामने इस विधेयक के भेजने में कोई अधिक लाभ होगा। इसमें काफी देरी हो गयी है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नया बोर्ड बने और इसमें इस बात का प्रावीजन किया गया है कि तब तक यह बोर्ड चलता रहेगा। इसलिये मुझे बड़ा खेद है कि मैं अपने माननीय मित्र नारायणदत्त जी के संशोधन से सहमत नहीं हूं और मैं निवेदन करूंगा कि उनसे कि जब यह विधेयक एक विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश के बाद.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—आठ साल बाद आ रहा है।

श्री बनारसी दास—अगर देरी हुई तो अब जबकि यह आ गया है, आपको स्वागत करना चाहिये। अब अगर और देरी करें तो वह मुनासिब नहीं होगा। अगर सरकार ने देरी की तो कम से कम वह तो देरी करने की भूल न करें। तो नारायणदत्त जी से अपील करूंगा कि प्रवर समिति में भेजने से कोई इसकी भावना में तबदीली नहीं होगी, इसलिये वह

[श्री बनारसी दास]

अपना संशोधन वापस ले लें और इसी रूप में विधेयक को मंजूर करें। जहां तक संशोधनों का सवाल है तो जो आवश्यक होंगे उनको अवश्य स्वीकार किया जायगा। मैं आशा करता हूं कि नारायण दत्त जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ को एक प्रवर समिति के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाय, जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया किया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---७
विपक्ष में---६६)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ के प्रीऐम्बुल का संशोधन

२---यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के प्रीएम्बुल में---

(क) शब्द "medicine" के बाद के कामा के स्थान पर शब्द "and" रख दिया जाय; और

(ख) शब्द "and to control the sale of medicinal herbs and drugs" निकाल दिये जायं।

श्री मदन गोपाल वैद्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि इस सम्बन्ध में अलग विधेयक बनाया जायगा, इसलिये मैं अपने संशोधन को उपस्थित नहीं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ में कुछ शब्दों को स्थानापन्न रूप में रखना (Substitution)-

३---मूल अधिनियम में :---

(क) लम्बे शीर्षक में, प्रिऐम्बुल में अथवा धारा १ और ४ के अतिरिक्त अन्य किसी भी धारा में, जहां जहां भी शब्द "Indian medicine" अथवा "Indian systems of medicine" आये हैं उनके स्थान पर शब्द "Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine" रख दिये जायं;

(ख) शब्द "Government" के स्थान पर शब्द "State Government" रख दिये जायं;

(ग) जहां कहीं भी शब्द "Chairman" आया है उसके स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय; और

(घ) जहां कहीं भी शब्द "Surgeon" "Surgeons" "mid-wife" या "mid-wives" आये हैं उन्हें निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मदनगोपाल वैद्य, आपके कई संशोधन हैं। इसलिये अगर आप कोई उपस्थित न करना चाहें तो उसको छोड़ कर आगे के उपस्थित कर दें।

श्री मदन गोपाल वैद्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के अन्त में नये उपखंड (ङ), (च) तथा (छ) निम्न रूप में बढ़ा दिये जायं—

"(ङ) मूल अधिनियम की धारा २ (x) के अन्त में शब्द " Surgery" बढ़ा दिये जायं।

(च) मूल अधिनियम की धारा २ (xi) के अन्त में शब्द "and Surgery" बढ़ा दिये जायं।

(छ) मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (xii) तथा (xiii) निकाल दी जाय।"

इस विधेयक के अनुसार सरकार ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि सर्जन और मिडवाइफ़ शब्द निकाल दिये जायं। इसके परिणामस्वरूप इस प्रस्तुत प्रस्ताव में वैद्य और हक़ीमों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है जिससे कि वह उद्देश्य सिद्ध हो जाता है और सर्जन और मिडवाइफ़ शब्द निकाले जाने से कोई हानि नहीं होती है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।

(ङ) और (च) प्रस्तावों के परिणामस्वरूप जो मूल अधिनियम की उपधारायें (xii) और (xiii) हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिये इनको भी निकाल देने का प्रस्ताव किया गया है। हम आशा करते हैं कि सरकार इन्हें स्वीकार कर लेगी।

श्री अध्यक्ष—धारा २ के सम्बन्ध में संशोधन खंड ४ में है और आप खंड ३ में ही करना चाहते हैं। यह तो अप्रासंगिक सा हो जायगा, इसमें तो शब्द सर्जरी और मिडवाइब्ज इस तरह की चीज है। मैं समझता हूं कि कुछ अप्रासंगिक हो रहा है। हां, मैं समझता हूं कि अब ५ बज भी गये हैं। खंड ४ में शायद आप उपस्थित करना चाहेंगे तो आप कल अपना संशोधन संशोधित रूप में उपस्थित कर दीजिये।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१२ दिसम्बर, १९५५

मिठ्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

प्रश्न संख्या ३ से संबंधित सूची

क्रम-संख्या	गांव का नाम		क्षति का कुल क्षेत्रफल (एकड़ों में)	गांव में कुल क्षति (आनों में)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या
१	उनचनी कलां	...	३२९	१६	११३
२	उनचनी खुर्द	...	१८०	१६	८०
३	कैलावर	...	१५५	१६	९
४	रामपुर नद्दी	...	५६०	१२	१२१
५	ताजुद्दीनपुर	...	३९४	१६	९८
६	ऊगापुर	...	१४०	१५	३२
७	फत्तूपुर	...	२८५	१६	९
८	महमदपुर	...	२००	१४	१०
९	रुकुनपुर	...	८१	१६	१८
१०	कटेसर	...	१४७	१६	८३
११	केड़वारी	..	५९	४	५

नत्थी 'ख'

(देखिय तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

प्रश्न–संख्या ४५ से संबंधित जिला देवरिया, कानूनगो सर्किल पड़रौना के उन ग्रामों की सूची जो १९५४ में बाढ़ ग्रस्त हुए

१––धौरहरा आबाद केरी ।
२––बिन्दवलिया ।
३––त्रिलोकपुर बुजुर्ग ।
४––बन्धु छपरा ।
५––त्रिलोकपुर खुर्द ।
६––गम्हानियां बुजुर्ग ।
७––सोहरौना ।
८––सिंगापट्टी ।
९––चौड़िया ।
१०––धरमपुर जंगल ।
११––कुर्माऊल उर्फ सोहनपुर ।
१२––पडरी पीपर पांटी ।
१३––सोनाबल ।
१४––जुरवानियां ।
१५––महुवा ।
१६––मानीकौड़ा ।
१७––खिरकिया ।
१८––पछफेरा ।
१९––लोगी छपरा ।
२०––छैती मुसाहरी ।
२१––बिशुनपुरा खुर्द ।
२२––बबुइया हारपुर ।
२३––मांघी कोटिलवाला ।
२४––जरार ।
२५––अरनेहवा ।
२६––बाजूपट्टी ।
२७––हरनही ।
२८––पटेरा आबाद केरी ।
२९––चिरहियावा ।
३०––बिशुनपुर बुजुर्ग ।
३१––सिसवा गोइटो ।
३२––मठिया माफी ।
३३––पुरनहा मिसिर ।
३४––जामिन कटनौरा ।
३५––रामनगर मिसरौली ।
३६––जानकीनगर ।
३७––शाहपुर ।
३८––मुजाहिदा खास ।
३९––नरचोचवा ।

प्रश्न–संख्या ४५ से संबंधित जिला देवरिया, कानूनगो सर्किल पड़रौना के उन ग्रामों की सूची जो १९५५ में बाढ़ ग्रस्त हुए

१––धौरहरा आबाद केरी ।
२––बिन्दवलिया ।
३––त्रिलोकपुर बुजुर्ग ।
४––बन्धु छपरा ।
५––त्रिलोकपुर खुर्द ।
६––गम्हानियां बुजुर्ग ।
७––सोहरौना ।
८––सिंगापट्टी ।
९––चौड़िया ।
१०––धरमपुर जंगल ।
११––कुर्माऊल उर्फ सोहनपुर ।
१२––पडरी पीपर पांटो ।
१३––सोनाबल ।
१४––जुरवानियां ।
१५––महुवा ।
१६––भानीकोड़ा ।
१७––मलहिया ।
१८––पछफेरा ।
१९––जोगी छपरा ।
२०––छैती मुसाहारो ।
२१––बिशुनपुरा खुर्द ।
२२––बबुइया हारपुर ।
२३––मांघी कोटिलबाला ।
२४––जरार ।
२५––अरनेहवा ।
२६––बाजूपट्टी ।
२७––मजाहिदा ।
२८––पटेरा आबाद केरो ।
२९––चिरहियावा ।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

प्रस्तुत तालिका से गोबिन्दपुरी मोदीनगर में निर्माणित विभिन्न प्रकार के मकान, दूकानें तथा कारखानों की क़ीमत इत्यादि के विषय में सूचना प्राप्त की जा सकती है।

क्रम-संख्या	विभिन्न श्रेणी के निर्माण		संख्या, जिसका निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है	प्रत्येक श्रेणी के पूरे निर्माण में कुल लागत
१	ए क्लास	...	६	१,२६,०००
२	बी ,,	...	३३	१,२९,२२८
३	सी ,,	...	२२५	६,५८,०००
४	डी ,,	...	२९८	६,३६,५२८
५	ई ,,	...	३४३	४,१२,६२९
६	टी ,,	...	२३	१,७९,५८४
७	कारखाने	...	२५	७,३२,१८९ (लगभग)
८	गृह और दूकानें	...	८१	३,१८,१६८
९	छोटी दुकानें	...	४१	४१,०००
१०	जलाऊ लकड़ी की दुकान	...	१	१,६५०
		कुल लागत ...		३२,३४,९७६

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २५ पर)

उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना करने के निमित्त

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिये तथा तत्संबंधी कार्यों का संचालन करने के निमित्त एक निधि की स्थापना की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निश्चित करे।

परिभाषाएं

२—विषय अथवा प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :—

(१) "बोर्ड" (Board) का तात्पर्य धारा १० के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड से है;

(२) "कर्मचारी" (employee) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक अधिष्ठान (industrial establishment) में कुशल, अथवा अकुशल (skilled or unskilled), हस्तश्रम (manual) अथवा लिपिक (clerical) संबंधी किसी काम के करने के निमित्त भाड़े (hire) अथवा पुरस्कार (reward) पर नियुक्त किया गया हो;

(३) "नियोजक" (employer) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक अधिष्ठान में स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा अपनी अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से एक अथवा अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करता हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) किसी फैक्ट्री में, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ की धारा 7 (i) (f) के अधीन मैनेजर बताया गया हो; ऐक्ट ६३, १९४८

(ख) सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकार (authority) के अधीन संचालित किसी औद्योगिक अधिष्ठान (establishment) में, कोई ऐसा व्यक्ति अथवा प्राधिकारी (authority), जिसे कर्मचारियों के निरीक्षण (supervision) तथा नियंत्रण (control) के लिये नियुक्त किया गया हो अथवा, जहां कोई व्यक्ति

अथवा प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो, वहां विभाग का अध्यक्ष (head of the department); और

(ग) किसी अन्य औद्योगिक अधिष्ठान में, कोई ऐसा व्यक्ति, जो कर्मचारियों के निरीक्षण (supervision) तथा नियंत्रण अथवा मजदूरी (wages) का भुगतान करने के निमित्त स्वामी के प्रति उत्तरदायी हो;

(४) "निधि" (fund) का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण निधि (Uttar Pradesh Industrial Labour Welfare Fund) से है;

(५) "फैक्ट्री" का तात्पर्य फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ की धारा २ (m) में परिभाषित किसी फैक्ट्री से है;

(६) "औद्योगिक अधिष्ठान" (Industrial establishment) का तात्पर्य किसी फैक्ट्री, बगीचे (plantation) अथवा अन्य किसी ऐसे अधिष्ठान से है, जिसे राज्य सरकार इस रूप में प्रख्यापित करे;

(७) "निरीक्षक" (Inspector) का तात्पर्य धारा १५ के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक से है;

(८) "नियत" (prescribe) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है :—

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(१०) "मजदूरी" (wages) का तात्पर्य उस समस्त पारिश्रमिक (remuneration) से है, जिसे धन के आंकड़ों में व्यक्त किया जा सके, और जो, यदि नियोजन (employment) की व्यक्त (expressed) अथवा उपलक्षित (implied) शर्तें पूरी हो जायं तो, नियुक्त व्यक्ति को, अपने नियोजन (employment) अथवा इस प्रकार के नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय हों, परन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(क) निम्नलिखित का मूल्य :—

(१) गृह आवास (House accommodation) बिजली तथा पानी की सप्लाई और चिकित्सा व्यवस्था; अथवा

(२) राज्य सरकार की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निष्पादित कोई अन्य सुविधा (amenity) अथवा सेवा;

(ख) नियोजक द्वारा सेवा निवृत्ति निधि (pension fund) अथवा प्रावधायी निधि (provident fund) अथवा किसी सामाजिक बीमा योजना के लिये दिया गया कोई अंशदान (contribution);

(ग) कोई यात्रा भत्ता अथवा यात्रा के लिये दी गयी किसी रियायत का मूल्य;

(घ) कोई ऐसी धनराशि, जो नियुक्त व्यक्ति के नियोजन (employment) के प्रकार (nature) के कारण उस पर होने वाले विशेष व्ययों की पूर्ति के लिये उसे दी जाय ;

(ङ) सेवा मुक्त (discharge) होने के समय देय कोई अनुग्रह धन (gratuity);

(११) "अदत्त संचय" (unpaid accumulation) का तात्पर्य उन समस्त मजदूरियों (wages) से है जो किसी कर्मचारी को देय हों परन्तु उसे दी न गयी हों, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(क) प्रावधायी निधि (provident fund) में नियोजक का पूर्ण अथवा आंशिक अंशदान और;

(ख) किसी सेवा मुक्त (discharged) कर्मचारी को देय कोई अनुग्रह धन (gratuity), तथा

(ग) किसी कर्मचारी को देय कोई बोनस ;

(१२) "कल्याण आयुक्त" (Welfare Commissioner) का तात्पर्य धारा १५ के अधीन नियुक्त कल्याण आयुक्त से है ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण निधि की स्थापना ।

३—(१) राज्य सरकार एक निधि की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम-कल्याण निधि कहलायेगी ।

(२) निधि स्टेट बैंक आफ इंडिया में, अथवा यदि राज्य सरकार किसी अनुसूचित (Scheduled) बैंक के नाम का निर्देशन कर दे तो उस बैंक में रखी जायगी।

(३) ऐसी समस्त धनराशियां, जो निधि के लिये प्राप्त की जायं या की जाने वाली हों अथवा उसके लिये या उसके निमित्त देय हों, नियत रीति से संग्राहक (Collecting) एजेंसियों द्वारा निधि के खाते (account) में जमा की जायंगी ।

(४) निधि के खाते में निम्नलिखित जमा होंगे :—

(क) पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ के उपबन्धों के अधीन कर्मचारियों से वसूल किये गये समस्त जुर्माने (fine) ;

(ख) समस्त अदत्त संचय ;

(ग) औद्योगिक अधिष्ठान में कल्याण खाते (welfare account) में जमा समस्त धनराशि ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायक अनुदान (grants-in-aid)

(ङ) स्वेच्छा से किये गये दान; और

(च) धारा ८ के अधीन उधार ली गयी धनराशियां ;

(५) राज्य सरकार निधि में से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर ऐसे आदेश (directions) देगी, जिन्हें वह उचित समझे ।

निधि का क्षेत्र विस्तार (scope)

४—(१) निधि, किसी विधि के उपबन्धों के अधीन नियोजकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से भिन्न ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में उपयोग में लायी जायगी जिन्हें राज्य सरकार औद्योगिक अधिष्ठानों में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण के लिये समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

(२) उपधारा (१) की व्यापकता को बाधित न करते हुए, निधि की धनराशियां निम्नलिखित मदों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये भी उपयोग में लायी जायेंगी :—

(क) सामुदायिक (Community) तथा समाज शिक्षा केन्द्र, जिनके अन्तर्गत वाचनालय तथा पुस्तकालय भी हैं ;

(ख) सार्वजनिक स्नानगृह तथा धुलाई स्थल ;

(ग) चिकित्सा सहायता तथा आरोग्य गृह (Convalescent homes);

(घ) सामुदायिक आवश्यकताएं ;

(ङ) महिलाओं तथा बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं;

(च) खेल-कूद ;

(छ) पर्यटन (excursion), यात्राएं (tours) तथा अवकाश-कालीन गृह (holiday homes) ;

(ज) आमोद-प्रमोद तथा अन्य प्रकार के स्वस्थ मनोरंजन ;

(झ) महिलाओं और वयोवृद्धों के लिये गृह-उद्योग तथा सहायक धंधे (subsidiary occupations) ;

(ञ) अधिनियम के कार्यान्वित पर होने वाला व्यय जिसमें बोर्ड के सेवकों के वेतन और भत्ते तथा बोर्ड के सदस्यों के भत्ते भी सम्मिलित हैं ;

(ट) सहकारी, मितव्ययता सम्बन्धी (thrift) ऋणदाता (credit) तथा बहुधंधी (multipurpose) समितियां;

(ठ) धार्मिक तथा सामाजिक प्रकार के सहयोग से किये जाने वाले कार्य (Corporate activities) ;

(ड) खाद्य तथा सामानों (materials) को तैयार करने तथा उनको अन्य रूप देने (processing) की सुविधाएं ;

(ढ) गृह योजनाएं ; और

(ण) अन्य ऐसे उद्देश्य, जिनसे औद्योगिक अधिष्ठानों में नियुक्त श्रमिकों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो तथा उनकी सामाजिक दशाओं में सुधार हो ।

(३) बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से, किसी स्थानीय प्राधिकारी (local authority) को अथवा समाज-सेवा में संलग्न अन्य किसी संस्था को उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक अथवा अधिक कार्यों (measures) के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (approved) किसी योजना को सहायता पहुंचाने अथवा उपधारा (२) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये निधि में से अनुदान दे सकता है ।

(४) यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न उठे कि कोई विशेष व्यय निधि के खाते में डाला जाय (debitable) अथवा नहीं, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को भेज दिया जायगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निश्चय अन्तिम होगा ।

५—निधि का प्रबन्ध, प्रशासन, नियंत्रण तथा सुरक्षा और उसका प्रप्रोग (application) तथा उसमें से भुगतान नियत रीति से होंगे ।

निधि का प्रशासन एवं प्रबन्ध ।

६—निधि के लेखों का परीक्षण (audit) प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार एतदर्थ नियुक्त करे और तद्विषयक प्रसूचना (report) की एक-एक प्रति राज्य सरकार तथा मंत्रणा समिति (Advisory Committee) को भेजी जायगी ।

लेखों का परीक्षण (audit) ।

लेखा परीक्षण प्रसूचना (audit report) पर निधि का प्रबन्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायगा तथा उस पर की गई कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को दी जायगी ।

७—राज्य सरकार प्रतिवर्ष फरवरी मास में निधि की प्राप्तियों तथा उसमें से होने वाले व्ययों के तख्मीने (estimates) तथा लेखों के विवरण और उन कार्यों की प्रसूचना (retort) गजट में प्रकाशित करेगी जिन्हें पूर्वगामी (previous) वर्ष में निधि के हिसाब में से वित्तीय सहायता दी गयी हो ।

लेखों तथा व्ययों का प्रकाशन ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब प्रथम बार निधि की स्थापना होगी तो यह प्रकाशन निधि स्थापना के पश्चात् आगामी जून मास के अन्त तक, स्थगित किया जा सकता है ।

८—बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों तथा अन्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार एतदर्थ निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऋण ले सकेगा ।

ऋण उगा... के संबंध ... बोर्ड ... अधिकार

९—यदि निधि अथवा उसका कोई भाग, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त शीघ्र ही (at an early date) प्रयोग में न लाया जा सके, तो बोर्ड उसे इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, १८८२ की धारा २० के खंड (ए) से (डी) तक तथा खंड (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी सिक्योरिटी में जमा कर देगा ।

निधि क... जमा कर...

१०—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र एक बोर्ड की स्थापना करेगी, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण बोर्ड (Uttar Pradesh Labour Welfare Board) कहलायेगा ।

औद्योगिक श्रम कल्या... बोर्ड ।

(२) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा —

(क) एक सभापति (Chairman) जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित (nominate) किया जायगा;

(ख) कर्मचारियों तथा नियोजनों के प्रतिनिधियों की ऐसी बराबर बराबर संख्या, जो नियत की जाय । ये प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ;

(ग) एक या अधिक महिला प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायें ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनकी संख्या ५ से अधिक नहीं होगी ।

(३) राज्य सरकार के श्रम-विभाग का सचिव अथवा अन्य कोई अधिकारी, जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करे, बोर्ड का पदेन (ex-officio) सेक्रेटरी होगा ।

(४) बोर्ड के सभापति तथा सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य की, जिसे किसी आकस्मिक रिक्ति (casual vacancy) की पूर्ति के लिये नाम निर्देशित किया गया हो, पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की, शेष पदावधि ही होगी।

ोर्ड के कृत्य

११—बोर्ड के कृत्य यह होंगे—

(क) श्रमिकों के कल्याण के लिये योजनाओं पर विचार करना तथा उन्हें बनाना ;

(ख) इस प्रकार बनायी गयी योजनाओं के निष्पादन (execution) के उपायों एवं साधनों को निश्चित करना,

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निधि का प्रशासन करना; और

(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे सौंपे जायं।

ोर्ड द्वारा
र्मचारियों
या अन्य
र्मचारियों
नियुक्ति।

१२—निधि में से जिन कार्यों को वित्तीय सहायता मिल रही है उनके संचालन एवं निरीक्षण के निमित्त बोर्ड को आवश्यक लिपिक तथा कार्यपालक कर्मचारी (clerical and executive staff) नियुक्त करने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई भी नियुक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना न की जायगी, जिसके बारे में बोर्ड के एक तिहाई से अधिक सदस्य सहमत न हों।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर किया जाने वाला व्यय निधि की वार्षिक आय के नियत प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक न होगा।

र्ड के
सी कर्म-
ारी को
क्त करने
वा हटाने
। राज्य
रकार को
धिकार।

१३—राज्य सरकार अनुपयुक्तता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बोर्ड की सेवा में विहित रीति से हटा सकती है। अधिकार होगा, जिसके विषय में बोर्ड के एक तिहाई से अधिक सदस्य एकमत नहीं हैं राज्य सरकार को होगी।

त्रणा
मिति का
ाठन।

१४—(१) इस अधिनियम अथवा निधि के प्रशासन से संबद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार तथा बोर्ड को मंत्रणा देने के निमित्त राज्य सरकार एक मंत्रणा समिति (Advisory Committee) का संगठन करेगी।

(२) मंत्रणा समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी—

(क) एक सभापति (Chairman) जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करेगी ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले कर्मचारियों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों की ऐसी बराबर बराबर संख्या, जो नियत की जाय ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले अन्य व्यक्ति ऐसी संख्या में जो नियत की जाय, किन्तु जो खंड (ख) में नियत सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो ।

(३) मंत्रणा समिति के सदस्य संबद्ध संगठनों से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायंगे ।

(४) श्रम-कल्याण आयुक्त (Labour Welfare Commissioner) अथवा ऐसा अन्य कोई अधिकारी जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करे समिति का पदेन (ex-officio) सेक्रेटरी होगा ।

पदाधिकारि की नियुक्ति तथा उन अधिकार।

१५--(१) राज्य सरकार एक श्रम-कल्याण आयुक्त (Labour Welfare Commissioner) जो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (Executive Officer) होगा, तथा निधि में से वित्तीय, सहायता प्राप्त कार्यों से संबद्ध अभिलेखों (accounts) की जांच और इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिये आवश्यक संख्या में निरीक्षकों (Inspectors) नियुक्त करेगी ।

(२) इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, किसी भी उचित समय पर, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जिसके संबंध में उसका विचार हो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उसका वहां प्रवेश करना आवश्यक है ।

निधि में दे धनराशियां को वसूली व विधि ।

१६--उस अधिनियम के अधीन देय कोई भी धनराशि, वसूली के अन्य साधनों को बाधित किये बिना, मालगुजारी के बकाये के समान (as arrears of Land Revenue) बोर्ड की ओर से वसूल की जा सकेगी ।

बोर्ड को रा सरकार के आदेश ।

१७--(१) राज्य सरकार समय-समय पर बोर्ड को ऐसे आदेश (directions) दे सकती है जो निधि में से किये जाने वाले व्ययों अथवा अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के संबंध में उसकी राय में आवश्यक अथवा इष्टकर (expedient) हों ।

(२) बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार कार्य करे ।

कुछ मामलों बोर्ड का अव क्रमण ।

१८--(१) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय (is satisfied) कि बोर्ड ने अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में उपेक्षा की है अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा बोर्ड का अवक्रमण (supersession) तथा धारा १० के अनुसार एक नये बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड की अवक्रमण संबंधी विज्ञप्ति को प्रकाशित करने के पूर्व राज्य सरकार बोर्ड को अवक्रमण सम्बन्धी कार्यवाही के विरुद्ध कारण दिखाने का उचित अवसर देगी और उसके स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार भी करेगी ।

(२) बोर्ड के अवक्रमण के पश्चात् और जब तक नये बोर्ड का संगठन नहीं हो जाता तब तक, अधिनियम के अधीन बोर्ड के अधिकार, कर्त्तव्य तथा कार्य ऐसे अधिकारियों द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे जिन्हें सरकार एतदर्थ नियुक्त करे ।

१९—बोर्ड के सदस्य श्रम-कल्याण आयुक्त, निरीक्षक तथा बोर्ड के अन्य सभी अधिकारी और सेवक इंडियन पेनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट्स समझे जायेंगे।

२०—यदि इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति ने सद्भाव के साथ कोई कार्य किया है अथवा उसे ऐसा करना अभिप्रेत है तो उसके विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजना (prosecution) अथवा कोई अन्य क़ानूनी कार्यवाही नहीं की जायगी।

२१—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट हों, किसी भी वर्ग (class) के साथ औद्योगिक अधिष्ठान को अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं भी उपबन्धों से मुक्त कर सकती हैं।

२२—बोर्ड का कोई कार्य अथवा कोई कार्यवाही, केवल इसीलिये अमान्य नहीं समझी जायगी कि बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है अथवा उसके संगठन में कोई त्रुटि रह गयी है, और न इस कारण ही अमान्य समझी जायगी कि बाद में पता चलता है कि बोर्ड की कार्यवाही में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित था, अथवा उसने मतदान किया, अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें भाग लिया, जिसे ऐसा करने का अधिकार न था।

२३—पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ की धारा ८ की उपधारा (८) में, अन्त में आने वाले पूर्ण विराम (fullstop) के स्थान पर लघु विराम (coma) रख दिया जाये और उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"But in the case of any factory or industrial establishment to which the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1955 applies all such realizations shall be paid into the Fund constituted under the said Act."

२४—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, तथा पूर्व प्रकाशन करके इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए इस धारा के अधीन बनाये गये नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी :—

(१) निधि में से सहायक अनुदान (grants-in-aid) देने की प्रक्रिया ;

(२) बोर्ड तथा मंत्रणा समिति के सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हों ;

(३) वह रीति जिससे बोर्ड अपना कार्य संचालन करेगा ;

(४) बोर्ड के सदस्यों को चुनने की रीति तथा उनकी अनर्हताओं (disqualifications) की शर्तें ;

(५) बोर्ड तथा मंत्रणा समिति के सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की रीति ;

(६) बोर्ड के सेवकों के लिये सेवा की शर्तें अथवा उनके अधिकार और कर्त्तव्य ;

(७) रखे जाने वाले रजिस्टरों तथा अभिलेखों का आकार (form) ;

(८) निधि में से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कार्यों से संबद्ध समन्वित प्रसूचना (consolidated report) तथा निधि की प्राप्तियों (receipts) और व्यय के विवरण तथा लेखों के विवरण के प्रकाशन की विधि; तथा

(९) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं ।

सत्यमेव जयते

उद्देश्य और कारण

विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से एक श्रम-कल्याण निधि स्थापित करने का प्रश्न बहुत समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। कामकरों से वसूल किये जाने वाले जुर्मानों के संबंध में पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में पहले से ही यह व्यवस्था है कि इस रूप में वसूल की गयी धनराशि का उपयोग ऐसे अनुमोदित प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो उनके लिए लाभप्रद हों। जुर्मानों के अतिरिक्त, अदा न की गयी मजदूरी, बोनस, अनुग्रह धन इत्यादि की धनराशियां भी नियोजकों के पास संचित पड़ी रहती हैं और उनका कोई उचित उपयोग नहीं किया जाता है। अतएव यह आवश्यक प्रतीत होता है कि श्रम कल्याणकारी कार्यों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से इन सब धनराशियों को एक में मिला कर एक निधि स्थापित की जाय। ये कार्य सरकार के नियंत्रण में एक बोर्ड द्वारा किय जायेंगे। यह भी समझा जाता है कि अन्य सम्भव साधनों, जैसे स्वेच्छा से किये गये दान, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान, बोर्ड द्वारा लिये जाने वाले ऋण इत्यादि से भी उक्त बोर्ड के वित्त को अनुपूर्ति में पर्याप्त योगदान प्राप्त होगा और इसके द्वारा श्रमिकों के कल्याण में पर्याप्त वृद्धि होगी।

२—तदनुसार उक्त प्रयोजन को ध्यान में रख कर, उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५ प्रस्तुत किया जा रहा है।

जुगल किशोर,
श्रम-मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २५ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबंधों) का विधेयक, १९५५,

सभा सचिवों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों तथा विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों और उप-मंत्रियों से सम्बद्ध कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

सभा सचिवों (Parliamentary Secretaries) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों को तथा विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों तथा मंत्रियों और उप-मंत्रियों से सम्बद्ध आगे चलकर प्रोत होने वाले कुछ विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है।

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में "विधान मंडल के अधिकारी" का तात्पर्य अध्यक्ष (Speaker), सभापति (Chairman), उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) और उप-सभापति (Deputy Chairman) से है।

सभासचिवों के वेतन तथा भत्ते।

३—(१) प्रत्येक सभासचिव (Parliamentary Secretary) को ६०० रु० मासिक वेतन दिया जायगा।

(२) प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास-स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (Compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा।

यात्रिक भत्ता

४—(१) प्रत्येक सभा सचिव को एक सौ रुपए मासिक परिवहन भत्ता (Conveyance allowance) दिया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों और निरोधों (conditions and restrictions) के अधीन प्रत्येक सभा सचिव, सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :—

(क) विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये उन दरों पर यात्रिक भत्ता (travelling allowance) जो

सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य हो, और

(ख) दैनिक भत्ता (daily allowance) जो मैदानों में दस रुपये तथा पहाड़ों पर पन्द्रह रुपये की दर से होगा।

मंत्रियों, विधान मंडल के अधिकारियों उप-मन्त्रियों तथा सभा सचिवों का चिकित्सकीय उपचार (medical treatment)

५—राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किसी नियम को बाधित न करते हुए मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति, उपाध्यक्ष, उपमंत्री तथा सभा-सचिव और उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा तथा राज्य-सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास (accommodation) पाने का अधिकार होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य संचालन से संबद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १२, १९५२ का संशोधन।

६—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों को उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की

(१) धारा २ में शब्द "ड्योढ़ा (१ १/२)" के स्थान पर शब्द "दूना" रख दिया जाय; और

(२) धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २-क के रूप में रख दिया जाय :—

"अन्तराल की यात्राओं के लिये यात्रिक भत्ता।

२-क—जब उत्तर प्रदेश विधान मंडल का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के कारण विधान मंडल के सदन के सत्रकाल में अथवा उसकी किसी समिति के अधिवेशनकाल में दस दिन से कम के लिये अनुपस्थित हो तो उसे ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहां से वापस आने के लिये प्रत्येक यात्रा के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यात्रा के उन भागों के लिये, जो ऐसे स्थानों के बीच की गयी हो, जो रेलवे द्वारा संयोजित नहीं हैं, उसे माइलेज भत्ता उस दर से मिलेगा जो प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य है।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा यात्रिक भत्ता उस कुल दैनिक भत्ते से अधिक न होगा जो उक्त सदस्य को धारा २ (२) के अधीन अनुपस्थिति के दिनों के लिये मिलता यदि वह अनुपस्थित न होता।"

यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्यूमेंट्स) रूल्स, १९४६ में किये गये संशोधनों का वैधीकरण।

७—यू० पी० लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्यूमेन्ट्स) ऐक्ट, १९३८ की धारा ५ द्वारा राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (U. P. State Legislature) के सदस्यों को वेतन यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। तदनुसार राज्य सरकार ने विधायिका विभाग (Legislature Department) की विज्ञप्ति संख्या ३५२४/१७, दिनांक ९ फरवरी, १९५० ई० द्वारा यू० पी० लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्युमेंट्स) रूल्स, १९४६ को संशोधित किया था, किन्तु भारत के संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य सरकार के उक्त अधिकार के बने रहने के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया, अतएव सन्देहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा

प्रख्यापित किया जाता है कि पूर्वोक्त विज्ञप्ति में किये गये संशोधन विधि की दृष्टि से ठीक और वैध हैं तथा सदा ठीक और वैध समझे जायगे मानों वे संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनी विधि से अधिनियमित किये गये थे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ९, १९५२ का संशोधन

८—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ ई० की—

(१) धारा ३ में शब्द "६ सौ रुपए" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिए जायं;

(२) धारा ४ के पश्चात् धारा ४—क के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"उपाध्यक्ष और उपसभापति के लिए किराया मुक्त सुसज्जित निवास—स्थान (free furnished residences)"

४—क—उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) तथा उपसभापति (Deputy Chairman) में से प्रत्येक को उनकी पदावधि के पूरे कार्य काल पर्यन्त लखनऊ में, बिना किराया दिए हुए, ऐसे निवास-स्थान के प्रयोग का अधिकार होगा, जो ऐसे मापमान (scale) के अनुसार सुसज्जित (furnished) होगा, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों में की जायेगी और जब तक उपर्युक्त प्रकार के निवास—स्थान की व्यवस्था न हो सके तब तक उन्हें एक सौ रुपए मासिक, प्रतिकरात्मक भत्ता (Compensatory allowance) पाने का अधिकार होगा।"

तथा

(३) धारा ५ के पश्चात् नई धारा ५—क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"उपाध्यक्ष और उप सभापति के लिये परिवहन भत्ता।

५—क—उपाध्यक्ष तथा उप सभापति में से प्रत्येक को एक सौ पचास रुपया मासिक परिवहन भत्ता (convyance allowance) दिया जायगा"

उ० प्र० अधिनियम १०, १९५२ की धारा ३ का संशोधन।

९—उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों के (वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२) प्रत्यक उपमंत्री अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिए एक निवास—स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक जिसमें पूर्वोक्त निवास—स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपए मासिक प्रतिकर भत्ता (composatory allowance) पाने का अधिकारी होगा।"

कतिपय भुगतानों का विनियमन।

१०—इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उप—सभापति और सभासचिव या उनके परिवार के किसी सदस्य के, राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी अस्पताल में आवास के संबंध में या चिकित्सा के निमित्त किए गए या भुगतान किए गए सभी परिव्यय और उक्त प्रारम्भ से पूर्व धारा ६ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के अनुसार यात्रिक भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में किसी सदस्य को दिये गए सभी भुगतान यथावत किए गए (properly incurred), भुगतान किए गए और दिये गये समझे जायेंगे।

नियुक्ति इत्यादि से सम्बद्ध विज्ञप्ति निश्चायक प्रमाण होगी।

११—यह दिनांक जिस पर कोई व्यक्ति मंत्री, उपमंत्री या सभा-सचिव होगा बना रहेगा, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और कोई ऐसी विज्ञप्ति इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि उक्त व्यक्ति उस दिनांक पर मंत्री, उपमंत्री या सभा-सचिव हो गया या न रहा।

नियम बनाने का अधिकार।

१२—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

सरकार के सभा-सचिवों को अभी तक वेतन और भत्ते प्रशासकीय आज्ञाओं के अधीन मिलते रहे हैं। सरकार को परामर्श प्राप्त हुआ है कि मंत्रियों और उप-मंत्रियों की भांति इनका वेतन भी विधान मंडल के अधिनियम द्वारा अवधारित होना चाहिये। अतएव इस विधेयक द्वारा इसकी व्यवस्था की गयी है।

२—यह विचार किया गया है कि राज्य विधान मंडल के अधिष्ठाताओं (Presiding Officers) के उच्च पदों की प्रतिष्ठा के अनुकूल उपाध्यक्ष तथा उपसभापति की प्रस्थिति (status) वही होना चाहिये जो उपमंत्री की है और उन्हें वही वेतन और भत्ते दिए जाने चाहिये जो उपमंत्रियों को मिलते हैं। विधेयक में इसके लिये आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है।

३—रेलवे के विभिन्न दर्जों के पुनर्वर्गीकरण को ध्यान में रख कर राज्य विधान मंडल क सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रिक भत्तों की दरें भी पुनरीक्षित की गयी हैं।

४—इसके अतिरिक्त मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा विधान मंडल के अधिकारियों को उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में होने वाली कुछ कठिनाइयों तथा उपमंत्रियों के निवास स्थान संबधी कठिनाई को भी दूर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद १६४ (५) तथा १८६ में क्रमशः व्यवस्था की गयी है कि मंत्रियों तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों के वेतन और भत्ते वही होंगे, जिन्हें राज्य विधान मंडल विधि द्वारा अवधारित करे। तदनुसार यह आवश्यक समझा गया है कि मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा राज्य विधान मंडल के अधिकारियों के लिये चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था विधान मंडल द्वारा पारित तत्संबंधी विधि में कर दी जाय। अतएव विधेयक में इसकी व्यवस्था कर दी गयी है।

५—विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५२४/१७, दिनांक ९ फरवरी, १९५० द्वारा विधान मंडल के सदस्यों को मिलने वाले यात्रिक भत्ते के भुगतान की नियमावली में संशोधनों की वैधता पर यह शंका प्रकट की गयी है कि ऐसा केवल विधान मंडल के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। अतएव विधेयक क खंड ६ को विहित करके इसे भी निश्चित कर देना आवश्यक समझा गया।

यह विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० पी० १९ एल० ए०—१९५५—७१६ (प्रो०)